uxj ifj"kn dqYyw e: dk;Zjr i/kku dk fooj.k

श्री राम सिंह — 1.4.01 से 14.01.2006

श्री गोपाल कृष्ण महन्त — 17.2.06 से 31.03.2007

uxj ifj"kn e: dk;Zjr dk;Zdkjh vf/kdkjh

श्री मोहिन्द्र सिंह ठाकुर — 1.4.01 से 19.09.2003

श्री आई0एस0 भारद्वाज (HAS) — 20.9.01 से 12.10.2004

श्री आर0एस0 वर्मा — 13.9.04 से 9.10.2005

श्री आई0एस0 भारद्वाज (HAS) — 10.10.05 से 5.01.2006

श्री मोहिन्द्र सिंह ठाकुर — 6.01.2006 से 31.3.2007

1 जिलाधीश कुल्लू को मु0 45,22,925.00 रुपये का अवैध भुगतान नगर परिषद कर्मचारियों को मु0 15,30,258.00 रुपये का अवैध मानदेय का भुगतान।

मु0 1,14,000.00 रुपये का एक्साईज डियूटी का अनाधिकृत व्यय।

मु0 5,00,912.00 रुपये का डिकरी का अवैध भुगतान।

मु0 9,95,000.00 रुपये की सांसद निधि का बिना कार्य किए भुगतान बारे।

मु0 2,85,000.00 रुपये का गायकों को अवैध भुगतान।

मु0 45,000.00 रुपये का साऊंड सिस्टम का अवैध भुगतान।

uxj ifj"kn dqYyw] ftyk dqYyw fgekpy izns'k dh vof/k 4@01 ls 3@07 rd ds ys[kkvksa dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu

vof/k 4@01 ls 3@07

Hkkx&1

नगर परिषद कुल्लू के अवधि 4/01 से 3/07 तक के लेखाओं को वर्तमान अंकेक्षण एंव निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में समविष्ट किए गए हैं जय गोपाल शर्मा सहायक नियन्त्रक लेखा परीक्षा द्वारा 8.10.07 से 27.2.08 तक (अवकाश के अतिरिक्त) नगर परिषद कार्यालय कुल्लू में सम्पन्न किया गया इस अंकेक्षण में सर्व श्री रवि प्रकाश लेखा परीक्षक तथा सुख राम शर्मा लेखा परीक्षक ने अंकेक्षण कार्य किया। विस्तृत जांच हेतु मास 10/01, 10/02, 10/03, 3/05, 3/06, तथा 10/06 के लेखों का चयन किया गया तथा निम्न दर्षाए गए अभिलेखों के अतिरिक्त समस्त अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में विधिवत प्रस्तुत किये गये।

1 vads{k.k 'kqYd %&

नगर परिषद कुल्लू के अवधि 4/01 से 3/07 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क मु0 6,790 रुपये आंका गया जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' में दिया गया है अंकेक्षण अधियाचना कार्याकारी अधिकारी को जारी कर दी गई थी जिसमें अंकेक्षण शुल्क निम्न शीर्ष में जमा करने हेतु कहा गया तथा अंकेक्षण शुल्क का मूल चालान सत्यापन हेतु निदेषक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–2 के कार्यालय को भेजे जो सत्यापन उपरान्त लौटा दिया जाएगा

0070 अन्य प्रषासनिक सेवाएं

60 अन्य सेवाएं

110 सरकारी लेखा परीक्षा के लिए शुल्क यू0डी0

2 foÙkh; fLFkfr %&

नगर परिषद कुल्लू की अवधि 4/01 से 3/07 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी

o"kZ	izkjfEHkd 'ks"k	vk;	;ksx	O;;	31 ekpZ dk 'ks"k
2001–02	11,84,100.00	1,89,17,521.00	2,01,01,621.00	1,83,06,039.00	17,95,582.00
2002–03	17,95,582.00	1,87,79,349.00	2,05,74,931.00	2,05,33,899.00	41,032.00

2003—04	41,032.00	2,50,06,724.00	2,50,47,756.00	2,24,46,976.00	26,00,780.00
2004—05	26,00,780.00	2,47,27,911.00	2,73,28,691.00	2,25,10,215.00	48,18,476.00
2005—06	48,18,476.00	2,26,50,118.00	2,74,68,594.00	2,50,13,672.00	24,54,922.00
2006—07	24,54,922.00	2,53,55,748.00	2,78,10,670.00	2,63,09,347.00	15,01,323.00

Statement of Income & Expenditure 4/01 to 3/07 of M.C. Kullu

Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Balance
2001-02	11,841	1,89,17,521	2,01,01,621	1,83,06,039	17,95,582
2002-03	17,95,582	1,87,79,349	2,05,74,931	2,05,33,899	41,032
2003-04	41,032	2,50.06,724	2,50,47,756	2,24,46,976	26,00,780
2004-05	26,00,780	2,47,27,911	2,73,28,691	2,25,10,215	48,18,476
2005-06	48,18,476	2,26,50,118	2,74,68,594	2,50,13,672	24,54,922
2006-07	24,54,922	2,53,55,748	2,78,10,670	2,63,09,347	15,01,323

Bank Balance as on 31-3-07 Of M.C. Kullu

1	PNB 2425	72,278.00
2	PNB 12804	10,34,089.00
3	PNB 1921	89,198.00
4	PNB 168824	1,09,766.00
5	PNB 5652	1,66,240.00
6	UCO 4959	2,29,333.00
7	KCCB 2316/14	67,421.00
8	KCCB 1621/16	7,518.00
9	UCO	8,777.00

10	OBC	3,08,436-00
11	PLA	3,158.00
		20,96,214.00

fo'k"k dFku %&

नगर परिषद खाते में मु0 20,96,214.00 रुपये की राशि बैंक में 31.3.2007 को थी जब कि यह राशि मु0 15,01,323.00 रुपये होनी चाहिए थी। बैंक खातों व रोकड़ बही में मु0 5,94,891.00 रुपये का अन्तर पाया गया इस अन्तर को रिकनसाईन करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

3 vuqnku %&

वर्ष 4/01 से 3/07 की अवधि में नगर परिषद को प्राप्त अनुदान का उल्लेख :

¼d½ निदेषक शहरी विकास से शीर्ष में प्राप्त अनुदान का विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''अ–I'' में दर्षाया गया है।

¼[k½ निदेषक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश षिमला से वित्तायोग शीर्ष से प्राप्त अनुदान के इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''अ–II'' में दिया गया है।

¼x½ जिलाधीश कुल्लू से प्राप्त अनुदान का विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''अ–III'' में उपलब्ध है।

¼?k½ रेन डैमेजिज शीर्ष के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार के प्राप्त अनुदान को इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''अ–IV'' में दर्षाया गया है।

¼³½ जिलाधीश कुल्लू के माध्यम से MPLAD शीर्ष में प्राप्त अनुदान का विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''अ–V'' में प्राप्त है।

4¼a½ fdjk;k iftdkvksa dh vfu;fer j[k&j[kko dh QyLo:i yk[kksa #i;s dh vk; dh lEHkkfor gkfu %&

दुकानों/स्टॉलों की अवधि 1.4.2001 से 31.3.2007 की किराया पंजिकाओं की जांच पड़ताल में पाया गया कि इन पंजिकाओं का रख–रखाव अत्यन्त त्रुटिपूर्ण किया गया था जिसमें किराए पर देने की तिथि व किराया बढाने की तिथि दर्ज नहीं की गई थी। रैन्ट कन्ट्रोल एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक पांच वर्षों के बाद किराए में 10 प्रतिषत की दर से वृद्धि अपेक्षित थी। परन्तु यहां पर अनियमित रूप से अलग अलग अवधि के पष्चात किराए में बढ़ौतरी प्रारम्भिक किराए के ऊपर ही की जा रही थी जबकि नियमानुसार यह वृद्धि(पिछले बढ़े हुए)

exesting किराए पर निर्धारित की जानी चाहिए थी किराया पंजिआओं में दुकानों/स्टालों की क्रमांक संख्या ना दर्षाने के कारण किराए पर उपलब्ध, किराए पर चढ़ी हुई तथा खाली पडी दुकानों तथा स्टालों की संख्या व स्थिति का कोई वितरण उपलब्ध नहीं था जिसके अभाव में नगर परिषद के आय के मुख्य स्त्रोत प्राप्त आय व शेष बची आय की वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। इन परिस्थितियों में दुकानों व स्टालों से किराया न लिए जाने की संभावना से भी नकारा नहीं जा सकता। जिसके फलस्वरूप परिषद को निरन्तर आय की हानि की संभावना थी।

4¼b½ fdjk,s dh iqfro"kZ c<+ jgh 'ks"k jkf'k dh olwyh gsrq Bksl iz;klksa dk vHkko %&

अवधि 2001–02 के लिए किराए की पंजीका के अंकेक्षण में विस्तृत जांच से ज्ञात हुआ कि निम्न अनुसार 48,23,624.00 रुपये की राशि वसूली के लिए शेष थी।

vkjfEHkd 'ks"k	o"kZ dh ekax	dqy ekax	dqy izkfIr	vfUre 'ks"k
47,92,065	20,75,251	68,67,316	20,43,692	48,23,624

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि अन्तिम शेष की राशि प्रतिवर्ष बढती जा रही है परन्तु उसकी वसूली हेतु कोई भी प्रयास अमल में नही लाए गए। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 40 दिनांक 18.12.07 द्वारा (कृप्या परिशिष्ट ''अ–IX'' देखें) कार्यकारी अधिकारी से वर्ष 2001–02 के आधार पर वर्ष 2002–03 से 31.3.07 तक किराया पंजियों का योग करके अंकेक्षण में सत्यापित करवाने हेतु कहा गया था परन्तु उसके पष्चात अंकेक्षण के बार–बार अनुरोध करने पर भी कोई भी किराया रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया न ही 31.3.2007 को वसूली के लिए किराए की शेष राशि की सूचना प्रस्तुत की गई। अतः उक्त आय की हानि का अतिगम्भीर प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु निदेषक शहरी विकास विभाग के ध्यान में लाया जाता हैं।

4¼c½ <kyiqj ty f'kdk;r ?kj ls fctyh?kj dh vksj lSYQ Qkbusaflax Ldhe ds vUrxZr fufeZr nqdkuksa ds fdjk, dh 'krksZa dh vuqikyuk ds vHkko esa yk[kksa #i;s dh {kfr %&

नगर परिषद कुल्लू द्वारा प्रस्ताव संख्या 3, दिनांक 16.8.2000 को सर्वसम्मति से पास किया कि सैल्फ फाईनैसिंग स्कीम के अन्तर्गत जो कार्य उक्त स्कीम के अन्तर्गत चल रहे हैं। उनका आबंटन मन्जूर है तथा बकाया पैसा लेकर इस कार्य को पूरा किया तथा साथ ही एग्रीमैंन्ट भी किया जाए। (प्रस्ताव की प्रति संलग्न)

कार्यकारी अधिकारी द्वारा दुकान का कब्जा देने से पूर्व किसी भी व्यक्ति जिनको उक्त दुकानें आबंटित की गई थी, से इकरारनामा नहीं लिया व उन्हें दुकानें सौंप दी व इकरारनामें वर्षों बाद प्राप्त करके इकरारनामें की शर्त संख्या 3 के अनुसार किराया इकरारनामें की तिथि से 5 वर्ष बाद 10 प्रतिषत की दर से बढ़ाया जाना स्वीकार कर लिया जिससे परिषद को आज तक लाखों रुपये की राशि की हानि हो चुकी थी जिसका दायित्व सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी का बनता है जिसके लिए परिषद निधि को हानि पहुंचाने के लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त इकरारनामें की शर्त संख्या 2 के अनुसार इकरारनामा केवल एक वर्ष की अवधि के लिए किया गया था तत्पष्चात् कभी भी सम्बन्धित व्यक्ति से इकरारनामा नहीं लिया गया न ही इस बारे कोई भी पत्राचार नस्ति में उपलब्ध था जबकि केवल किराये का ही कार्य देखने के लिए तीन कर्मचारी E.O. द्वारा तैनात किए गए थे जो कि एक आष्चर्यजनक स्थिति थी।

उन खातों के अन्तिम शेषों में इकरारनामें की शर्त संख्या 4 के अनुसार 14 प्रतिषत की दर से ब्याज भी नहीं जोडा गया था व अधिकतर दुकानदारों द्वारा जो उनसे 50 प्रतिषत किराया लिया जाना था, देना भी बन्द कर दिया गया था। अतः समस्त प्रकरण निदेषक शहरी विकास विभाग के ध्यान में उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

bdjkjukes ¼& कार्यकारी अधिकारी द्वारा दुकानों का कब्जा देने से पूर्व व उसके पष्चात समय–समय पर उसकी अवधि पूरी होने पर इकरारनामें नहीं लिए गए थे जिसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए थे :–

¼i½ दुकान नं0 डी0एच0एल0 147 श्री ऋषभ कालिया पुत्र श्री लक्ष्मी कान्त लोयर ढालपुर कुल्लू सैल्फ फाईनैंसिंग स्कीम के अन्तर्गत दिनांक 15.4.2001 से मु0 1050 रुपये मासिक किराए पर दी गई जिसमें से मु0 525 रुपये प्रतिमाह उन द्वारा जमा करवाने थे व आधा किराया मु0 525 रुपये उन द्वारा अग्रिम जमा प्रतिमाह की दर से समायोजित किया जाना था।

उक्त नस्ति के अवलोकन में पाया गया कि दिनांक 15.4.2001 को दुकान का कब्जा देने से पूर्व कार्यकारी अधिकारी द्वारा इकरारनामा नहीं लिया गया जो कि नियमानुसार गलत था। श्री ऋषभ कालिया द्वारा दिनांक 15.11.2005 को इकरारनामा कार्यकारी अधिकारी को दिया गया जिसकी शर्त 3 में श्री ऋषभ कालिया द्वारा स्पष्ट इकरार किया गया था कि किराया इकरारनामें की तिथि से 5 वर्ष बाद 10 प्रतिषत की दर से बढ़ाया जाएगा तथा शर्त संख्या 4 में किराया निर्धारित तिथि पर न देने के लिए 14 प्रतिषत ब्याज दूंगा जिसे कार्यकारी अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया जिससे पालिका को 15.4.01 से 15.11.05 तक गणना में न लेने के कारण 4½ वर्ष की अवधि का किराया न बढ़ाने के कारण मु0 105 रुपये प्रतिमास की दर से 5,670 रुपये (1050 X 10%= 105रु0 X 54मास) की सीधे परिषद को

हानि पहुंचाई गई जिसका सीधे तौर पर कार्यकारी अधिकारी का दायित्व था।(इकरारनामें की छाया प्रति संलग्न)

¼ii½ प्रस्ताव संख्या 3, दिनांक 16.8.2000 के सन्दर्भ में E.O. से बार–बार मद सूचना देने को कहा गया कि इन S.F.S. दुकानों के निर्माण में कुल कितना व्यय किया गया व कितना वसूला गया था, किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः समस्त प्रकरण निदेषक, शहरी विकास विभाग के स्मरण में लाया जाता है।

¼iii½ इकरारनामों की शर्त संख्या 4 में प्रावधान किया गया था कि निर्धारित अवधि/6मास तक किराया अदा न करने की स्थिति में 14 प्रतिषत ब्याज का अतिरिक्त रूप से दण्ड स्वरूप समस्त किराएदारों से मांग करके वसूला जाना था किन्तु E.O. द्वारा ऐसा न करके परिषद को लाखों रुपये की आय का नुकसान पहुंचाया गया जिसका दायित्व निर्धारित करके दोषी कर्मचारी से वूसला जाए। अगले पृष्ठ पर दिए गए विवरण के साथ–साथ अन्य सभी केसों में विभागीय स्तर पर जांच करके प्रति 6 मास बाद 14 प्रतिषत ब्याज सहित गणना करके अंकेक्षण से सत्यापित करवाया जाए व इस आषय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए जिसमें स्पष्ट किया गया हो कि समस्त केसों में D.E.C में प्रविष्टि करके वसूली की जा रही है व अनुपालना अंकेक्षण से सत्यापित करवाई जाए।

¼iv½ iLrko l[;k 8] fnukd 29-8-03 }kjk ikfjr iLrko d vUrxkr fufer lYQ Qkbuflx Ldhe dh nqdkuk d vkcVu o bdjkjukek ckj %&

नगर परिषद कुल्लू की साधारण बैठक दिनांक 29.8.03 को प्रस्ताव संख्या 8 द्वारा सर्व सम्मति से पारित किया गया कि गंगा ट्रेडर/ढ़ालपुर/लोअर ढ़ालपुर में सैल्फ फाईनैंसिंग स्कीम के तहत बनाई गई दुकानेां के किराएदारों को कार्यालय से लीज डीयु बनाते हुए 30 सितम्बर 2003 तक का आखिरी मौका दिया जाए अन्यथा दुकानें/स्टाल/बूथ को पुनः नियमानुसार आबंटित किया जाए।

सम्बन्धित नस्तियों के अवलोकन से पाया गया कि कार्यकारी अधिकारी द्वारा उन व्यक्तियेां को उक्त दुकानों/स्टालों व बूथों को बिना इकरारनामा प्राप्त किए आबंटित कर दिया जिन्होंने इसके लिए नगर परिषद में राशियां जमा करवाई थी। वर्षों बाद जब उन व्यक्तियों द्वारा अपने–अपने इकरारनामें नगर परिषद कार्यालय में दिए गए जिन्हें कार्यकारी अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया कि क्लाज संख्या 3 में 10 प्रतिषत की दर से 5 वर्ष बाद किराया बढ़ाने का प्रावधान इकरारनामा बनाने की तिथि से मान्य होगा, क्लाज संख्या 4 में 6 माह तक किराया अदा न करने की स्थिति में 14 प्रतिषत वार्षिक दर से दण्ड ब्याज प्राप्त करने का प्रावधान था तथा क्लाज संख्या 14 में एक वर्ष बाद इकरारनामा की अवधि समाप्त होने के 15 दिन के भीतर नया इकरारनामा दाखिल न करने पर दो–गुणा किराया वसूलने का प्रावधान किया गया था किन्तु कार्यकारी अधिकारी द्वारा उक्त वर्णित किसी भी क्लाज के दृष्टिगत कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी जिससे परिषद को लाखों रुपयों की हानि हुई।

कार्यकारी अधिकारी का दायित्व था कि वे दुकान का कब्जा देने से पूर्व उनसे इकरारनामा प्राप्त करते किन्तु उन द्वारा ऐसा नहीं किया गया व किराएदारों द्वारा वर्षों बाद इकरारनामें बनवाए गए व उसी के दृष्टिगत 5 वर्ष बाद 10 प्रतिषत की दर से किराया बढ़ाना स्वीकारा गया व एक बार इकरारनामा यदि किसी द्वारा बनाया भी गया था एक वर्ष बाद पुनः इकरारनामा नहीं बनवाया गया जिसका समस्त दायित्व कार्यकारी अधिकारी का था जिससे लाखों रुपये की हानि नगर परिषद को उन द्वारा पहुंचाई गई व लाखों रुपये की वसूली 31.3.07 को उनसे किराए के रूप में की जानी शेष थी जिस पर उन द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई।

¼**1**½ प्रस्ताव संख्या 3, दिनांक 16.8.2000 को नगर परिषद द्वारा पारित लोअर ढ़ालपुर से सरवरी की ओर व ढ़ालपुर जल षिकायत घर से बिजलीघर की ओर सैल्फ फाईनैंसिंग स्कीम के अन्तर्गत निर्मित दुकानों का विवरण जो नस्तियां अंकेक्षण में प्रस्तुत की उसे अलाट करने की तिथि व इकरारनामा करने का विवरण निम्न प्रकार से जिसका किराया इकरारनामें की तिथि से 5 वर्ष बाद बढ़ाना E.O. द्वारा स्वीकारा गया।

	0;fDr ftl s nqdku nh xbZ	dCtk nsus dh frfFk	bdjkjukek dh frfFk o vof/k	vUrjky o fu/kkZfjr fdjk;k	gkfu
1	श्री ऋषभ कालिया पुत्र श्री लक्ष्मी कान्त दुकान नं0 147	15.4.01	15.11.05 1 वर्ष	54 मास X 105 @ 1050 P.M.	5670.00

2	श्री सुरेन्द्र कुमार दुकान नं0 145	15.4.01	24.1.02 1 वर्ष	9 मास X 100 @ 1000 P.M.	900.00
3	श्री राजेन्द्र पुत्र श्री रोषन लाल दुकान नं0 142	15.4.01	10.8.02 1 वर्ष	16 मास X 100 @ 1000 P.M.	1600.00
4	श्री विकास पुत्र श्री राकेश कुमार दुकान नं0 144	15.4.01	22.5.02 1 वर्ष	13 मास X 100 @ 1000 P.M.	1300.00
5	श्री हरि राम दुकान नं0 146	15.4.01	22.1.02 1 वर्ष	9 मास X 100 @ 1000 P.M.	900.00
6	श्री मनोज शर्मा, पुत्र श्री नैन प्रकाश दुकान नं0 149	15.7. 2000	23.11.01 1 वर्ष	17 मास X 100 @ 1000 P.M.	1700.00
7	श्री गिरघर पुत्र श्री नरोतम दुकान नं0	5.7.03	10.5.07 1 वर्ष	46 मास X 100 @ 1000 P.M.	4600
	ukV%& 'ks"k 8 ufLr;ka miyC/k ugha djokbZ xbZ			;ksx	16]670-00

¼2½ ftUgsa 1-8-01 dks fcuk bdjkjukek ds vykV fd;k x;k Fkk iLrko l0 8] fnukad 29-8-03 }kjk lIYQ Qkbusal Ldhe xsxk VsMj@<kyiqj@ykvj <kyiqj ds bdjkjukeksa dk fooj.k :–

	0;fDr ftlsa nqdku nh xbZ	dCtk nus dh frfFk	bdjkjukek dh frfFk o vof/k	vUrjky o fu/kkZfjr fdjk;k	gkfu
1	श्री मति तारा देवी दुकान नं0 158	1.8.01	23.8.05 1 वर्ष	49 मास X 278 @ 2275 P.M.	11,172.00
2	श्री षिवकुमार दुकान नं0 157	1.8.01	5.2.07 1 वर्ष	66 मास X 230 @ 2300 P.M.	15,180.00
3	श्री राम सिंह दुकान नं0 140	1.8.01	13.5.05 1 वर्ष	46 मास X 226 @ 2260 P.M.	10,396.00

4	श्री बाल कृष्ण दुकान नं0 141	1.8.01	8.9.03 1 वर्ष	25 मास X 227 @ 2270 P.M.	5675.00
5	श्री सुरेन्द्र सिंह दुकान नं0 139	1.8.01	10.8.01	2 मास X 100 @ 1000 P.M.	200.00
6	श्री अषोक कुमार दुकान नं0 140	1.8.01	22.7.02	12 मास X 108 @ 1080 P.M.	1296.00
7	श्री राजीव कुमार दुकान नं0 159	1.8.01	31.8.06	61 मास X 260 @ 2600 P.M.	15,860.00
8	श्री मति लता देवी		20.10.03	27 मास X 225 @ 2250 P.M.	6075.00
	नोटः– 8 नस्तियां उपलब्ध करवाई गई थी			;kx	65]854-00
				dqy ;kx	82]524-00

4¼d½ <u>clUr mRlo ds nkSjku o"kZ 2006 ds nkSjku vkj&4 jlhn cqdksa dks tkjh djus ckjs rFkk vU; o"kksZa esa th&8 jlhn cqdksa dks tkjh djrs le; i"B la[;k dk ¼lVhZfQdsV½ iek.k i= ugha fn;k x;kA</u>

निम्नलिखित आर'–4 रसीद बुकें जो कि वर्ष 2006 में बसन्त उत्सव के दौरान जारी की गई थी उनमें आर–4 रसीद बुकों पर कार्याकारी अधिकारी का सत्यापित किया हुआ प्रमाण पत्र न था कि रसीद बुक में कितनी आर–4 रसीदें हैं जो कि गम्भीर अनियमितता है, जिससे परिषद की आय की दुर्विनियोजन की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अतः भविष्य में पृष्ठ संख्या का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरों से अंकित करना सुनिष्चित किया जाए का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

<u>vkj&4 jlhn cqd uEcj %&</u> 481, 482, 483, 484, 486, 488, 379, 378, 377.

निम्नलिखित जी–8 रसीद बुकें जो कि अन्य वर्षों में जारी की गई थी उनमें जी–8 रसीद बुकों पर कार्याकारी अधिकारी का सत्यापित किया हुआ प्रमाण पत्र न था कि रसीद बुक में कितनी जी–8 रसीदें हैं जो कि प्रमाणित किया जाना अनिवार्य था का विवरण निम्न प्रकार से है :–

ekg	th&8 jlhn cqd u0	fVIi.kh
10/2001	76, 63, 77, 78, 52, 79, 71, 80	जी–8 रसीद बुक पर रसीदों की संख्या का प्रमाण पत्र न दर्षाया गया।
10/2002	181, 182, 179, 175, 183, 184, 170, 185, 186	जी–8 रसीद बुक पर रसीदों की संख्या का प्रमाण पत्र न दर्षाया गया।
10/2003	301, 302, 263, 277, 303, 300, 305	जी–8 रसीद बुक पर रसीदों की संख्या का प्रमाण पत्र न दर्षाया गया।
3/2005	533, 535, 534, 516, 537, 536, 540, 539, 541, 543, 542, 544, 546, 547, 549, 553	जी–8 रसीद बुक पर रसीदों की संख्या का प्रमाण पत्र न दर्षाया गया।
3/2006	658, 600, 667, 687, 659, 671, 672, 673, 675, 691	जी–8 रसीद बुक पर रसीदों की संख्या का प्रमाण पत्र न दर्षाया गया।
10/2006	717, 713, 719, 721, 718	जी–8 रसीद बुक पर रसीदों की संख्या का प्रमाण पत्र न दर्षाया गया।

4¼e½ cIUr mRlo o"k 2006 ds nkjku rg ctkjh dh eq0 3050 #i;s dh de olwyh

नगर परिषद कुल्लू के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि बसन्त उत्सव 2006 के दौरान (28.4.06 से 7.5.06 तक) स्टालों की तह बजारी काफी कम ली गई जो कि परिषद ने 300 रुपये प्रति प्लॉट आंकी थी परन्तु अभिलेख की छानबीन के दौरान कुछ स्टालों से 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, के हिसाब से तहबजारी ली गई थी जो कि उचित नहीं थी कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं जिनसे कम तहबजारी ली गई। इससे नगर परिषद को 3050 रुपये की हानि हुई की वसूली दोषी कर्मचारी से करके या उत्तरदायित्व निर्धारित करके राशि की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाएं।

fnukad	jlhn u0	jkf'k tks iklr dh xbZ	jkf'k tks iklr gkuh Fkh	jkf'k tks de iklr dh xbZ
3.5.06	165/110	200 रुपये	300 रुपये	100 रुपये
4.5.06	182/110	200 रुपये	300 रुपये	100 रुपये
4.5.06	183/110	200 रुपये	300 रुपये	100 रुपये
4.5.06	184/110	200 रुपये	300 रुपये	100 रुपये
4.5.06	185/110	200 रुपये	300 रुपये	100 रुपये
5.5.06	1/114	200 रुपये	300 रुपये	100 रुपये
5.5.06	2/114	250 रुपये	300 रुपये	50 रुपये
5.5.06	3/114	200 रुपये	300 रुपये	100 रुपये
5.5.06	4/114	200 रुपये	300 रुपये	100 रुपये
8.5.06	6/114	50 रुपये	300 रुपये	250 रुपये
8.5.06	8/114	100 रुपये	300 रुपये	200 रुपये
8.5.06	7/114	200 रुपये	300 रुपये	100 रुपये
8.5.06	9/114	100 रुपये	300 रुपये	200 रुपये

8.5.06	10/114	100 रुपये	300 रुपये	200 रुपये
8.5.06	11/114	100 रुपये	300 रुपये	200 रुपये
8.5.06	12/114	200 रुपये	300 रुपये	100 रुपये
8.5.06	14/114	50 रुपये	300 रुपये	250 रुपये
8.5.06	15/114	50 रुपये	300 रुपये	250 रुपये
8.5.06	16/114	100 रुपये	300 रुपये	200 रुपये
8.5.06	17/114	50 रुपये	300 रुपये	250 रुपये
				3050 #i;s

4¼f½ iklr vk; dh vfu;fer olwyh ls 7500 #i;s dh gkfu %&

नगर परिषद लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा मेलों के दौरान प्लाटों की रसीदें काटने के बाद तहबजारी की राशि वापिस की गई थी जबकि एक बार प्लाट की तहबजारी पर्ची काटने के बाद राशि लौटाने का कोई औचित्य नहीं होता तहबजारी राशि वापिस तभी की जाती है जब एक ही प्लाट की दो पर्ची काटी गई हैं। इन केसों में जिसका उल्लेख नीचे दिया जा रहा है के प्लाटों की एक ही तहबजारी पर्ची काटी गई थी तब राशि लौटाने का स्वाल ही पैदा नहीं होता था यह केवल अनावष्यक लाभ देने हेतु राशि की वापसी नगर परिषद द्वारा की गई थी जिससे परिषद के मु0 7500 रुपये की हानि का सामना करना पड़ा है। इस राशि को दोषी कर्मचारी से वसूल करके परिषद कोष में जमा करवाएं तथा की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को सूचित करें।

Øe l[;k	vof/k	jkf'k	fooj.k
30	5/01	2500.00	तहबजारी 496/67 रसीद दिनांक 26.4.01 को काटी गई थी जिसको 5/01 में वापिस किया गया।
97	10/02	2000.00	विवेक शर्मा को भुगतान किया गया।
118	10/02	3000.00	सुरेश शर्मा को भुगतान किया गया।
		7500-00	

4¼g½ n'kgjk mRlo o"kZ 2006 ds nkSjku vkj&4 jlhn cqdksa dks tkjh djus ckjs %&

निम्नलिखित आर–4 रसीद बुकें जो कि वर्ष 2006 में दषहरा उत्सव के दौरान जारी की गई थी उनमें आर–4 रसीद बुकों पर कार्यकारी अधिकारी का सत्यापित किया हुआ प्रमाण–पत्र न था कि रसीद बुक में कितनी आर–4 रसीदें हैं जो कि प्रमाणित किया जाना आवष्यक था का विवरण निम्न प्रकार से है :–

vkj&4 jlhn cqd u0 %&

491, 479, 485, 489, 498, 451, 452, 463, 462, 461, 453, 476, 456, 455, 499, 478, 490, 460, 459, 465, 497, 492, 477, 464, 458, 454, 480, इन आर–4 रसीद बुकों पर रसीद संख्या का प्रमाण–पत्र अंक्ति करके आगामी अंकेक्षण में बताया जाना सुनिष्चित करें।

4¼h½ n'kgjk mRlo 2006 ds nkSjku vkj&4 jlhnksa ls ikIr vk; dk ;ksx xyr n'kkZus ds dkj.k 250 #i;s dks"k esa de tek fd, x, %&

fooj.k fuEu izdkj ls gS %&

fnukad	vkj&4 jlhn u0	ikIr jkf'k tks n'kkbZ xbZ	okLro esa ikIr vk;	;ksx esa de vk; n'kkZus ckjs
18.10.06	1 से 200 / 458, 1 से 55 / 464	15,400 रुपये	15,500 रुपये	100 रुपये
24.10.06	47 से 200 / 491	8300 रुपये	8350 रुपये	50 रुपये
23.10.06	14 से 153 / 478	7600 रुपये	7650 रुपये	50 रुपये
25.10.06	178 से 200 / 477 1 से 35 / 496	2850 रुपये	2900 रुपये	50 रुपये
			;ksx	250 #i;s

उपरोक्त राशि को जो योग गलत करने के कारण कम दर्षाया गया था की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाया जाए।

4¼i½ xgdj dk fu/kkZj.k ekdsZV oSY;w ls de dj yk[kksa dh {kfr %&

गृहकर निर्धारण वर्ष 1997 में किया गया था परन्तु गृहकर को निर्धारित मान–दण्डों के अर्न्तगत तय नहीं किया गया तथा इसको मनमाने ढ़ंग से कम दरें पर लगाया गया। इस प्रकार मार्केट वैल्यु के अर्त्तगत गृहकर न लगा कर समयवतः लगातार लाखों की क्षति प्रतिवर्ष

हो रही है। अतः इससे पुनः निर्धारण किया जाना आवष्यक तथा गृहकर को कम लगाने के लिए जिम्मेवारी तय की जाए। इस पैरे का पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ए' में है।

4¼j½ <u>31-3-07 dk xgdj dh e0 28]84]700-00 #i;s dh Hkkjh jde olwyh gsrq yfEcr iMh Fkh</u> %&

नगर परिषद द्वारा प्रतिवर्ष लाखों रुपये की गृह कर की वसूली गृह कर दाताओं से नहीं की जा रही थी तथा न ही कार्याकारी अधिकारी द्वारा कोई विषेष पग उठाए गए थे जिसके फलस्वरूप परिषद के विकास कार्य करने व आय में काफी कमी आई थी। 31.3.07 को परिषद द्वारा मु0 28,84,700.00 रुपये की गृह कर की वसूली की जानी अपेक्षित थी जिसका उल्लेख इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''अ–VI'' में दर्षाया गया है। इस राशि की वसूली करने की और विषेष पग उठाए जाएं।

4¼k½ <u>ikbusV ikB'kkyk ls xgdj u olwys tkus ds QyLo:i 2]10]000-00 #i;s dh vk; dh gkfu</u> %&

नगर परिषद द्वारा 4/01 से पूर्व से ही अंबर लेडिज़ ऑफ स्नो पाठषाला का गृह कर नहीं लिया गया था जो अत्यन्त आपतिजनक था। नियमाधीन प्राईवेट पाठषालाओं के भवन का गृह कर लिया जाना अपेक्षित था। उक्त पाठषाला का प्रतिवर्ष मु0 35,000.00 रुपये गृहकर का निर्धारण किया गया था जो 4/01 से 3/07 तक मु0 2,10,000.00 रुपये बनता था को लिए जाने बारे परिषद ने कोई पग नहीं उठाए थे इस बारे जब सम्बन्धित प्रभारी को पूछा गया तो उस द्वारा कोई जबाब न दिया गया। मु0 2,10,000.00 रुपये की वसूली के साथ–साथ पूर्व में न लिये गये गृहकर की वसूली भी की जाए व की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा गृहकर न लिए जाने बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाए।

4¼l½ <u>e0 16]550-00 #i;s dh uxj ifj"kn foJke&xg dh Yys e Bgjus oky s ljdkjh@xSj ljdkjh o vU; ls de fdjk;k olwyh</u> %&

अंकेक्षण अवधि 4/01 से 3/07 तक नगर परिषद विश्राम–गृह से सम्बन्धित अभिलेखों (विश्राम–गृह रजिस्टर, जी–8 रसीद बुक्स तथा जनरल कैश बुक्स) के अवलोकन से पाया गया कि विभिन्न तिथियें में ठहरने वाले सरकारी/गैर सरकारी व अन्य से जो किराये की वसूली की गई थी वह अनियमित थी तथा सरकारी–अधिकारियों/सरकारी कर्मचारियों को पूर्ण विवरण तथा पता रजिस्टर में दर्ज न किया गया था। जिससे पता चलता है कि विश्राम–गृह में ठहरने वाले क्या वास्तव में सरकारी अधिकारी/सरकारी कर्मचारी थे तथा कई मामलों में ठहरने वालों से विश्राम–गृह के किराये की वसूली कम दर से या वसूली की ही न गई थी, जो कि अनियमित थी। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्राम–गृह प्रभारी अधिकारी द्वारा विश्राम–गृह रजिस्टर का निरीक्षण न किया गया था। उपरोक्त मामलों के विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ठ ''बी'' में दिये गये है। अतः आय की कम प्राप्त राशि मु0 16,550 रुपये

की वसूली करके नगर परिषद कोष में जमा करवा दी जाए तथा की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4¼m½ e0 2922 #i;s dh uxj ifj"kn jsLV gkÅl ls izkIr vk; dks jksdM cgh esa tek u djokus ds QyLo:i jkf'k dk lEHkkfor xcu ½&

अंकेक्षण अवधि 4/01 से 3/07 तक नगर परिषद रैस्ट हाऊस से सम्बन्धित अभिलेखों (जी–8 रसीद बुक्स, रैस्ट हाऊस रजिस्टर तथा जनरल कैश बुक) के अवलोकन से पाया गया कि निम्न तिथियों में विभिन्न जी–8 रसीद बुक्स से जो रैस्ट हाऊस से आय प्राप्त की गई का इन्द्राज प्रविष्टि कैश बुक में नहीं की गई तथा ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्राप्त आय को जमा ही नहीं करवाया गया था का विवरण निम्न प्रकार से है :–

th&8 jlhn la[;k	frfFk	jkf'k	fVIi.kh
19/6	28.5.2001	200 रुपये	कैश बुक में इन्द्राज नहीं किया गया।
19/9	28.9.2001	200 रुपये	कैश बुक में इन्द्राज नहीं किया गया।
19/10	20.10.2001	50 रुपये	कैश बुक में इन्द्राज नहीं किया गया।
19/11	8.11.2001	50 रुपये	कैश बुक में इन्द्राज नहीं किया गया।
19/34	4.7.2002	200 रुपये	कैश बुक में इन्द्राज नहीं किया गया।
314/15	30.7.2004	200 रुपये	कैश बुक में इन्द्राज नहीं किया गया।
314/18	6.11.2004	472 रुपये	कैश बुक में इन्द्राज नहीं किया गया।
314/27	31.5.2005	200 रुपये	कैश बुक में इन्द्राज नहीं किया गया।
314/36	26.6.2005	100 रुपये	कैश बुक में इन्द्राज नहीं किया गया।
669/14	13.9.2006	50 रुपये	कैश बुक में इन्द्राज नहीं किया गया।
669/15	13.9.2006	50 रुपये	कैश बुक में इन्द्राज नहीं किया गया।
669/16	18.9.2006	50 रुपये	कैश बुक में इन्द्राज नहीं किया गया।
669/17	22.9.2006	200 रुपये	कैश बुक में इन्द्राज नहीं किया गया।

669/18	27.9.2006	200 रुपये	कैश बुक में इन्द्राज नहीं किया गया।
669/19	29.9.2006	200 रुपये	कैश बुक में इन्द्राज नहीं किया गया।
669/20	8.10.2006	250 रुपये	कैश बुक में इन्द्राज नहीं किया गया।
669/22	25.11.2006	200 रुपये	कैश बुक में इन्द्राज नहीं किया गया।
669/23	6.12.2006	50 रुपये	कैश बुक में इन्द्राज नहीं किया गया।
		2922 #i;s	

उपरोक्त राशि को नगर परिषद कोष में जमा करवाया जाए तथा की गई कार्रवाई से इस निदेशालय को अवगत करवाया जाए।

4¼n½ <u>LFkkoj lEifr dk 'kYd ¼**Duty on transfer of Immoveable Property**½ dh olwyh de djus ls e0 6]88]768-00 #i;s dh vk; dh gkfu</u> %&

नगर परिषद कुल्लू के अवधि 3/01 से 3/07 तक के अंकेक्षण दौरान अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा वित्तायुक्त एवं सचिव (षहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या LSG-D(1)-9/94 दिनांक 24.8.2000 की क्रम संख्या 6 के अनुसार उक्त सम्पति के स्थानांतरण शुल्क के रूप में 2% of the amount अर्थात भूमि के क्रय विक्रय मुल्य का 2% शुल्क के स्थान पर क्रय–विक्रय पर स्टाम्प शुल्क का 2% की दर से शुल्क वसूला गया जिसका विवरण संलग्न है। जिससे परिषद को वार्षिक लाखों रुपये की आय से वंचित होना पड़ा इस सन्दर्भ में परिषद का कहना है कि निदेषक शहरी विकास के ज्ञापनानुसार स्टाम्प डयूटी पर 2% शुल्क वसूला गया किन्तु यदि निदेषालय स्तर पर ऐसे आदेश भी थे तो इसमें संषोधन करने के लिए प्रदेश सरकार सक्षम थी न की शहरी विकास विभाग अपने स्तर पर संषोधन करने के लिए सक्षम था। अतः परिषद को उक्त शुल्क की प्राप्ति में वार्षिक लाखों रुपये की आय से उपरोक्त कारणों से वंचित होना पड़ा जिसका दायित्व सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी का था व अंकेक्षण अवधि में जितना भी भूमि का क्रय विक्रय हुआ उसकी रजिस्ट्रीयों की प्रतियां तहसील कार्यालय से प्राप्त करके लिए जाने वाले शुल्क की गणना करके (–) लिए गए शुल्क को घटाकर शेष वसूली योग्य राशि की गणना करके वसूली की जाए जो मु0 6,88,768.00 रुपये बनती है, इस का विवरण परिशिष्ठ ''c'' में दिया गया है।

4¼o½ <u>fu/kkZfjr nj ij rgcktkjh ikl u djus dk QyLo:i e0 1]15]300-00 #i;s dh vk; dh gkfu</u> %&

नगर परिषद कुल्लू के द्वारा दषहरा 2002–2003 में तहबजारी के लिए जो दर सूची जारी की गई थी उसमे निर्धारित तहबजारी शुल्क से कम शुल्क लेकर नगर परिषद को

1,15,300.00 रुपये की हानि पहुंचाई गई। कम शुल्क लिए जाने वाले कर्मचारी/अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करके समस्त राषि की वसूली करनी सुनिष्चित करें अन्यथा कार्याकारी अधिकारी इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें। अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण में की जाए। कम ली गई राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट ''d'' में दर्षाया गया है।

4¼p½ uxj ifj"kn d|Yy| }kjk gkVyk@xLV gkÅl l| de xgdj dk fu/kkj.k dju| d| QyLo:i 50]76]594-00 #i;| dh gkfu ¼&

नगर परिषद कुल्लू द्वारा होटलों/गैस्ट हाऊसों से गृहकर 12½ प्रतिषत लेने के लिए गृहकर–निर्धारण रजिस्टर का रख–रखाव न किया गया था। गृहकर–निर्धारण के लिए सम्बन्धित होटलों/गैस्ट हाऊसों की फाईलों का ही रख–रखाव किया गया था, उन फाईलों में गृहकर से सम्बन्धित विधिवत अभिलेख न पाये गए थे। होटलों/गैस्ट हाऊसों का बहुत ही कम गृहकर लगाया गया था। होटलों/गैस्ट हाऊसों के कमरों का भी अभिलेख पूर्ण रूप से न पाया गया कि कितने सैट हैं तथा दैनिक किराया किस दर पर उन सैटों को चार्ज किया जा रहा हैं। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म विभाग के रजिस्टर्ड होटलों/गैस्ट हाऊसों की सूची प्राप्त करके उसी के आधार पर 60 दिनों की Occupency व उस पर 40 प्रतिषत की छूट देकर 12½ की दर से गृहकर का निर्धारण करके जो गृहकर वसूली योग्य बनता है, जो कि 4/01 से 3/07 तक होटल मालिकों/गैस्ट हाऊस मालिकों से लेना बनता है कि गणना करके अन्तर को निकाला गया है जिसकी सूची साथ संलग्न हैं। सचिव नगर परिषद कुल्लू इस ओर पग उठाएं कि होटल मालिकों/गैस्ट हाऊस मालिकों से गृहकर कम क्यों लिया गया। होटलों/गैस्ट हाऊसों की सूची जो शहर में रजिस्टर्ड होटल/गैस्ट हाऊस है हिमाचल प्रदेश टूरिज्म से इस बारे सूची प्राप्त की जा सकती थी और नियमानुसार गृहकर का निर्धारण किया जा सकता था। इस बारे सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेवारी निर्धारित की जाए तथा नगर परिषद को गृहकर से प्राप्त आय में हानि पहुंचाने का औचित्य दिया जाए। विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''e'' में दिया गया है।

4¼q½ ikfd|x LFkyk d| fuek.k ij e|0 8]34]857-00 #i;| dh Hkkjh jkf'k dk 0;; ijUr| vk; 'kU; ¼&

नगर परिषद कुल्लू ने अपनी आय की बढ़ौतरी करने के प्रयोजन से नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न स्थानों में पार्किंग स्थलों का निर्माण किया जिसमें लाखों रुपयों का व्यय किया। जिन पार्किंग स्थलों का निर्माण किया उनका वर्णन नीचे दिया जा रहा है। इन निर्मित पार्किंग स्थलों सें अंकेक्षण अवधि तक किसी भी प्रकार की पार्किंग फीस की आय परिषद कोष में जमा न हुई है जिससे परिषद को लाखों रुपये की हानि हुई है। यदि परिषद ने पार्किंग स्थलों से

आय प्राप्त नहीं करनी थी तो पार्किंग स्थलों का निर्माण क्यों करवाया तथा परिषद कोष का दुरूपयोग क्यों किया कार्याकारी अधिकारी को इस सम्बन्ध में जारी की गई अधियाचना मे स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था, परन्तु उक्त अधिकारी द्वारा कोई जबाव नहीं दिया गया जिससे स्थिति स्पष्ट होती है कि कार्याकारी अधिकारी द्वारा परिषद की आय को हानि पहुंचाते हुए पार्किंग फीस नहीं ली गई थी और पार्किंग स्थल के निर्माण पर परिषद निधि को व्यय किया जबकि पार्किंग फीस नगर परिषदों की आय का एक अच्छा स्त्रोत रहता है।

ikfdlx LFky dk uke	0;;		
गान्धीनगर, ढालपुर कुल्लू	okÅpj l[;k	vof/k	jkf'k
	87	7/05	61,574.00
	72	1/06	75,298.00
	30	2/06	37,461.00
	60	2/07	14,590.00
रामा सामुदायिक भवन ढालपुर कुल्लू	113	10/04	59,365.00
	66	9/04	1,05,115.00
	64	10/04	85,115.00
	55	12/04	33,822.00
राम शीला कुल्लू	57	10/01	50,000.00
	66	10/01	17,742.00
	70	10/03	12,260.00
सरवरी, कुल्लू	74	4/05	1,00,000.00
	24	5/05	4,030.00
रा0व0मा0 पाठषाला(छात्र)	84	1/07	1,45,174.00

सुलतानपुर कुल्लू

	18	3/07	33,311.00
			8]34]857-00

सा0वा0 गैस्ट हाऊस ढालपुर कुल्लू का निर्माण 4/01 से पूर्व किया गया था।

4¼r½ v'knk;h Hkfo"; fuf/k [kkrk dk vfu;fer j[k&j[kko %&

नगर परिषद कुल्लू के अंकेक्षण अवधि 1.4.01 से 31.3.07 तक के अंषदायी भविष्य निधि लेजर (P.F-1) में तैयार किए गए परिषद कर्मचारियों के खातों की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि समस्त खातों के वार्षिक योग व आरम्भिक शेष कच्ची पैंसिल से किए गए हैं जबकि उक्त योग लाल पैन से करके सम्बन्धित कार्याकारी अधिकारी के द्वारा सत्यापित होने चाहिए थे।

उक्त खातों को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता जब तक प्रत्येक खाते के वार्षिक योग व आरम्भिक शेष सम्बन्धित कार्याकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित न हों व वर्ष 2000–2001 के अन्तिम शेष प्रमाणित न किए गए हों। अतः उक्त खातों को नियमानुसार तैयार करके आगामी अंकेक्षण में बताया जाना सुनिष्चित करें।

5 LFkkiuk %&

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा किए गए काम की नियमानुसार माप पुस्तिका में गणना के अभाव में 24,618.00 रुपये की मजदूरी का अनुचित भुगतान।

5¼a½ नगर परिषद द्वारा पीरढ़ी में कुडा दबाने हेतु मु0 24,618.00 का भुगतान दैनिक भोगी कर्मचारियों को किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार है। दैनिक भोगी कर्मचारियों ने प्रतिदिन क्या–क्या कार्य किया गया का इन्द्राज माप पुस्तिका में नहीं किया गया था। मजदूरों द्वारा किए गए कार्य की गणना माप पुस्तिका में की जानी आवष्यक थी, बिना माप पुस्तिका के इन्द्राज़ के व्यय को उचित नहीं माना जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि बिना कार्य के भुगतान किया गया था। अतः समस्त राशि की वसूली करके नगर परिषद कोष में जमा करवाएं तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए निम्न के अतिरिक्त इस पर किए गए व्यय की गणना करके सम्बन्धित राशि को भी जमा करवाया जाए।

okÅpj l[;k	vof/k	jkf'k
26	4/01	2,550.00
26	5/01	3,162.00

33	6／01	3,060.00
13	7／01	3,162.00
14	8／01	3,060.00
30	9／01	3,162.00
23	10／01	3,162.00
17	11／01	3,300.00
		24]618-00

5¼b½ fgekpy izns'k ljdkj dh iwoZ vuqefr ds fcuk vo/k fu;qfDr ds QyLo:i ifj"kn ij 1]98]229-00 #i;s dk fQtwy [kpZ %&

नगर परिषद के व्यय वाऊचरों की जांच पड़ताल में पाया गया कि श्री मोहिन्द्र सिंह कार्यकारी अधिकारी द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के लागू आदेषों की उल्लंधना करके श्री नारायण ठाकुर की सरकार की पूर्व अनुमति लिए बिना दैनिक वेतन पर नियुक्ति की गई। निदेषक शहरी विकास द्वारा भी इस नियुक्ति को अवैध ठहराया गया था। सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नियुक्तियों पर रोक होने के कारण अंकेक्षण द्वारा इस नियुक्ति के सन्दर्भ में सरकार की अनुमति को प्रस्तुत करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना जारी की गई थी जिसका कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हो सका। अतः इस सन्दर्भ में सरकार की स्वीकृति प्रस्तुत की जाए अन्यथा अनियमित व्यय की 1,98,229.00 रुपये की राशि की वसूली उक्त कार्यकारी अधिकारी से करके परिषद कोष में जमा करवा दी जाएं व्यय का ब्यौरा इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''f'' में उपलब्ध है।

5¼c½ vo/k :i ls fjgk;'kh edku dk vkcaVu %&

प्रधान／कर्मचारी अधिकारी द्वारा अनाधिकृत रूप से श्री नारायण ठाकुर को दैनिक वेतन पर एस0जे0एस0आर0 में तैनात किया था इस दैनिक भोगी कर्मचारी को 30.9.2000 को कार्याकारी अधिकारी के द्वारा खाली किए दो कमरों का आवास आबंटित किया गया था। दैनिक भोगी कर्मचारी के किसी प्रकार के आवास देने का कोई प्रावधान नहीं हैं इससे 30.9. 2000 से 31.3.07 तक किसी प्रकार का आवास किराया भी वसूल नहीं किया था जैसा कि आबंटन रजिस्टर से पता चलता है।

प्रथम उक्त कर्मचारी से समस्त अवधि का आवास का किराया वसूल किया जाए तथा कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवैध रूप से दिया गया आबंटन एवं किराया की वसूली न कर के निजि लाभ पहुंचाने पर की गई क्षति के लिए उचित कार्रवाई की जाए।

5¼d½ nSfud osru Hkksxh etnwjksa dks okLrfod osru ls vfrfjDr e0 10]452-00 #i;s dk vf/kd Hkqxrku ¼&

नगर परिषद के मस्टर रोल वाऊचरों की जांच पड़ताल के अन्तर्गत मालूम हुआ कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के उनके वास्तविक वेतन से अधिक मु0 10,452.00 रुपये का अनियमित रूप से भुगतान किया गया था जिसका विवरण एक प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''g'' में दिया गया है। इस अधिक भुगतान की वसूली करके नगर परिषद कोष में जमा करवाएं तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5¼e½¼i½ ljdkj dh vuqefr ds fcuk nSfud osru Hkksxh deZpkfj;ksa dh fu;qfDr;ksa ds QyLo:i e0 6]57]872-00 #i;s dk vuqfpr Hkqxrku ¼&

सरकार/निदेषक शहरी विकास के दिषा निर्देश अनुसार किसी भी व्यक्ति/पात्र को सक्षम अधिकारी की मन्जूरी के बिना दैनिक वेतन पर नहीं लगाया जा सकता था। निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश द्वारा इस सम्बन्ध में साफ अंकित किया गया था कि यदि कोई अधिकारी या समकक्ष किसी भी व्यक्ति को दैनिक वेतन पर बिना सक्षम अधिकारी की मन्जूरी के लगता है तो यह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी। कार्याकारी अधिकारी द्वारा दिषा निर्देश की पालना न करते हुए बेलदार, चालक मेट इत्यादि को दैनिक वेतन पर लगा कर मु0 6,57,872.00 रुपयों का भुगतान किया जो आपतिजनक था । इस राशि के भुगतान के सक्षम अधिकारी की मन्जूरी से नियमित करवाया जाए अन्यथा राशि की वसूली करके कोष में जमा करवाया जाए व की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। व्यय का विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''h'' में उपलब्ध है।

5¼e½¼ii½ ljdkj dh vuqefr fy, fcuk ikdksZa ij cynkjksa dh fu;qfDr;ksa ij 10]36]471-00 #i;s dk vfu;fer O;; ¼&

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान पाया गया कि नगर परिषद ने पार्कों पर बेलदारों को दैनिक वेतन पर कार्य करने हेतु निदेषक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के आदेश के बिना तैनात किया था जो अनियमित था। सरकार के दिषा निर्देश अनुसार बिना निदेषक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश की मन्जूरी के किसी भी दैनिक भोगी/रैगुलर कर्मचारी को नियुक्त नहीं किया जा सकता था। कार्याकारी अधिकारी ने सरकारी आदेषों की अनदेखी करते हुए पार्कों के लिए बेलदार नियुक्त किए, इस व्यय पर निम्न आपत्ति प्रकाश में आई है जिनका निपटान अंकेक्षण के दौरान कार्याकारी अधिकारी नहीं करवा सके। उक्त पर किए गए व्यय का विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''अ–VII'' में दिया गया है।

5¼e½¼iii½ ljdkj dh Lohd`fr ds fcuk fu;qfDr ¼&

नगर परिषद द्वारा कुमारी शैलजा को वर्किंग वुमैन होस्टल ढालपुर कुल्लू में दैनिक वेतन पर वेलदार की नियुक्ति 4/01 से 3/07 तक की थी, जिसकी लगाने की मन्जूरी

निदेषक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश से प्राप्त नहीं की थी। बिना मन्जूरी के दैनिक वेतन पर किसी भी पात्र पर नौकरी पर लगाना अनियमित था। निदेषक ने अपने आदेश मे साफ अंकित किया था कि बिना मन्जूरी पर दैनिक वेतन पर लगाए गए किसी भी कर्मचारी की जिम्मेवारी कार्याकारी अधिकारी की होगी। कार्याकारी अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी के आदेश की अवहेलना की है तथा अपने स्तर पर उक्त बेलदार को दैनिक वेतन पर नियुक्त किया। अवधि 4/01 से 3/07 तक किए गए भुगतान की मन्जूरी सरकार से ले कर व्यय को नियमित करवाए अन्यथा समस्त राशि की सक्षम अधिकारी के आदेषानुसार जिम्मेवारी अनुसार राशि को जमा करवाएं, की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को सूचित करें।

5¼f½ ljdkj dh vuefr d fcuk Vky xkM dh fu;fDr l e0 89]214-00 #i; dh etnjh dk vfu;fer 0;; %&

नगर परिषद के लेखों की जांच पड़ताल के अन्तर्गत यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा श्री प्रेम चन्द को टौल गार्ड के वेतन का भुगतान किया गया जो कि बिना सरकार की अनुमति से नियुक्त किया गया था। सम्बन्धित मस्टर रोल तथा हाजरी पंजिका भी अंकेक्षण में आवष्यक जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई। सक्षम अधिकारी की अनुमति व आवष्यक अभिलेख के अभाव में अदायगी का औचित्य नहीं ठहराया जा सकता अतः उपरोक्त सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व आवष्यक अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए अन्यथा मु0 89,214.00 रुपये (जिसका विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''I'' में उपलब्ध है) की वसूली की जाए।

5¼g½ Vh0Vh0,0 fcy e 535-00 #i; dk vfrfjDr@vf/kd Hkxrku %&

श्री मोहिन्द्र सिंह कार्याकारी अधिकारी द्वारा अपने नगर परिषद नूरपुर से नगर परिषद कुल्लू के लिए स्थानांतरण के समय वाऊचर संख्या 55 अवधि 4/06 द्वारा मु0 2,843.00 रुपये का स्थानातरण यात्रा भत्ता प्राप्त किया था। इस भुगतान में निम्न आपतियां पाई गई :–

¼d½ उक्त अधिकारी द्वारा नूरपुर से कुल्लू के लिए अपनी कार का प्रयोग किया था जिसके विरूद्ध मु0 875 रुपये की राशि प्राप्त की थी। जबकि अपनी कार से यात्रा कार्याकारी अधिकारी द्वारा नही की जा सकती थी। नूरपुर से कुल्लू का बस किराया जो मु0 170 रुपये प्रति सीट की दर से दो सीट (पत्नी सहित) देय था जो मु0 340 रुपये बनता था। कार्याकारी अधिकारी को मु0 535 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया था जो अनियमित था। मु0 535 रुपये की वसूली उक्त अधिकारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करें।

¼[k½ मु0 1300 रुपये का भुगतान यात्रा भत्ता बिल में दिया दर्षाया गया था, जिसका सम्बन्धित अभिलेख रिकार्ड में उपलब्ध नहीं था कि राशि को किस उदेष्य पर व्यय किया गया।

आगामी अंकेक्षण में सम्बन्धित रिकार्ड प्रस्तुत किया जाए अन्यथा राशि की वसूली करनी सुनिष्चित करें।

5¼h½ **e0 15]30]258-00 #i;s dk ekunns; dk vfu;fer Hkqxrku %&**

नगर परिषद के लेखों की जांच पड़ताल में यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के 40 प्रतिषत की दर से मानदेय का भुगतान किया गया जो कि नियमानुसार देय नहीं था। अंकेक्षण द्वारा इस विषय में पूछे जाने पर नगर परिषद द्वारा स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया । अतः इस भुगतान का कोई औचित्य नहीं माना जा सकता। अब मु0 15,30,258.00 रुपये के भुगतान की सरकार से अनुमति प्राप्त करके व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा इसकी वसूली सम्बधित लाभांवित कर्मचारियों से कर ली जाए। की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की अदायगियों से परिहार किया जाए, अन्यथा इसकी पूरी जिम्मेवारी कार्यकारी अधिकारी की मानी जाएगी। व्यय का विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''j'' में उपलब्ध है।

6¼a½ **e0 45]22]925-00 #i;s dk ftyk/kh'k dqYyw o lfpo n'kgjk desVh dqYyw dks vfu;fer Hkqxrku] ;g 0;; ifj"kn dks"k ij mfpr iHkkj u Fkk %&**

नगर परिषद द्वारा जिलाधीश कुल्लू एवं सचिव दषहरा कमेटी कुल्लू को निम्न अदायगीयां की थी जो नगर परिषद द्वारा देय नहीं की जा सकती थी। नगर परिषद द्वारा 4/01 से 3/07 तक मु0 4,52,29,251.00 रुपये की अदायगी उक्त अधिकारी को की थी इसका कोई लेखा जोखा अंकेक्षण में आवष्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही सम्बन्धित अधिकारी द्वारा राशि को तुरन्त जिलाधीश कुल्लू एवं सचिव दषहरा कमेटी कुल्लू से वसूल करके नगर परिषद कोष में जमा करवाएं तथा भविष्य में इस प्रकार के भुगतान से परिहार किया जाए। इससे जो ब्याज हानि नगर परिषद को हुई है की भी पूर्ति की जानी सुनिष्चित करें।

Ø0 l0	vof/k	jkf'k ¼#0½	fooj.k
111	10/02	2,50,000.00	जिलाधीश कुल्लू को भुगतान किया गया।
111(ए)	10/02	3,50,000.00	सचिव दषहरा कमेटी कुल्लू को भुगतान किया गया।
55	10/02	1,00,000.00	सचिव दषहरा कमेटी कुल्लू को भुगतान किया गया।
19	10/03	9,00,000.00	सचिव दषहरा कमेटी कुल्लू को भुगतान किया गया।
20	10/03	4,58,900.00	सचिव दषहरा कमेटी कुल्लू को भुगतान किया गया।

52	10 / 03	4,40,600.00	सचिव दषहरा कमेटी कुल्लू को भुगतान किया गया।
53	10 / 03	2,05,550.00	सचिव दषहरा कमेटी कुल्लू को भुगतान किया गया।
54	10 / 03	78,100.00	सचिव दषहरा कमेटी कुल्लू को भुगतान किया गया।
65	10 / 03	13,50,000.00	सचिव दषहरा कमेटी कुल्लू को भुगतान किया गया।
78	10 / 03	1,70,075.00	सचिव दषहरा कमेटी कुल्लू को भुगतान किया गया।
67	11 / 03	1,19,700.00	सचिव दषहरा कमेटी कुल्लू को भुगतान किया गया।
75	1 / 04	1,00,000.00	जिलाधीश कुल्लू को भुगतान किया।
		45]22]925-00	

6¼b½ e0 1]14]000-00 #i;s dk vukf/kd`r 0;; %&

कार्यकारी अधिकारी द्वारा मु0 1,14,000.00 रुपये का भुगतान वाऊचर संख्या 71 ए अवधि 4 / 02 द्वारा नाबार्ड निधि को किया गया था जो केवल भारत के महा लेखाकार (अंकेक्षण) की अंकेक्षण आपति के निपटान हेतु किया गया था। यह व्यय इस निधि से उचित प्रभार नहीं था। नाबार्ड निधि से इस राशि का भुगतान कार्याकारी अधिकारी द्वारा बावत एक्साइज़ डियूटी के एवज में किया गया था, जो नाबार्ड निधि के नियमानुसार देय नहीं था। इस राशि का भुगतान कार्याकारी अधिकारी द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए किया जिस पर महालेखाकार (अंकेक्षण) षिमला हिमाचल प्रदेश द्वारा आपति की गई। कार्याकारी अधिकारी द्वारा महालेखाकार (अंकेक्षण) की आपति का निपटान करने हेतु राशि को नगर परिषद से निकाल कर नाबार्ड निधि में जमा करवाया जो अत्यन्त आपतिजनक था। इस राशि की वसूली सम्बन्धित फर्म से की जाए अन्यथा इस का उतरदायित्व निर्धारित करके मु0 114000.00 रुपये के साथ वर्ष 4 / 02 से 31.3.07 तक जो ब्याज हानि नगर परिषद को हुई है की वसूली करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए। की गई कार्यावाही से अंकेक्षण को सूचित किया जाए।

6¼c½ e0 5]00]912-00 #i;s dk vuqfpr Hkqxrku cjkj %&

नगर परिषद द्वारा जगन नाथ बनाम नगर परिषद केस के एवज़ में माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश षिमला के आदेषानुसार मु0 2,00,000.00 रुपये वाऊचर संख्या 70 अवधि 11/02 द्वारा तथा मु0 3,00,912.00 रुपये वाऊचर संख्या 45 अवधि 7/03 द्वारा श्री जगन नाथ निवासी कुल्लू को, डिकरी के रूप में भुगतान किया गया क्योंकि सम्बन्धित लेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया था। परन्तु प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त डिकरी जगन नाथ के मकान को अवैध रूप से गिराने के लिए हुई थी। अतः इस मामले मे पूर्ण छानबीन की जाए तथा पता लगाया जाए की इस उक्त घर को गिराने की बजह किसी अधिकारी/कर्मचारी की अनुचित कार्य प्रणाली तो नहीं थी। अगर ऐसा पाया जाता है तो इस क्षति को उनसे वसूल किया जाए।

6¼d½ e0 10]20]000-00 #i;s lkaln fuf/k dk vufpr O;; ¼&

नगर परिषद को सांसद निधि से कार्य करवाने हेतु राशि प्राप्त हुई थी जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है। इस राशि को नगर परिषद के द्वारा कार्य स्वयं न करके समस्त राशि उन्हीं को जारी कर दी जिनका कार्य किया जाना अपेक्षित था। उस फर्म द्वारा कार्य किया गया या नहीं इस बारे कोई अभिलेख नगर परिषद के पास विद्यमान नहीं था। इसका औचित्य स्पष्ट किया जाए कि किन कारणों से राशि का भुगतान किया गया। इस व्यय का अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न किए जाने से साफ प्रतीत होता है कि सम्बन्धित फर्म को अनावष्यक लाभ देते हुए राशि का एक मुष्त भुगतान किया गया तथा इन फर्मों द्वारा कब–कब और किसके द्वारा कार्य करवाया गया के दस्तावेज प्रस्तुत करें अन्यथा समस्त राशि का दुरूपयोग मानने से इनकार नहीं किया जा सकता।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
61	12/02	2,00,000.00	भुगतान सुत्रधार कला संगम कुल्लू को किया गया।
75	7/04	4,00,000.00	भुगतान सुत्रधार कला संगम कुल्लू को किया गया।
62	9/05	3,00,000.00	भुगतान सुत्रधार कला संगम कुल्लू को किया गया।
67	12/05	50,000.00	भुगतान प्राचार्य आरचेंजल स्कूल सुलतानपुर कुल्लू को किया गया।
84	2/06	45,000.00	भुगतान प्राचार्य आरचेंजल स्कूल सुलतानपुर कुल्लू को किया गया।

59	5/04	25,000.00	भुगतान एस0एस0जैन सभा अ0व0 कुल्लू को किया
		10]20]000-00	

6¼e½ **e0 29]600-00 #i;s dk vukf/kd`r 0;; ¼&**

वाऊचर संख्या 78 अवधि 5/02 द्वारा मु0 29,600.00 रुपये का भुगतान भारद्वाज टैण्ट हाऊस अखाड़ा बाजार कुल्लू को फुटबाल मैच में टैण्ट/षामयाना इत्यादि लगाने हेतु किया गया। यह व्यय इस निधि से उचित प्रभार नहीं था। फुटबाल मैच करवाने का तथा टैण्ट पर व्यय करने का क्या औचित्य था इसके बारे पूरे तथ्य अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं कर सके। अंकेक्षण में इतने भारी भुगतान को उचित नहीं माना जा सकता। कार्याकारी अधिकारी द्वारा नगर परिषद निधि से यह अनाधिकृत व्यय किया गया था, इस समस्त राशि को ब्याज सहित कार्याकारी अधिकारी से वसूल करके नगर परिषद कोष में जमा करवाने की ओर पग उठाएं तथा की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाए।

6¼f½ **eksckby fcy ds Hkqxrku gsrq 500-00 #i;s dk vfu;fer Hkqxrku ¼&**

वाऊचर संख्या 86 अवधि 2/04 द्वारा मु0 500 रुपये का भुगतान उप मण्डल अधिकारी (नागर) कुल्लू को मोबाईल फोन के बिल के रूप में किया गया था। यह व्यय इस निधि से उचित प्रभार नहीं था और इस व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। राशि की वसूली उप मण्डल अधिकारी(नागर) कुल्लू से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाया जाए तथा की गई कार्यावाही से अंकेक्षण को सूचित करें।

6¼g½ **fcuk fcy] lEcfU/kr vfHkys[k o dk;ky; dk;Z fuf/k ls e0 35]950-00 #i;s dk lafnX/k Hkqxrku ¼&**

वाऊचर संख्या 54 अवधि 2/06 द्वारा मु0 35,950 रुपये का भुगतान प्रवीण कुमार कुल्लू को शहर में सफाइ करने के रूप में किया गया था, इसका बिल रिकार्ड में विद्यमान नहीं था। बिना बिल के उक्त राशि के भुगतान का क्या औचित्य था, बिना बिल के भुगतान को उचित नहीं माना जा सकता। इससे सम्बन्धित हाजरी की लिस्ट भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे काम करने बारे पता चल सकता इस अभाव से भी व्यय उचित नहीं माना जा सकता। इस राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाएं तथा की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को सूचित करें।

6¼h½ **ikDyu ctV ikoZ/kku] l{ke vf/kdkjh dh vuqefr o lEcfU/kr vfHkys[k ds fcuk e0 93]000-00 #i;s dk vuqfpr 0;; ¼&**

श्री पौरिन्द्र कुमार कैशियर नगर परिषद को वाऊचर संख्या 1 अवधि 5/02 द्वारा 45,000 रुपये तथा वाऊचर संख्या 37 अवधि 5/02 द्वारा मु0 48,000 रुपये (45,000 + 48,000 = 93,000) रुपयों का भुगतान किया गया था जो कैशियर द्वारा कुलवन्त इलैक्ट्रीकल अमृतसर पंजाब को पीपल मेला 2002 में बिजली की फिटिंग इत्यादि करने हेतु किया गया था। इस भुगतान में निम्न आपतियां पाई गई इनका समाधान करके अंकेक्षण को बताएं अन्यथा समस्त राशि की वसूली करनी सुनिष्चित करें।

¼d½ बिजली की फिटींग का प्राक्कलन अभियन्ता शाखा के द्वारा नहीं बनाया गया था। बिना प्राक्कलन के ही कार्य किया गया।

¼[k½ बिजली की फिटींग करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की मंजूरी नहीं ली गई थी।

¼x½ इस कार्य हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया था, बिना बजट प्रावधान के व्यय किया गया था

¼?k½ बिजली की फिटींग कहां–कहां की गई थी इस बारे भी कोई अभिलेख अंकेक्षण में नहीं बताया गया।

¼³½ बिजली की फिटींग करने बारे नगर परिषद अभियन्ता द्वारा कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था।

6¼i½ <u>dcy Vh0oh0 ij e0 1]02]000-00 #i; dk vufpr 0;; ½&</u>

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न व्यय टी0वी0 चैनल पर कार्यक्रम हेतु किया गया था। व्यय करने से पूर्व कार्याकारी अधिकारी द्वारा पालिका से कोई मन्जूरी नहीं ली गई थी जो ली जानी अनिवार्य थी तथा बिना मन्जूरी के व्यय को उचित नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त प्राप्त बिलों में कहीं भी ब्यौरा नहीं दिया गया कि टैलिकास्ट किस विषय में किया गया तथा कब किया गया था। साथ ही टैलिकास्ट से पहले किसी भी प्रकार से दरों का निर्धारण नहीं किया गया। अतः उक्त राशि न केवल अनुचित देय की थी अपितु उक्त फर्मों को निजि लाभ पहुंचाया गया प्रतीत होता है।

okÅpj l[;k	vof/k	jkf'k	ftl Hkxrku fd;k x;k
171	5/02	12,000.00	हिमालय वैवसाईट गुडदौड़ नगर कुल्लू
239	10/02	3,000.00	भुवनेष्वरी सिटी केवल कुल्लू

241	11/02	12,000.00	हिमालय वैवसाइट गुडदौड़ नगर कुल्लू
247	12/02	1,000.00	नवरंग केवल शास्त्री नगर कुल्लू
258	3/03	8,000.00	भुवनेष्वरी केवल कुल्लू
268	3/03	36,000.00	हिमालयन वैवसाईट गुडदौड नगर कुल्लू
281	4/03	2,000.00	भुवनेष्वरी सीटी केवल कुल्लू
271	3/03	3,000.00	नोवल्टी केवल शास्त्री नगर कुल्लू
290	5/03	10,000.00	नोवल्टी केवल शास्त्री नगर कुल्लू
300	7/03	2,000.00	नोवल्टी केवल शास्त्री नगर कुल्लू
304	7/03	2,000.00	भुवनेष्वरी सिटी केवल कुल्लू
310	8/03	1,000.00	नवरंग केवल शास्त्री नगर कुल्लू
76	5/06	10,000.00	एस0एन0एस लिमिटिड ढालपुर कुल्लू
	;ksx	102000-00	

6¼j½ vkipkfjDrkvksa dh i{.kk fd, fcuk QOokjs dh ejEer ij e0 14]750 #i;s dk vuqfpr 0;; ¼&

वाऊचर संख्या 54 अवधि 8/01 द्वारा मु0 14,750.00 रुपये का भुगतान रूवी इलैक्ट्रीकल वर्कस कुल्लू को फव्वारा की मुरम्मत हेतु किया गया। इस भुगतान में निम्न आपतियां पाई गई :–

¼d½ फव्वारा कब खराब हुआ व फव्वारे में क्या खराबी थी इस बारे परिषद के किसी भी कर्मचारी का कोई पत्र रिकार्ड में नहीं पाया गया जिससे यह पता चल सके कि वास्तव में फव्वारा खराब था।

¼[k½ फव्वारे की तकनीकी खराबी क्या थी मकैनिक द्वारा परिषद ने प्राप्त नहीं की थी जिसमे पता चलता कि वास्तव में फव्वारा खराब था।

¼x½ फव्वारे में क्या–क्या पुर्जे बदले गए का भण्डारण इन्द्राज व खराब पुर्जे का क्या किया का पूरा ब्यौरा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

¼?k½ फव्वारे की खराबी का कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था।

¼3½ सम्बन्धित कार्य सम्बन्धि माप पुस्तिका में भी कोई इन्द्राज नहीं किया गया था।

6¼k½ **ifj"kn dk"k ij xk;d dykdkjk dk cyku dk mfpr iko/kku u gku l e0 2]85]000 #i; dk vufpr Hkxrku %&**

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा कुछ राशि का भुगतान गायकों को किया गया था। कार्यकारी अधिकारी द्वारा 2,85,000.00 रुपये का भुगतान अनियमित था इस भुगतान को करते समय निम्न आपतियां पाई गई :—

¼d½ गायक के साथ कोई अनुबन्ध नहीं किया गया था जिससे यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में गायक को भुगतान भी किया गया था या नहीं। बिना अनुबन्ध के व्यय को उचित नहीं माना जा सकता।

¼[k½ भुगतान की गई राशि किस आधार पर की गई थी यह भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

¼x½ गायक ने किस तिथि को कितने समय तक अपना प्रोग्राम किया था का भी उल्लेख परिषद के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं था।

¼?k½ बजट में प्रावधान न होते हुए भी भुगतान किया गया।

okÅpj l[;k	vof/k	jkf'k	ftl s Hkxrku fd;k x;k
72	4/02	10,000.00	अग्रिम भुगतान संजय हंस को किया गया।
80	4/02	50,000.00	पार्ट भुगतान विनोद चड्ढा को किया गया।
92	4/02	1,10,000.00	भुगतान विनोद चड्ढा को किया गया ।
76	4/03	25,000.00	भुगतान संजय हंस को किया गया।
80	4/03	25,000.00	भुगतान संजय हंस को किया गया।
81	4/03	5,50,000.00	भुगतान संजय हंस को किया गया।
90	4/04	25,000.00	भुगतान अनील कौषल को किया गया।
		10,000.00	भुगतान संजय हंस को किया गया।
		2]85]000-	

00

6¼1½ e0 1]15]000-00 #i;s dk vufpr Hkqxrku %&

नगर परिषद द्वारा नाबार्ड द्वारा कुढ़ा सयंत्र हेतु सोलिड वेस्ट मनेजमैंन्ट प्रोजैक्ट पीरढी मोहल में इनसीनेटर लगाया गया था। इस प्रोजैक्ट में जो मषीन अल्फा थरमा लिमिटिड नई दिल्ली के द्वारा लगाई गई थी। इस मषीन को चालू करना व मषीन चलाने के बारे पूरी जानकारी भी उक्त फर्म द्वारा ही दी जानी चाहिए थी, परन्तु सम्बन्धित फर्म ने 3/03 से 12/03 तक उक्त मषीन का प्रति मास 10,000.00 रुपये ऑपरेषनल चार्ज वसूल किया। इस प्रकार के ऑपरेषनल चार्ज बारे कोई अनुबन्ध अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में ऑपरेषनल चार्ज पर किए गए व्यय का उचित नहीं माना जा सकता। जिस कर्मचारी द्वारा ऑपरेषनल चार्ज लिया गया था की मासिक हाजरी विवरणिका भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई कि प्रतिदिन उस कर्मचारी द्वारा क्या–क्या कार्य किया था जिसके लिए उक्त फर्म को भुगतान किया था। बिना रिकार्ड के भुगतान को उचित नहीं माना जा सकता। जब परिषद ने मु0 1,15,000 रुपये का अतिरिक्त व्यय ऑपरेषनल चार्ज हेतु बहन करना था तो उसका अनुबन्ध क्यों नहीं करवाया गया।

okÅpj la[;k	vof/k	jkf'k
95	1/03	15,000.00
96	3/03	10,000.00
79	4/03	10,000.00
86	5/03	10,000.00
88	6/03	10,000.00
	7/03	10,000.00
62	8/03	10,000.00
104	8/03	10,000.00

85	12/03	30,000.00
		1]15]000-00

6¼m½ <u>nokbZ;ka [kjhn dj vLirky esa nsus dk mfpr iHkkj u nsus ls e0 24]998-00 #i;s dk vuqfpr O;; %&</u>

वाऊचर संख्या 77 अवधि 11/03 द्वारा मु0 24,998.00 रुपये का भुगतान मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू को दवाईयों की खरीद करने हेतु किया गया। प्रथम तो नगर परिषद नियमों में ऐसा प्रावधान कहीं पर नहीं है कि दवाईयों की खरीद हेतु भुगतान किया जाए। साथ ही इन दवाईयों को देने से सम्बन्धित न तो सी0एम0ओ0 ऑफिस की रसीद थी न ही उनकी पंजिका का विवरण प्राप्त हो सका था, जिससे पुष्टि की जा सके कि वास्तव में दवाईयां क्रय की भी गई थी या नहीं। अतः इसका पूर्ण ब्यौरा सी0एम0ओ0 से प्राप्त किया जाए।

6¼n½ <u>vkiwfrZdrkvksa ds fcuk Bsdsnkjksa dks 6]35]008 #i;s dk vuqfpr Hkqxrku</u> %&

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि परिषद द्वारा अवधि 5/04 से 3/07 के मध्य मौहल में निर्मित सोलिड वेस्ट मनेजमैंन्ट प्रोजैक्ट में सेग्रीकेषन हेतु भुगतान ठेकेदारों को किया गया था, जिसमें कुछ अदायगीयों की सूची संलग्न है। इस भुगतान में निम्न आपतियां पाई गई। इनका समायोजन करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करें अन्यथा राशि की वसूली करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए ।

¼d½ इस व्यय का प्रावधान बजट में नहीं किया गया था।

¼[k½ ठेका देने से पूर्व औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई थी।

¼x½ ठेकेदार द्वारा कितने कर्मचारी कार्य पर लगाए थे की सूची अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे कार्य बारे पता चलता कि कितना कार्य किया जाना था व कितना कार्य किया गया।

¼?k½ प्रतिदिन कितने कुडे कर्कट की छंटाई की गई के बारे में भी कोई अभिलेख नहीं बनाया गया था जिससे यह पुष्टि होती कि प्रतिदिन कितना कुडा प्लांट में आया व कितने कुडे की छटाई की।

¼³½ ठेका देने से पूर्व कोई ऐसा प्राक्कलन तकनीकी शाखा से नहीं बनाया गया था कि इस कार्य पर प्रतिमाह कितना खर्चा आने का अनुमान है बिना तकनीकी प्राक्कलन से ठेका करने की क्या आवष्यकता थी। ब्यौरा परिशिष्ट ''k'' में उपलब्ध है।

6¼o½ vukf/kd`r :i ls LVªhV ykbZV iksy yxkus ckjs ¼&

नगर परिषद ने अपने क्षेत्र के बाहर पंचायत के लोगों को स्ट्रीट लाईट का प्रावधान किया था जिस पर प्रतिवर्ष बिजली के बिल का लाखों रुपये का भुगतान किया जाता रहा है जो अनियमित था। नगर परिषद द्वारा 30 पोल स्ट्रीट लाईट के वदाह पंचायत में व 30 पोल चामुण्डा नगर में अनाधिकृत रूप से लगाए थे जिसे लगाने में नगर परिषद सक्षम नहीं थी। इन पोलों पर किए गए खर्च व इन स्ट्रीट लाईटों पर आए व्यय की राशि का उतरदायित्व निर्धारित करके समस्त राशि की वसूली करके राशि नगर परिषद कोष में जमा करवाने की और पग उठाए जाएं। परिषद अधिकार क्षेत्र से बाहर व्यय का परिषद निधि पर उचित प्रभार नहीं है। इस लिए इस मद पर हो रहे बिजली के बिलों पर अनुचित खर्चें को रोकने हेतु तुरन्त आवष्यक पग उठाए जाए तथा स्ट्रीट लाईट लगाने पर आए खर्चे की भी तुरन्त भरपाइ की जाए।

6¼p½ fd, x, dke dh izxfr ds vfHkys[k ds fcuk 1785 #i;s dk vfu;fer Hkqxrku

okÅpj la[;k 27 vof/k 11@01 vof/k 1785-00 #i;s

मु0 1785.00 रुपये का भुगतान 5 बेलदारों को डी0डी0टी0 करने हेतु किया गया। डी0डी0टी0 कहां–कहां पर करवाई गई, मस्टर रोल का इन्द्राज माप पुस्तिका में नहीं किया गया था। बिना माप पुस्तिका के कार्य किया की प्रगति की जांच नहीं की जा सकती थी, इस भुगतान को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता क्योंकि सम्बन्धित कार्य का इन्द्राज कहीं नहीं किया गया था। राशि की वसूली की जानी अपेक्षित है अन्यथा व्यय को सक्षम अधिकारी से नियुक्ति करवाया जाए। भविष्य में भी मजदूरों इत्यादी के काम की प्रगति का उचित ब्यौरा नियमानुसार माप पुस्तिका में अंकित करना सुनिष्चित किया जाए।

6¼q½ fgekpy izns'k jkT; eqnz.kky; dh vuns[kh djds cktkj ls vko';drk ls vf/kd ,d eqq'r [kjhn ls 30]000-00 #i;s dk lafnX/k O;; ¼&

वाऊचर संख्या 73 अवधि 12/01 द्वारा मु0 30,000.00 रुपये का भुगतान मॉड्रन बुकषाप ढालपुर कुल्लू को 6000 नं0 फाईल कवर 5.00 रुपये प्रति फाईल कवर की दर से खरीद की गईं। इतनी अधिक फाईल कवर हिमाचल प्रदेश मुद्राणलय एवं प्रिटिंग प्रेस षिमला से न खरीद करके ओपन मार्किट से अधिक कीमत पर खरीदे गए जिससे परिषद को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। इतने ज्यादा फाईल कवर किस उदेष्य के लिए खरीदे गए थे अंकेक्षण में नहीं बताया गया। उक्त खरीद नगर परिषद की मन्जूरी के बिना की गई थी। भविष्य में ऐसे खर्चों से परिहार किया जाए तथा 30,000.00 रुपये के व्यय की नगर परिषद की स्वीकृति ले कर नियमित किया जाए।

6¼r½ **fcuk fcy rFkk fcuk LVkWd ,UVªh ds 7]415-00 #i;s dk vfu;fer Hkqxrku**

वाऊचर संख्या 88 अवधि 4/02 द्वारा मु0 7,415.00 रुपये का भुगतान लीयो स्पोर्टस जालन्धर पंजाब को मोमैन्टो की खरीद हेतु किया गया दर्षाया था। इसका बिल रिकार्ड में मौजूद नहीं था बिना बिल के भुगतान किस प्रकार किया गया जबकि बिल का होना अनिवार्य था क्रय किए गए सामान का भण्डारण इन्द्राज भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव मे व्यय को उचित नहीं माना जा सकता। राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाया जाए तथा की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6¼s½ **fcuk dkbZ lkeku Ø; fd, rFkk fcuk lsok iklr fd, 1000 #i;s dk lafnX/k HkqxrkuA**

वाऊचर संख्या 58 अवधि 11/01 द्वारा मु0 1000.00 रुपये का भुगतान नारायण ठाकुर कुल्लू को किया गया यह भुगतान किस उदेष्य के लिए किया गया अंकेक्षण को नहीं बताया गया और न ही बिल में उदेष्य को अंकित किया गया था। बिना उदेष्य के बिल का भुगतान को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। इस राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को सूचित करें।

6¼t½ **e0 5]957-00 #i;s dk voS/k fctyh fcy dk Hkqxrku@olwyh rqjUr vis{kr gSA**

वाऊचर संख्या 53 अवधि 7/02 द्वारा मु0 4,717.00 रुपये का भुगतान एवं वाऊचर संख्या 54 अवधि 7/01 द्वारा मु0 1,240.00 रुपये का भुगतान कला केन्द्र कुल्लू को बिजली के बिल के विरूद्ध किया गया। बिजली के बिल का भुगतान कला केन्द्र कुल्लू को करना था क्योंकि बिजली का मीटर उन्हीं के नाम पर था। नगर परिषद द्वारा बिजली के बिल का भुगतान करने का कोई औचित्य नहीं था। इस भुगतान को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। इस राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाएं तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण मों अवगत करवाया जाए।

6¼u½ **ifj"kn dh xkM+h ,p0ih&34&3666 miyC/k gksus ds ckotwn VSDlh ls ;k=k djus ij 3000 #i;s dk vuqfpr O;;A**
okÅpj la[;k 70 vof/k 8@01 ckor jkf'k 3000-00 #i;sA

मु0 3000 रुपये का भुगतान कुल्लू टैक्सी यूनियन कुल्लू को कुल्लू से षिमला जाने हेतु टैक्सी के बिल का भुगतान किया गया। परिषद के पास अपनी गाड़ी टाटा सूमों नं0 एच0पी–34–3666 विद्यमान थी तब टैक्सी करने का कोई औचित्य नहीं था। टैक्सी के लिए

सक्षम अधिकारी की मन्जूरी भी नहीं ली गई थी इस व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से करके परिषद कोष में जमा करवाया जाए।

6¼v½ l{ke vf/kdkjh dh Lohdfr d fcuk 10]000-00 #i;s dk vfu;fer 0;;A

वाऊचर संख्या 61 अवधि 11/02 द्वारा मु0 10,000.00 रुपये का भुगतान प्रैस रूम कुल्लू के लिए एक रंगीन टैलीवीजन खरीदने हेतु किया गया। यह व्यय इस निधि से उचित प्रभार न था। व्यय सक्षम अधिकारी की मन्जूरी के बिना किया गया था इस व्यय को सक्षम अधिकारी की मन्जूरी से नियमित करवाया जाए अन्यथा राशि की वसूली करनी सुनिष्चित करें।

6¼w½ e0 2500 #i;s dk vuqfpr 0;;A

वाऊचर संख्या 40 अवधि 12/02 द्वारा मु0 2500 रुपये का भुगतान टैक्सी ओपरेटर यूनियन कुल्लू को दिनांक 29.10.02 को कुल्लू से षिमला के लिए टैक्सी के किराया के लिए किया गया टैक्सी का प्रयोग कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया गया था। टैक्सी प्रयोग के लिए कार्याकारी अधिकारी सक्षम नहीं था। षिमला प्रवास के लिए उक्त कर्मचारी को बस का प्रयोग किया जाना। अपेक्षित था इस व्यय को सक्षम अधिकारी से नियमित करवाया जाए अन्यथा राशि की वसूली करनी सुनिष्चित करें।

6¼x½ fu;ekuqlkj vkSipkfjdrkvksa dks iwjk fd, cxSj e0 26]950-00 #i;s dk vfu;fer Hkqxrku %&

वाऊचर संख्या 55 अवधि 11/01 द्वारा मु0 26,950.00 रुपये का भुगतान जैमनि ट्रेड़िंग कम्पनी सरवरी बाजार कुल्लू को दुषहरा मैदान मे पम्प की मुरम्मत हेतु किया गया। इस भुगतान में निम्न आपतियां पाई गई इसका समाधान करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(क) मुरम्मत करवाने हेतु कोई भी प्रपत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया कि पम्प खराब था। पम्प खराब किन कारणों से हुआ के बारे में भी कोई पत्र रिकार्ड में नहीं था।

(ख) पम्प में क्या–क्या पुर्जे बदले गए का कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

(ग) पुराने पुर्जे जो बदले गए थे को भण्डार में नही पाया गया।

(घ) नगर परिषद बैठक में इस पम्प की मुरम्मत हेतु कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी जिसके अभाव में पम्प की मुरम्मत करवाई जानी संदिग्ध प्रतीत होती है।

(ङ) पम्प में ऐसी क्या खराबी थी जिसके लिए इतनी भारी राशि का भुगतान करना पड़ा

6¼y½ u lkeku vkifrl rFkk vU; lsok,i miyC/k djkus vkj vkipkfjDrk,i i.k u djus d dkj.k 6]100-00 #i;s dk lfnX/k 0;; ½&

वाऊचर संख्या 54 अवधि 2/02 द्वारा मु0 6,100.00 रुपये का भुगतान प्रधान महाऋषि वाल्मीकि कमेटी लंका बेकर कुल्लू को भुगतान किया गया था उक्त राशि का भुगतान किस उदेष्य से किया गया इसके बारे अंकेक्षण को नहीं बताया गया बिना उदेष्य से राशि का भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। इस राशि की वसूली की जानी सुनिष्चित करें अन्यथा व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

6¼z½ mPp vf/kdkjh dh Lohdfr ds fcuk VSDlh fcy e0 3]000-00 #i;s dk vo/k Hkxrku ½&

वाऊचर संख्या 56 अवधि 7/02 द्वारा मु0 3600 रुपये का भुगतान टैक्सी नं0 एच0पी0–01–3066 को पीपल मेले के लिए प्रयोग हेतु भुगतान किया गया। नगर परिषद के पास गाड़ी होते हुए टैक्सी को किराए में लिए जाने का कोई औचित्य नहीं था। टैक्सी के प्रयोग करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की मन्जूरी भी नहीं ली गई थी। इस भुगतान को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से वसूल करके परिषद कोष में जमा करवाए तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को सूचित करें। टैक्सी प्रयोग हेतु आगामी उच्च सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना व्यय का औचित्य नहीं ठहराया जा सकता।

6¼A½ e0 1500 #i;s ds 0;; dk vkfpR; ;k oLrqyh iLrqr dh tk,A

नगर परिषद के लेखों की जांच पड़ताल करने में पाया गया कि वाऊचर संख्या 81 अवधि 5/02 द्वारा श्री गंगाराम कुल्लू को 1500 रुपये का भुगतान शैसन हाऊस कुल्लू के समीप वृक्ष काटने के लिए किया गया। इस सन्दर्भ में सूचित किया जाए कि क्या ये वृक्ष नगर परिषद की सम्पति थे और इनको काटने का क्या औचित्य था तथा इनसे प्राप्त इमारती लक्ड़ी एवम् बालन की स्टॉक प्रविष्ट तथा उसका उपयोग किस प्रयोजन में किया गया ? अगर ये वृक्ष परिषद की सम्पति नहीं थे तो उनके काटने पर हुआ व्यय परिषद निधि पर उचित प्रभार नहीं हो सकता, जिसकी भरपाई तुरन्त नगर परिषद कोष में करवा दी जाए।

6¼B½ vkipkfjdrkvks ds fcuk ikjf'kfrk ds vHkko e 5]61]106-00 #i;s dk lfnX/k 0;; ½&

नगर परिषद के लेखों की जांच पड़ताल में यह पाया गया कि परिषद निधि से बार–बार भारी मात्रा में चूने की खरीद मु0 5,61,106.00 रुपये का व्यय दर्षाया गया। चूने का प्रयोग (खपत) किस प्रयोजन से किस–किस समय अवधि में किस–किस स्थान पर किया गया इसका कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। सार्वजनिक निधि से भण्डार खरीद व खपत का औचित्य अभिलेख में उपलब्ध न होने से व्यय को किसी प्रकार से भी

उचित न ही माना जा सकता। अतः इस मामले की विभागीय तौर पर पूरी छानबीन की जाए तथा संदिग्ध भुगतान की तुरन्त नगर परिषद कोष में भरपाई कर दी जाए। व्यय का विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''L'' में उपलब्ध है।

6¼C½ vkSipkfjdrkvksa ds fcuk o ikjnf'kZrk ds vHkko esa eq0 2]23]971-00 #i;s dk vukf/kd`r 0;; %&

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा दषहरा पर्व के दौरान व अन्य कार्यों के लिए पानी की छिड़काव के लिए ट्रैक्टरों का प्रयोग किया गया था इसके भुगतान में निम्न आपतियां पाई गई, इन आपतियों का निपटान करके अंकेक्षण को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए।

¼d½ पानी का छिड़काव किस–किस क्षेत्र में किया गया था का उल्लेख बिल में नहीं किया गया था।

¼[k½ गाड़ी ने कितने बजे से कितने बजे तक कार्य किया का भी उल्लेख बिल में नहीं था कि कितने समय तक प्रतिदिन ट्रैक्टर ने पानी का छिड़काव किया।

¼x½ गाड़ी की दैनिक हाजरी का रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
108	10/01	14,400.00	अदायगी गाड़ी नं0 एच0पी0–34ए–909 एवं एच0पी0–34–2223 को दिनांक 26.10.01 से 3.11.01 तक की गई।
118	10/01	2,800.00	भुगतान चेतराम एवं गगां राम को क्रमशः मु0 480 रुपये एवं मु0 2320 रुपये किया गया।
122	10/01	8,000.00	भुगतान गाड़ी नं0 एच0पी0–34–2970 को दिनांक 26.10.01 से 4.11.01 के लिए किया गया।
11	12/01	7,200.00	भुगतान आषन पुष्प अखाड़ा बाजार को किया गया।
63	12/01	12,000.00	भुगतान गाड़ी नं0 एच0पी0–34–2970 को किया गया।
59	7/02	15,600.00	भुगतान गाड़ी नं0 एच0पी0–10–0847 को किया गया।
86	6/30	1800.00	भुगतान गाड़ी नं0 एच0पी0–66–0253 को किया ।

96	3/05	7,500.00	भुगतान गाड़ी नं0 एच0पी0–34ए–2824 को किया गया।
48	1/03	27,125.00	i. मु0 7,425.00 रुपये का भुगतान राहुल राणा कुल्लू को किया गया। ii. मु0 15,525.00 रुपये का भुगतान विनोद कुमार कुल्लू को किया गया। iii. मु0 1,075.00 रुपये का भुगतान चन्दन, कुल्लू को किया गया। iv. मु0 3,100.00 रुपये का भुगतान नन्द लाल कुल्लू को किया गया।
21	12/03	44,596.00	भुगतान चन्दन सपुत्र टेक राम ढालपुर कुल्लू को किया गया।
124	8/05	5,400.00	भुगतान षिव चन्द कुल्लू को किया।
126	8/05	10,500.00	भुगतान सोहन लाल कुल्लू को किया।
18	1/06	67,050.00	भुगतान सोहन लाल कुल्लू को किया।
	; kx	2]23]971-00	

उक्त के अतिरिक्त यदि इस मद पर अन्य व्यय किया गया हो तो उसकी सूची तैयार करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें तथा आपति निपटारा न करने के फलस्वरूप वसूली करने की ओर पग उठाए।

6¼D½ vf/kiekf.kr 0;; okÅpjksa ds fcuk 9]24]000-00 #i;s ds 0;; es ikjnf'kZrk dk vHkko ¼&

नगर परिषद के लेखों की जांच पड़ताल में पाया गया कि लावारिस शवों के दाह संस्कार के लिए नगर परिषद कर्मचारी के नाम पर राशि की निकासी की जा रही है परन्तु किए गए व्यय के सत्यापन हेतु कार्यालय कार्यवाही के तहत बिलों व रसीदों तथा स्टॉक प्रविष्टी व खपत का अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इन औपचारिकताओं के अभाव में सार्वजनिक निधि से इस व्यय को प्रमाणित नहीं माना जा सकता, जिसके फलस्वरूप निकाली गई राशि का औचित्य न होने से राशि को परिषद निधि मे वसूला जा सकता है। अतः आगामी अंकेक्षण में व्यय वाऊचर स्टॉक प्रविष्टी तथा खपत का अभिलेख प्रस्तुत किया

जाए अन्यथा राशि को वसूल करके जमा करवा दिया जाए। भविष्य में भी नियमानुसार औपचारिकताएं पूरी करनी सुनिष्चित की जाए तथा आवष्यक अभिलेख बनाया जाए। व्यय का विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''M'' में उपलब्ध है।

6¼E½ **fu/kkfjr vkSipkfjdrk,a iwjh fd, fcuk ikjnf'krk d s vHkko e s e0 18]59]465-00 #i;s dk lafnX/k O;; ¼&**

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा स्ट्रीट लाईट को सुचारू रूप से चलाने के लिए बिजली का सामान खरीदा था। बिजली के सामान को कहां–कहां से बदला गया तथा फ्यूज सामान को वापिस भण्डार में लिए जाने के सम्बन्ध मे रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। फ्यूज सामान को किसके आदेश से खत्म किया(Write off) तथा उससे कोई आय की प्राप्ती हुई या नहीं के बारे में कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं कर सके जिसके अभाव में यह जांच करना मुष्किल था कि वास्तव में नया खरीदे गये सामान का प्रयोग किया भी गया था या नहीं तथा खराब सामान को बदला गया था या नहीं। बिना रिकार्ड के एसा प्रतीत होता है कि सामान की केवल खरीद की गई थी और सामान को बदला नहीं गया था। आगामी अंकेक्षण में खराब सामान की लिस्ट प्रस्तुत करें तथा सामान को किस प्रक्रिया से खत्म किया बताया जाए अन्यथा नए सामान को प्रयोग किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। भविष्य में खराब सामान को भण्डार में ले कर उसे सक्षम अधिकारी द्वारा राईट ऑफ करवाये जाने की प्रक्रिया अपनाएं तथा यह भी स्पष्ट करें कि बिजली का सामान दर सविंदा वाली फर्म से क्यों न खरीदा गया। विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''N'' में उपलब्ध है।

6¼F½ **e0 10]000-00 #i;s dk vuqfpr O;; ¼&**

वाऊचर संख्या 110 अवधि 8/05 द्वारा मु0 10,000.00 रुपये का भुगतान प्रधान लक्ष्मी नारायण महिला मण्डल अखाडा बाजार कुल्लू को दरी खरीदने हेतु किया गया। इस निधि से किसी भी संस्था को किसी भी प्रकार के सामान खरीदने का प्रावधान नहीं था व उक्त महिला मण्डल को दिया गया 10,000.00 रुपये का भुगतान अवैध था। इस व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। इस राशि की वसूली करके नगर परिषद कोष मे जमा करवाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में बताई जाए।

6¼G½ वाऊचर संख्या 55 अवधि 2/06 द्वारा मु0 26,440.00 रुपये का भुगतान गणपति स्टील फैब्रीकेषन, सरवरी बाजार कुल्लू को मोबाईल शौचालय वैन की मुरम्मत हेतु किया गया। इस भुगतान में निम्न आपतियां पाई गई। इनका समाधान करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को सूचित करें।

¼d½ वैन के मुरम्मत के लिए बनाया गया प्राकूलन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

¼[k½ मुरम्मत के लिए तकनीकी मन्जूरी किससे ली गई थी को भी अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया ।

¼x½ मांगी गई निविदाएं बिना तिथि के पाई गई, इस बारे स्थिति स्पष्ट करें कि निविदाएं बिना तिथि के क्यों मांगी गई थी।

¼?k½ सैनिटेषन प्रभारी की कोई रिपोर्ट अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसमें प्रभारी द्वारा शौचालय मोबाईल वैन की खराबी बारे रिपोर्ट की थी। इस रिपोर्ट के बिना वैन की मुरम्मत का कोई औचित्य नहीं था।

6¼H½ e0 35]000-00 #i;s dk vlek;kstr fPkfdRlk vfxze dh olwyh %&

वाऊचर संख्या 111 अवधि 7/06 द्वारा मु0 15,000.00 रुपये का तथा वाऊचर संख्या 67 अवधि 8/06 द्वारा मु0 20,000.00 रुपये का अग्रिम श्री मति अनीता सफाई सेविका नगर परिषद को चिकित्सा चैपअप इत्यादि के लिए दिया गया था। श्रीमति अनीता सफाई सेविका द्वारा 31.1.2008 तक उक्त अग्रिम का कोई समायोजन बिल नगर परिषद को प्रस्तुत किया था और न ही इस बारे कोई लिखित पत्र नगर परिषद को दिया था कि वास्तव में उस द्वारा अपना इलाज करवाया भी गया था या नहीं। बिना अभिलेख के इस व्यय को उचित नहीं माना जा सकता व ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त सफाई सेविका द्वारा अग्रिम का दुरूपयोग किया था। इतने लम्बे समय तक अग्रिम के समायोजन को न करवाया जाना गलत ही नहीं अपितु कार्यालय की लापरवाही भी दर्षाता हैं। नगर पालिका लेखा संहिता नियम 257 अनुसार मु0 35,000.00 के अग्रिम पर 15 प्रतिषत ब्याज जो 7/06 से 1/08 तक मु0 12,000.00 बनती है, की वसूली करके नगर परिषद कोष में जमा करवाएं तथा की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को सूचित करें।

6¼I½ xhfVax dkMZ dh Niokbz gsrq 1080-00 #i;s dk vfu;fer O;; %&

वाऊचर संख्या 82 अवधि 2/07 द्वारा मु0 1080.00 रुपये का भुगतान चन्द्र प्रिंटिंग प्रैस कुल्लू को ग्रीटिंग कार्ड छपवाने हेतु किया गया। यह कार्ड कार्याकारी अधिकारी द्वारा छपवाई गई थी। ग्रीटिंग कार्ड पर व्यय स्वयं जिसके द्वारा कार्ड प्रयोग किए जाने हो के द्वारा ही वहन किया जाना था परन्तु कार्याकारी अधिकारी द्वारा निमयों की अवहेलना करते हुए नगर परिषद के खाते से व्यय किया जो अनियमित था इस व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। उक्त राशि की वसूली करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए तथा भविष्य में इस प्रकार का व्यय करने से परिहार किया जाए।

6¼J½ e0 40]000-00 #i;s dk vukf/kd`r O;; %&

नगर परिषद के लेखों की छानबीन के दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा समय–समय पर मेलों के दौरान कारदार देवता गोहरी ढालपुर कुल्लू को नजराने के रूप में मु0 40,000.00 रुपये का भुगतान किया था, जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है। इस प्रकार का व्यय इस निधि से उचित प्रभार नहीं था और इस व्यय को करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की मन्जूरी भी प्राप्त नहीं की थी, जिसके अभाव में उक्त व्यय उचित प्रतीत नहीं होता और इस व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। इस राशि को वसूली का उतरदायित्व निर्धारित करके नगर परिषद कोष में जमा करवाएं व अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण में बताएं।

ok0 l0	vof/k	jkf'k
38	5／02	7,000.00
35	5／04	7,000.00
93	5／05	11,000.00
92	5／06	15,000.00
	;ksx	40]000-00

6¼K½ e0 71]267-00 #i;s dk vfu;fer Hkqxrku ¼&

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि वाऊचर संख्या 97 अवधि 5／06 द्वारा मु0 71,267 रुपये का भुगतान सिटी च्वाईस कुल्लू को दोपहर का खाना, रात्री खाने के लिए किया गया। उक्त खाना कर्मचारियों को खाना खिलाने हेतु किया गया जो कि इस निधि से उचित प्रभार नहीं था। किसी भी कर्मचारी को नियमाधीन खाना नहीं खिलाया जा सकता था। खाना किस–किस कर्मचारी को खिलाया गया की सूची अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिन–जिन कर्मचारियों को खाना खिलाया गया था से पूरी वसूली करके नगर परिषद कोष में जमा करवाएं।

6¼M½ e0 93]750-00 #i;s dk vfu;fer Hkqxrku ¼&

नगर परिषद द्वारा वाऊचर संख्या 111 अवधि 10／06 द्वारा मु0 93,750.00 रुपये का भुगतान हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम कुल्लू को रात्रि भोज हेतु किया गया। यह रात्रि भोज किस–किस को करवाया गया का पूरा अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया। इस राशि का भुगतान करने से पूर्व व्यय की सक्षम अधिकारी की मन्जूरी प्राप्त नहीं की थी। उक्त व्यय

की निविदाएं भी जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई थी, जिसके बिना व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। व्यय को सक्षम अधिकारी की मन्जूरी से नियमित करवाया जाए, अन्यथा राशि की वसूली करनी सुनिष्चित करें तथा जिन–जिन व्यक्तियों को खाना खिलाया गया था की सूची भी आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

6¼N½ e0 47]254-00 #i;s dk vfu;fer Hkqxrku ½&

वाऊचर संख्या 107 अवधि..........द्वारा 42,254.00 रुपये भुगतान अमृत लाल कुल्लू को नाष्ता, दोपहर का खाना, रात्री खाना हेतु किया गया। यह खाना किसे खिलाया गया व खाना, नाष्ता इत्यादी करवाने का क्या औचित्य था यह अंकेक्षण को नही बताया गया। व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से मन्जूरी प्राप्त नहीं की गई थी जिसके बिना व्यय अनियमित था। इस व्यय को सक्षम अधिकारी से नियमित करवाया जाए अन्यथा राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से करके नगर परिषद कोष मे जमा करवाएं।

6¼O½ vkipkfjdrkvksa dh vuqikyuk ds vHkko esa e0 2]96]307-00 #i;s dk vfu;fer Hkqxrku ½&

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि परिषद द्वारा निम्न व्यय टैण्टों/कनातों/षामयाने पर किया गया था। इन टैण्टों इत्यादि पर व्यय करने से पूर्व निम्न औपचारिकताएं पूरी नही की थी जो की जानी आपेक्षित थी।

¼d½ इस मद पर बजट मे कितना प्रावधान रखा था उससे सम्बन्धित प्रपत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए।

¼[k½ व्यय करने से पूर्व परिषद की मन्जूरी का प्रस्ताव जो किया जाना अपेक्षित था का रिकार्ड भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

¼x½ टैण्ट इत्यादि का प्रयोग कहां–कहां पर किस समय से किस समय तक किया जाना अपेक्षित था का उल्लेख बिलों पर नहीं किया गया था, जिसके अभाव में प्रयुक्त टैण्टों इत्यादि की गणना करनी मुष्किल थी।

व्यय का विवरण परिशिष्ट ''Q'' में उपलब्ध है।

6¼P½ ikjnf'kZrk ds vHkko esa e0 53]713-00 #i;s dk vfu;fer Hkqxrku ½&

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा समय–समय पर बाजार से कम्पयूटर की स्याही (Riffle ink) की खरीद की गई थी। नगर परिषद ने जो कम्पयूटर के लिए भण्डार पंजिका लगाई थी उसके साथ स्याही इत्यादि की खपत किस प्रकार की गई थी अंकेक्षण में नहीं बताई गई। एक रिफील ईंक से कितने कम्पयूटर के पेपर निकाले गए का लेखा जोखा नहीं बनाया गया था जिसके अभाव में यह

जांचना मुष्किल था कि जो स्याही खरीदी गई थी उसका प्रयोग किया भी गया था या नहीं। बिना लेखा जोखा के खरीद का कोई औचित्य नहीं था व इस प्रकार की खरीद को उचित नहीं माना जा सकता। आगामी अंकेक्षण के समय स्याही से किए गए कार्य की पूरी सूची प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए कि बिना कार्य के रिफिल ईंक का प्रयोग किया गया था की वसूली जो मु0 53713 रुपये बनती है दोषी कर्मचारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाएं।

Ø0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
81	5/01	1,600.00	भुगतान इन्फो सोफ्ट सोल्यूषन ढालपुर कुल्लू को किया गया।
63	8/01	2,300.00	भुगतान इन्फो सोफ्ट सोल्यूषन ढालपुर कुल्लू को किया गया।
78	10/01	1,600.00	भुगतान इन्फो सोफ्ट सोल्यूषन ढालपुर कुल्लू को किया गया।
97	11/01	1,750.00	भुगतान इन्फो सोफ्ट सोल्यूषन ढालपुर कुल्लू को किया गया।
81	1/02	1,600.00	भुगतान इन्फो सोफ्ट सोल्यूषन ढालपुर कुल्लू को किया गया।
73	3/02	1,600.00	भुगतान इन्फो सोफ्ट सोल्यूषन ढालपुर कुल्लू को किया गया।
69	6/02	954.00	भुगतान इन्फो सोफ्ट सोल्यूषन ढालपुर कुल्लू को किया गया।
70	9/02	2,150.00	भुगतान इन्फो सोफ्ट सोल्यूषन ढालपुर कुल्लू को किया गया।
62	1/03	5,800.00	भुगतान इन्फो सोफ्ट सोल्यूषन ढालपुर कुल्लू को किया गया।
106	3/03	1,529.00	भुगतान इन्फो सोफ्ट सोल्यूषन ढालपुर कुल्लू को किया गया।
72	6/03	1,900.00	भुगतान इन्फो सोफ्ट सोल्यूषन ढालपुर कुल्लू को किया गया।
94	8/03	8,625.00	भुगतान इन्फो सोफ्ट सोल्यूषन ढालपुर कुल्लू को किया गया।
45	1/04	1,750.00	भुगतान इन्फो सोफ्ट सोल्यूषन ढालपुर कुल्लू को किया गया।
70	3/04	1,750.00	भुगतान इन्फो सोफ्ट सोल्यूषन ढालपुर कुल्लू को किया गया।

60	9/04	2,305.00	भुगतान इन्फो सोफ्ट सोल्यूषन ढालपुर कुल्लू को किया गया।
51	1/05	1,900.00	भुगतान इन्फो सोफ्ट सोल्यूषन ढालपुर कुल्लू को किया गया।
102	2/05	6,980.00	भुगतान इन्फो सोफ्ट सोल्यूषन ढालपुर कुल्लू को किया गया।
97	6/05	970.00	भुगतान इन्फो सोफ्ट सोल्यूषन ढालपुर कुल्लू को किया गया।
19	11/05	1,940.00	भुगतान इन्फो सोफ्ट सोल्यूषन ढालपुर कुल्लू को किया गया।
66	3/06	1,350.00	भुगतान इन्फो सोफ्ट सोल्यूषन ढालपुर कुल्लू को किया गया।
86	4/06	1,940.00	भुगतान इन्फो सोफ्ट सोल्यूषन ढालपुर कुल्लू को किया गया।
73	11/06	1,420.00	भुगतान इन्फो सोफ्ट सोल्यूषन ढालपुर कुल्लू को किया गया।
		52113-00	

6¼Q½ v'knku fn, tku dk vufpr 0;; %&

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद ने कुछ संस्थानों को अपने निधि से अंषदान दिया था। नगर पालिका अधिनियम में किसी संस्थान या अन्य को अषंदान देने का कोई प्रावधान नहीं था। कार्याकारी अधिकारी द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए निम्न भुगतान अंषदान के रूप में किया जो अनाधिकृत था। इस व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। कार्याकारी अधिकारी द्वारा धन का अपव्यय किया है। अतः सम्पूर्ण राशि जो मु0 1,25,200 रुपये है की वसूली दोषी व्यक्ति से की जाए :–

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
67	6/02	20,000.00	सुत्रधार कला संगम कुल्लू को भुगतान किया गया।
82	6/03	25,000.00	अदायगी नगर पंचायत भुन्तर को की गई।
71	8/03	40,000.00	अदायगी कारदार देवता गोहरी ढालपुर कुल्लू को की गई।
67	2/04	5,000.00	अदायगी नैषनल एसोसियेषन ऑफ ब्लाइंडज कुललू को की।

72	12/01	20,000.00	भुगतान सचिव विन्टर कार्नीवाल मनाली जिला कुल्लू को किया।
75	12/01	5,000.00	भुगतान टेवल टैनिस एसोसिएषन षिमला को किया।
95	12/01	5,100.00	भुगतान कुल्लू वैली स्कूल रामषीला कुल्लू को किया गया।
99	12/01	5,100.00	भुगतान एकान्ताश्रम कुल्लू को किया गया।
	;kx	1]25]200-00	

6¼R½ e0 1]07]798-00 #i; d Hkxrku ckj %&

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि निम्न व्यय फोटो/कैंसट इत्यादि खिचवाने हेतु किया गया था। यह व्यय इस निधि से उचित प्रभार नहीं था। इस व्यय की मन्जूरी सक्षम अधिकारी से नहीं ली गई थी इस व्यय को अंकेक्षण में उचित नही माना जा सकता। व्यय को सक्षम अधिकारी की मन्जूरी से नियमित करवाया जाए अन्यथा समस्त राशि की वसूली कार्याकारी अधिकारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाएं अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण के समय करवाई जाए।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
48	6/01	2,500.00	पिपल जाग हेतु फोटो मिर्नथ स्टूडीयो अखाडा बजार कुल्लू से खिचवाए।
73	6/01	840.00	अदायगी वीर स्टूडीयों सरवरी बाजार कुल्लू को की गई।
69	7/01	8,700.00	अदायगी वीर स्टूडीयों सरवरी बाजार कुल्लू को की गई।
91	5/02	28,600.00	अदायगी निनवी स्टूडीयो अखाडा बाजार को की।
93ए	5/03	3,300.00	अदायगी हिमालय स्टूडीयो सरवरी कुल्लू को की।
72	6/05	12,350.00	अदायगी मिनरवा स्टूडीयो अखाड़ा बाजार को की गई।
108	5/04	5,365.00	अदायगी आर0के0 स्टूडीयो भुन्तर को की।

72	8/05	6,830.00	अदायगी हिमालय स्टूडीयो भुतनाथ मार्किट कुल्लू को की गई।
79	3/06	1,835.00	अदायगी वोलगा स्टूडीयो कुल्लू को की गई
110	3/06	1,950.00	अदायगी आर0के0 स्टूडीयो भुन्तर को की गई
87	5/06	3,500.00	अदायगी आर0के0 स्टूडीयो भुन्तर को की गई
93	5/06	32,893.00	अदायगी मिनर्वा स्टूडीयो अखाड़ा बाजार कुल्लू को की
123	10/06	4,500.00	अदायगी आर0के0 स्टूडीयो भुन्तर को की गई।
	;kx	1]07]798-00	

6¼s½ <u>dk;Z dk C;kjk n'kkZ, fcuk QksVks LVsV dh fy, e0 39726-00 #i;s dk vfu;fer 0;; %&</u>

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि निम्न व्यय फोटोस्टेट करवाने हेतु किया गया था फोटोस्टेट किसके आदेश से किया, किस उदेष्य के लिए करवाया गया था यह अंकेक्षण मे नहीं बताया गया। नगर परिषद ने इस कार्य के लिए कोई रजिस्टर भी नहीं लगाया गया था जिसमें फोटोस्टेट किए गए दस्तावेज का उल्लेख किया गया है। बिना रिकार्ड के इस व्यय को अंकेक्षण में उचित नही माना जा सकता। व्यय की गई राशि का पूरा रिकार्ड बनाकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें ताकि व्यय को उचित माना जा सके अन्यथा स्मस्त राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
100	6/01	1,830.00	अदायगी होटल नमन अखाड़ा बाजार कुल्लू को की गई।
78	9/01	1,365.00	अदायगी होटल नमन अखाड़ा बाजार कुल्लू को की गई।
121	11/01	1,952.00	अदायगी होटल नमन अखाड़ा बाजार कुल्लू को की गई।
72	3/02	3,612.00	अदायगी होटल नमन अखाड़ा बाजार कुल्लू को की गई।
65	6/02	4,594.00	अदायगी होटल नमन अखाड़ा बाजार कुल्लू को की गई।
52	9/02	2,946.00	अदायगी होटल नमन अखाड़ा बाजार कुल्लू को की गई।

72	1/03	2,977.00	अदायगी होटल नमन अखाड़ा बाजार कुल्लू को की गई।
67	2/03	2,140.00	अदायगी होटल नमन अखाड़ा बाजार कुल्लू को की गई।
69	6/03	1,122.00	अदायगी होटल नमन अखाड़ा बाजार कुल्लू को की गई।
38	5/03	2,451.00	अदायगी होटल नमन अखाड़ा बाजार कुल्लू को की गई।
62	9/03	1,085.00	अदायगी होटल नमन अखाड़ा बाजार कुल्लू को की गई।
97	8/03	1,616.00	अदायगी होटल नमन अखाड़ा बाजार कुल्लू को की गई।
82	10/03	2,617.00	अदायगी होटल नमन अखाड़ा बाजार कुल्लू को की गई।
113	10/03	849.00	अदायगी होटल नमन अखाड़ा बाजार कुल्लू को की गई।
95	2/04	2,017.00	अदायगी होटल नमन अखाड़ा बाजार कुल्लू को की गई।
77	3/04	1,369.00	अदायगी होटल नमन अखाड़ा बाजार कुल्लू को की गई।
58	8/04	2,314.00	अदायगी होटल नमन अखाड़ा बाजार कुल्लू को की गई।
39	11/04	1,375.00	अदायगी होटल नमन अखाड़ा बाजार कुल्लू को की गई।
52	1/05	1,495.00	अदायगी होटल नमन अखाड़ा बाजार कुल्लू को की गई।
	;kx	39]726-00	

6¼T½ वाऊचर संख्या 34 अवधि 5/01 द्वारा मु0 500.00 रुपये का भुगतान नारायण ठाकुर को पिपल मेला 2004 दौरान अतिरिक्त कार्य करने हेतु किया गया था। इस भुगतान मे निम्न आपतियां पाई गई।

¼d½ नारायण ठाकुर ने ऐसा अतिरिक्त क्या कार्य किया जिसके लिए इसे मु0 500.00 रुपये का भुगतान किया अंकेक्षण में नहीं बताया गया। बिना कार्य के भुगतान का कोई औचित्य नहीं था।

¼[k½ अतिरिक्त कार्य करने के लिए नगर परिषद द्वारा कोई कार्यालय आदेश नहीं किया था, जिसके अभाव में भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

6¼U½ ifrLi?kk nj exok, fcuk 26]200 #i; dk vfu;fer 0;; %&

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि निम्न व्यय विभिन्न सामान की खरीद हेतु किया गया था। सामान खरीद करने से पूर्व कोटेषन/टैण्डर आमन्त्रित नहीं किए गए थे। अंकेक्षण में जब कोटेषन/टैण्डर की मांग की गई तो सम्बन्धित भण्डार प्रभारी प्रस्तुत न कर सके जिसके अभाव में ऐसा प्रतीत होता है कि सामान क्रय करने से पूर्व औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई थी। कार्याकारी अधिकारी स्थिति स्पष्ट करें कि औपचारिकताएं पूर्ण क्यों नही की गई थी साथ में यह भी स्पष्ट करें कि सामान बाजार कीमत से अधिक भाव पर तो नहीं खरीदा गया था।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k	fo'k"k dFku
69	5/01	7,700.00	2 डस्टबिन, चोपड़ा इन्डस्ट्री गान्धी नगर कुल्लू से खरीदे।	आयकर नहीं काटा गया था।
71	5/01	18,500.00	व्हील वैरो, कपिल हार्डवेयर स्टोर कुल्लू से खरीदे गए	आयकर नहीं काटा गया था।
		26]200-00		

6¼v½ <u>e0 36]105-00 #i;s dk lafnX/k 0;; ¼&</u>

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि निम्न व्यय सैपटीक टैंकों की सफाई हेतु किया गया था। इस व्यय मे निम्न आपतियां पाई गई।

¼d½ जिस क्षेत्र की सैपटीक टैंक की सफाई की गई थी में गन्दा मलवा भरने की रिपोर्ट सम्बन्धित सफाई सेवक जमादार ने नहीं की थी कि सैपटिक टैंक मे भर गया है जिसके अभाव में सफाई करवाना उचित नहीं जान पड़ता।

¼[k½ सफाई करने उपरान्त गन्दा मलवा कहां फैंका गया के बारे भी सफाई सेवक/ जमादार/सफाई प्रभारी की रिपोर्ट संलग्न नहीं थी जिसमें सफाई बारे पता चल सकता।

¼x½ सैपटिक टैंक की सफाई करने की रिपोर्ट भी जमादार/सफाई प्रभारी के द्वारा प्रस्तुत नही की थी व सैपटिक टैंक की सफाई किस जमादार/सफाई प्रभारी के सामने करवाई गई की रिपोर्ट भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में व्यय उचित नही जान पड़ता।

¼?k½ जिस सफाई सेवक से टैंक की सफाई करवाई गई दर्षाई थी का पूरा पता नहीं लिखा गया था जिसके बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

उक्त आपतियों के कारण व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाएं तथा की गई कार्रवाई से इस निदेषालय को सूचित करें।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	ftl vnk;xh dh
51	5/01	1,105.00	
72	6/01	2,000.00	
110	6/01	1,000.00	
44	8/01	1,000.00	
64	8/01	2,000.00	
71	10/01	1,000.00	सोनू
55	12/01	1,000.00	सोनू
101	12/01	1,000.00	सोनू
66	7/02	1,000.00	अष्वनी कुमार
54	12/02	1,000.00	परमजीत
55	12/02	1,000.00	सोनू
56	12/02	1,000.00	अष्वनी
82	1/03	1,000.00	सोनू
62	2/03	2,000.00	परमजीत/सोनू
63	2/03	1,000.00	अष्वनी कुमार

62	3/03	1,000.00	जसवीर सिंह
61	8/03	1,000.00	सोनू
91	2/04	1,000.00	राकेश कुमार
67	4/04	1,000.00	प्रेम लाल
68	4/04	1,000.00	अष्वनी
51	6/04	2,000.00	परमजीत
57	6/04	1,000.00	राम कुमार
42	10/04	2,000.00	पवन कुमार
75	1/05	1,000.00	सोनू
88	3/05	3,000.00	सोनू
81	8/05	1,000.00	प्रवीण कुमार
79	9/06	1,000.00	सूरज
67	11/06	1,000.00	सूरज
71	11/06	1,000.00	प्रवीण कुमार
	;kx	36]105-00	

6¼x½ l{ke vf/kdkjh dh Lohd`fr ds fcuk foKkiuksa ij 8]54]842-00 #i;s dk vukf/kd`r O;; ¼&

नगर परिषद के लेखों की छानबीन के दौरान यह पाया गया कि निम्न व्यय विज्ञापनों में विज्ञापन इत्यादि देने हेतु किया गया था। इस पर परिषद द्वारा 4/01 से 3/07 तक मु0 8,54,842.00 रुपये का व्यय किया गया था जो काफी अधिक था। इस व्यय की मन्जूरी सक्षम अधिकारी से प्राप्त नही की गई थी। बिना मन्जूरी के इसे नियमित नहीं माना जा सकता। इस व्यय को सक्षम अधिकारी की मन्जूरी से नियमित करवाया जाए। अन्यथा स्मस्त राशि की वसूली कार्याकारी अधिकारी या उतरदायी कर्मचारी से करके नगर परिषद कोष में जमा

करवाएं तथा की गई कार्यावाही से इस निदेषालय को सूचित करें । भविष्य मे ऐसे व्यय से परिहार किया जाए। व्यय का विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''P'' में उपलब्ध है।

6¼Y½ e0 2]86]295-00 #i;s dk vukf/kd`r 0;; %&

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद ने कुछ ऐसी मदों पर व्यय किया था जो इस निधि से व्यय करना उचित नहीं था। ऐसी मदें पर व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की मन्जूरी ली जानी आवष्यक थी। बिना मन्जूरी के निम्न व्यय को उचित नहीं माना जा सकता। इस व्यय को सक्षम अधिकारी की मन्जूरी से नियमित करवाया जाए, अन्यथा स्मस्त राशि की वसूली कार्याकारी अधिकारी से की जानी सुनिष्चित करें। की गई कार्यावाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। व्यय का विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''Q'' में दर्षाया गया है।

6¼Z½ eqgeku uoktth ij e0 4]93]630-00 #i;s dk vuqfpr 0;; %&

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि निम्न व्यय खान–पान पर किया गया था जो इस निधि से उचित प्रभार नहीं था। पालिका नियम मे कहीं ऐसा प्रावधान नही है कि नगर परिषद कोष से किसी को खाना खिलाया जाए। इस व्यय को अंकेक्षण में उचित नही माना जा सकता। इस व्यय की सरकार से कोई मन्जूरी नहीं ली जो अनियमित थी। इस स्मस्त राशि की वसूली कार्याकारी अधिकारी से ब्याज सहित की जानी सुनिष्चित की जाए। अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
37	5／01	38,840.00	अदायगी इन्द्र चन्द होटल दौलत ढालपुर कुल्लू को ब्रेक फास्ट इत्यादि हेतु की गई।
16	7／01	1,305.00	अदायगी वैषाली होटल गान्धी नगर कुल्लू को की गई।
70	11／01	34,000.00	अदायगी आनन्द लाल खाओ पीओ रेस्टोरैन्ट ढालपुर कुल्लू को की गई।
47	5／02	48,300.00	अदायगी आनन्द लाल खाओ पीओ रेस्टोरैन्ट ढालपुर कुल्लू को की गई।
82	5／02	17,172.00	अदायगी होटल रमणीक ढालपुर कुल्लू को की

			गई।
83	5/02	4,295.00	अदायगी होटल वैषाली ढालपुर गान्धी नगर को की गई।
44	11/02	45,252.00	माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को 21.10.2002 को दोपहर के भोजन हेतु अदायगी हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम कुल्लू को की गई।
39	6/04	39,000.00	अदायगी होटल नमन अखाड़ा बाजार कुल्लू को की गई।
82	5/05	10,112.00	श्री राजकृष्ण गौड़ माननीय कृषि मंत्री हिमाचल प्रदेश को रात्री भोज हेतु भुगतान हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम कुल्लू को किया गया।
107	5/05	47,254.00	श्री राजकृष्ण गौड़ माननीय कृषी मणी हिमाचल प्रदेश को रात्री भोज हेतु भुगतान हिमाचल प्रदेश प्रर्यटन निगम कुल्लू को किया गया।
93	10/06	15,355.00	अदायगी होटल वैषाली गान्धी नगर को की गई।
111	10/06	1,71,748.00	मु0 93,750.00 रुपये का भुगतान हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम कुल्लू को किया।
44	5/03	20,997.00	पिपल जाग मेले में खाना खिलाने का भुगतान हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम कुल्लू को किया गया।
	;kx	4]39]630-00	

6¼a-1½ fu;eks esa izko/kku u gksus ls pk;&iku ij eq0 31]651-00 #i;s dk vuqfpr 0;;

नगर परिषद कुल्लू के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि निम्न व्यय चाय–पान पर किया गया था परन्तु इतनी अधिक राशि को चाय–पान पर व्यय करने का

औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया था। निम्न व्यय उचित नहीं माना जा सकता तथा इसे वसूल किया जाना सुनिष्चित करें।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
57	4/01	450.00	अदायगी दुनी चन्द, हिमालय टी स्टाल अखाड़ा बाजार को की गई।
67	4/01	416.00	अदायगी धनी राम, टी स्टाल अखाड़ा बाजार को की गई।
60	5/01	451.00	अदायगी धनी राम, टी स्टाल अखाड़ा बाजार को की गई।
119	10/01	418.00	अदायगी धनी राम, टी स्टाल अखाड़ा बाजार को की गई।
2	2/02	490.00	अदायगी धनी राम, टी स्टाल अखाड़ा बाजार को की गई।
37	3/02	1500.00	अदायगी फ्रैण्डस कार्नर कुल्लू को की गई।
44	6/02	400.00	अदायगी तिलक मिष्ठान भण्डार कुल्लू को की गई।
74	7/02	500.00	अदायगी धनी राम, टी स्टाल अखाड़ा बाजार को की गई।
34	8/02	500.00	अदायगी धनी राम, टी स्टाल अखाड़ा बाजार को की गई।
33	9/02	500.00	अदायगी धनी राम, टी स्टाल अखाड़ा बाजार को की गई।
71	10/02	633.00	अदायगी शाम टी स्टाल अखाडा बजार कुल्लू को की गईं।
87	1/03	6100.00	अदायगी नारायण मिष्ठान भण्डार ढालपुर को की गई।
42	2/03	300.00	अदायगी उतम टी स्टाल अखाडा बाजार कुल्लू को की गई।
40	3/03	500.00	अदायगी उतम टी स्टाल अखाडा बाजार कुल्लू को की गई।
57	9/06	2500.00	अदायगी नारायण मिष्ठान भण्डार ढालपुर को की गई।
97	7/03	330.00	अदायगी श्याम टी स्टाल अखाडा बाजार कुल्लू को की गई।
43	8/03	500.00	अदायगी श्याम टी स्टाल अखाडा बाजार कुल्लू को की गई।

36	1/04	500.00	अदायगी श्याम टी स्टाल अखाडा बाजार कुल्लू को की गई।
53	2/04	500.00	अदायगी श्याम टी स्टाल अखाडा बाजार कुल्लू को की गई।
65	2/04	4000.00	अदायगी सपना टी स्टाल अखाडा बजार कुल्लू को की गई।
98	6/05	1110.00	अदायगी श्याम टी स्टाल अखाडा बाजार कुल्लू को की गई।
72	7/05	2560.00	अदायगी फ्रैण्डस कार्नर अखाडा बाजार कुल्लू को की गई।
99	2/06	2090.00	अदायगी हिमालय स्वीट शाप अखाड़ा बजार कुल्लू को की गई।
36	3/06	3668.00	अदायगी वैषाली होटल गान्धी नगर कुल्लू को प्रैस कान्फ्रैंस हेतु की गई।
50	7/06	735.00	अदायगी सपना टी स्टाल अखाडा बाजार कुल्लू को की गई।
	;kx	31]651-00	

6¼a-2½ pUn d : i e e0 1]71]800-00 #i; dk vo/k Hkxrku ¼&

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि निम्न व्यय परिषद द्वारा विभिन्न संस्थानों को डोनेषन देने हेतु किया था जो इस निधि से उचित प्रभार नहीं था। पालिका नियमाधीन परिषद किसी प्रकार का डोनेषन देने मे सक्षम नहीं है। इस व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। कार्याकारी अधिकारी द्वारा इस व्यय का औचित्य स्पष्ट नहीं किया जा सका। इस राशि की सम्बन्धित संस्थाओं से वसूली की जानी सुनिष्चित करें, अन्यथा राशि की वसूली कार्याकारी अधिकारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए तथा की गई कार्यावाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
47	6/01	5000.00	अदायगी विकटरी कलब ढालपुर को की गई।
63	6/01	15000.00	अदायगी नगर पंचायत भुन्तर को की गई।
86	6/01	10000.00	अदायगी नगर पंचायत भुन्तर को की गई।
84	4/02	30000.00	अदायगी महामंत्री फुटवाल एसोसिएषन कुल्लू को

			की गई।
85	6/03	20000.00	प्रधान सनातन धर्म सभा अखाड़ा बाजार कुल्लू को भुगतान किया गया।
58	9/03	3100.00	अदायगी गुग्गा मन्दिर को की गई।
59	9/03	3000.00	अदायगी कराटे–दो–एसोसिएषन गान्धीनगर को की गई।
60	9/03	5500.00	अदायगी प्रधान सनातन धर्म सभा अखाडा बाजार को की गई।
104	11/03	25000.00	अदायगी वॉलीवाल एसोसिएषन कुल्लू को की गईं।
92	12/03	3000.00	अदायगी कोर्फ वाल एसोसियेषन कुल्लू को की गई।
66	2/04	10000.00	अदायगी कुल्लू क्रिकेट संध कुल्लू को की गई।
78	1/05	12100.00	मु0 5000.00 रुपये का भुगतान लाहौल स्पीति स्टूडैण्ट एसोसिएषन कुल्लू को की गई। मु0 5000.00 रुपये का भुगतान हनुमान मन्दिर अखाडा बाजार कुल्लू को की गई। मु0 2100.00 रुपये का भुगतान बोध फिट जिम कुल्लू को किया गया।
85	2/07	25000.00	अदायगी सुत्रधार कला संगम कुल्लू को की गई।
46	6/02	5100.00	भुगतान जैन कल्याण सभा कुल्लू के प्रधान को किया गया।
	;kx	1]71]800-00	

6¼b-1½ dk;Zdkjh vf/kdkjh ds fuokl ds nwjHkk"k dk lhfer nk;rk ls Åij e0 13]881 #i;s dk vfu;fer O;; %&

निदेषक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या 9285.89 दिनांक 20.6.2001 द्वारा सभी नगर परिषदों/नगर पंचायतों में कार्यारत कार्याकारी अधिकारी एवं सचिवों को दी गई दूरभाष सुविधा के अर्न्तगत मु0 500.00 रुपये का प्रतिमास भुगतान पालिका निधि से किया जाना अपेक्षित था तथा बाकि बिल की अदायगी स्वयं कार्याकारी अधिकारी को वहन करनी थी, परन्तु नगर परिषद कुल्लू के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद के कार्याकारी अधिकारी द्वारा प्रतिमास आए 500.00 रुपयों से ऊपर के बिल का भुगतान स्वयं न करके नगर परिषद के खाते से कर दिया था जो अनियमित था। कार्याकारी अधिकारी को उसके निवास पर परिषद द्वारा दूरभाष नंम्बर 222503 की सुविधा प्रदान कर रखी थी। नगर परिषद कोष से अधिक किए गए भुगतान जिसका योग मु0 13881 था जिसका विवरण निम्न प्रकार है को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। कार्याकारी अधिकारी समस्त राशि को ब्याज सहित नगर परिषद कोष में जमा करवाए तथा भविष्य में सरकारी आदेषों की पालना करें। की गई कार्यावाही से अंकेक्षण को सूचित करें।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	tek jkf'k 'kh"k Fkh	tek nh xbZ	olwyh ;kX; jkf'k
74	5/01	6608.00	1000.00	1007.00	7.00
73	7/01	7342.00	1000.00	1601.00	601.00
74	9/01	7245.00	1000.00	1920.00	920.00
77	3/02	5571.00	1000.00	1343.00	343.00
103	5/02	7786.00	1000.00	2123.00	1123.00
79	7/02	7030.00	1000.00	1234.00	234.00
69	11/02	6048.00	1000.00	1093.00	93.00
80	5/03	4864.00	1000.00	1038.00	38.00
46	8/03	8262.00	1000.00	2674.00	1674.00
81	9/03	6604.00	1000.00	1763.00	763.00

59	11 / 03	3487.00	500.00	707.00	207.00
39	12 / 03	7616.00	1000.00	2537.00	1537.00
76	2 / 05	5770.00	1000.00	1113.00	113.00
90	6 / 05	8402.00	1000.00	1620.00	620.00
111	8 / 05	9424.00	1000.00	1210.00	210.00
69	10 / 05	11276.00	1000.00	1610.00	610.00
69	12 / 05	14616.00	1000.00	1499.00	499.00
85	4 / 06	9132.00	1000.00	2386.00	1386.00
94	6 / 06	8553.00	1000.00	2027.00	1027.00
90	8 / 06	10016.00	1000.00	2291.00	1291.00
117	10 / 06	7874.00	1000.00	1585.00	585.00
				;kx	13]881-00

6¼c-1½ i/kku uxj ifj"kn d fuokl ij yxs nwjHkk"k ij e0 6906 #i;s dk iko/kku ls vf/kd O;; ¼&

निदेषक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या 9285–89 दिनांक 20. 6.2001 द्वारा हिमाचल प्रदेश के नगर परिषद के प्रधानों को प्रति मास मु0 500.00 रुपये की दूरभाष सुविधा प्रदान की गई थी। उक्त अधिसूचना की अवहेलना करते हुए कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने कुछ मासों में प्रधान नगर परिषद कुल्लू के निवास पर लगाए दूरभाष का अधिक भुगतान कर दिया, जिससे परिषद कोष मे मु0 6906 रुपये का अधिक बोझ पड़ा जो अनियमित था। नगर परिषद ने प्रधान के घर पर दूरभाष नम्बर 222338 आबंटित किया था। अधिक किए गए भुगतान जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं की वसूली तत्त्कालीन प्रधान से ब्याज सहित करके नगर परिषद कोष में जमा करवाएं तथा यह स्थिति स्पष्ट करें कि सरकारी

नियमों की अनेदखी क्यों कि जिससे परिषद के कोंष पर अतिरिक्त बोझ डाला गया की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को सूचित करें।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	n; jkf'k	tk nh xb	vf/kd nh xb jkf'k
74	5／01	6608.00	1000.00	1927.00	927.00
69	11／02	6048.00	1000.00	1015.00	15.00
46	8／03	8262.00	1000.00	1232.00	232.00
59	11／03	3487.00	500.00	563.00	63.00
78	10／04	6040.00	1000.00	1144.00	144.00
69	10／05	11276.00	1000.00	1026.00	26.00
69	12／05	14616.00	1000.00	6306.00	5306.00
87	2／06	7023.00	1000.00	1193.00	193.00
				;kx	6906-00

6¼**d-1**½ f'kdk;r d{k e yxk, x, njHkk"k ij e0 30]748-00 #i; dk Hkkjh vfu;fer 0;; %&

नगर परिषद कुल्लू द्वारा तीन दूरभाष जिनके दूरभाष नम्बर 222396, 222313 एवं 222381 है को हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद कुल्लू के षिकायत कक्ष में लगाया गया था। जिसका प्रयोग हिमाचल प्रदेश परिषद के कार्यरत सेवादार ही करते रहे हैं व दूरभाष का बिल प्रति मास नगर परिषद कुल्लू के कोष से अदा किया जाता रहा है। इस भुगतान का कोई औचित्य नहीं था तथा प्रति मास परिषद को सैंकड़ों रुपयों की हानि उठानी पड़ी है। इन दूरभाष लगाने के लिए सक्षम अधिकारी से कोई मन्जूरी नहीं ली गई थी जो अनियमित थी। इस व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता, इस समस्त राशि को जिसका विवरण निम्न प्रकार है, की वसूली का उतरदायित्व निर्धारित करके की जाए तथा की गई कार्यावाही से इस निदेषालय को सूचित करें। यदि अतिरिक्त इससे अन्य अदायगी की हो तो उसकी सूची स्वयं तैयार करके वसूली करने की और पग उठाएं।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	njHkk"k ij fd;k x;k 0;;

		222396	222381	222313
74	5／01	252.00	252.00	252.00
73	7／01	252.00	252.00	252.00
74	9／01	252.00	262.00	252.00
119	11／01	252.00	252.00	252.00
91	1／02	252.00	252.00	252.00
77	3／02	252.00	252.00	252.00
103	5／02	252.00	252.00	252.00
79	7／02	252.00	252.00	252.00
60	9／02	252.00	252.00	252.00
69	11／02	252.00	252.00	252.00
93	1／03	252.00	252.00	252.00
94	3／03	252.00	252.00	252.00
80	5／03	252.00	252.00	252.00
46	7／03	258.00	258.00	258.00
81	9／03	259.00	259.00	259.00
59	11／03	130.00	130.00	130.00
89	12／03	259.00	259.00	259.00
96	2／04	259.00	259.00	259.00
62	4／04	252.00	252.00	252.00
50	6／04	252.00	252.00	252.00

70	8／04	252.00	252.00	252.00
78	10／04	261.00	261.00	261.00
97	12／04	264.00	264.00	264.00
76	2／05	264.00	264.00	264.00
85	4／05	264.00	264.00	264.00
90	6／05	397.00	397.00	397.00
111	8／05	397.00	397.00	397.00
68	10／05	397.00	397.00	397.00
69	12／05	397.00	397.00	397.00
87	2／06	397.00	397.00	397.00
85	4／06	397.00	397.00	397.00
94	6／06	402.00	402.00	402.00
90	8／06	404.00	404.00	404.00
117	10／06	404.00	404.00	404.00
80	2／07	404.00	404.00	404.00
		10]246-00	10]256-00	10]246-00

;kx ¾ 30]748-00 #i;s

6¼e-1½ l{ke vf/kdkjh dh Lohd`fr izkIr fd, fcuk Bsds ij lQkbZ dk;Z ij Hkkjh vfu;fer O;; %&

नगर परिषद कुल्लू के अभिलेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि कार्याकारी अधिकारी द्वारा नगर परिषद में स्थाई／अस्थाई सफाई कर्मचारी होने के बावजूद कुछ वार्डों मे सफाई व्यवस्था कार्य ठेकेदार को दिया गया । स्थाई／अस्थाई सफाई कर्मचारीयों की उचित संख्या मौजूद होने के बावजूद जिनके द्वारा कुल्लू शहर की सफाई सुचारू रूप से चल रही

थी, तब ठेके पर सफाई करवाने का कोई औचित्य नहीं जान पड़ता। इसे निदेषक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश की कार्योतर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित किया जाए अन्यथा अनियमित व्यय की भरपाई अनिवार्य होगी। इस कार्य को करने से पूर्व उपरोक्त आपति के अतिरिक्त निम्न आपतियां भी पाई गई।

¼d½ सफाई व्यवस्था को ठेके में करवाने का औचित्य अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया कि क्यों ठेकेदार द्वारा सफाई करवाने की आवष्यकता पड़ी।

¼[k½ ठेकेदार के साथ नगर परिषद ने कोई लिखित अनुबन्ध नहीं किया था कि सफाई करने का क्या पैमाना होगा और सफाई न करने के कारण ठेकेदार से वसूली किस ढ़ग से की जाएगी।

¼x½ सफाई किस–किस स्थान पर की जानी आवष्यक थी के बारे कोई दस्तावेज अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए।

¼?k½ सफाई प्रभारी ने शहर में सफाई करवाने हेतु अतिरिक्त सफाई कर्मचारी रखने की कोई मांग नही की गई थी।

¼3½ शहर में कितने क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं थी के क्षेत्रफल बारे कोई विवरण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं था, जिससे सफाई करवाने में सफाई मजदूरों की अत्यन्त आवष्यकता थी और कार्य ठेके पर दिए जाने से नगर पंचायत को कितना लाभ हुआ के बारे कोई टिप्पणी नही की गई थी।

¼p½ ठेकेदार को देय राशि में आयकर नहीं काटा गया था जो काटा जाना था। इसका उतरदायित्व निर्धारित करके वसूली कर राशि आयकर विभाग को चालान द्वारा जमा करवाए तथा चालान की छाया प्रति इस निदेषालय को प्रेषित की जाए।

¼N½ सफाइ प्रभारी से इस ठेके से सम्बन्धी कार्यालय आदेश बारे जब पूछा गया तो उस द्वारा आदेश के प्रति अनभिज्ञता जताई। बिना आदेश के कार्य करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा कितने सफाई कर्मचारी इस ठेके के कार्य के लिए तैनात किए थे के नाम का क्या विवरण था, वह भी सफाई प्रभारी के पास रिकार्ड मे विद्यमान नही था।

उक्त आपति अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में कार्य ही नहीं हुआ था, न ही इस कार्य का कोई टैण्डर किया गया था। निम्न व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः अंकेक्षण में इस व्यय को उचित नही माना जा सकता। इस राशि की वसूली कार्याकारी अधिकारी से की जाए तथा लेखा पाल ने औपचारिकता बिना इन बिलों को कैसे पास किया के बारे में स्थिति

स्पष्ट करें। की गई कार्रवाई से इस निदेषालय को सूचित करें। ठेके पर किए गए मु0 3329575/–रुपये का विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''R'' मे दिया गया है।

6¼f-1½ fcuk 0;; okÅpjksa ds rFkk fØ;kfof/k fu;ekoyh dk Hkh ikyu fd, fcuk 70]360-00 #i;s dk lafnX/k@vfu;fer 0;; ½&

नगर परिषद के लेखों की जांच पड़ताल के अर्न्तगत पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार 70,360.00 रुपये का व्यय रोकड़ बही में दर्षाया गया है, परन्तु उससे सम्बन्धित कार्यालय क्रियाविधि (Procedure) नहीं अपनाई गई तथा व्यय के वाऊचर भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए, जिनके अभाव में व्यय का सत्यापन नहीं किया जा सका। इसलिए उसे आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत किया जाए। अन्यथा 70,360.00 रुपये की राशि की वसूली करके परिषद कोष में जमा करवा दिए जाए :–

ok0 la0	vof/k	jkf'k	fooj.k
93	1/06	21,685.00	चिकित्सालय वेस्ट की ढुलाई का भुगतान श्री प्रेम नन्द कुल्लू को किया दर्षाया गया।
62	4/06	48,675.00	सैनिटेषन कार्य का भुगतान श्री प्रवीण कुमार को किया गया।

6¼g-1½ fcuk dk;kZy; dk;Z fof/k viuk,s rFkk izfrLi/kkZ nj dks eaxok, fcuk 9494-00 #i;s dk vfu;fer 0;; ½&

okÅpj la[;k vof/k 9@04 ckor jkf'k 9494-00

उक्त वाऊचर में मु0 2600.00 रुपये का भुगतान श्री षिव चन्द ठेकेदार को ढालपुर मैदान में 18.4.2004, 19.4.2004, 20.4.04 एवं 27.4.2004 को पानी छिड़काव करने हेतु दिखाया गया। उक्त कार्य प्रधान नगर परिषद के मौखिक आदेषों के द्वारा किया गया था। पानी का छिड़काव किस उदेष्य के लिए किया गया के बारे कोई भी अभिलेख अंकेक्षण मे आवष्यक जांच हेतु प्रस्तुत नही किया गया। कार्य करने से पूर्व निविदिएं भी आमंत्रित नहीं की गई थी। निविदाओं के लिए बिना प्रतिदिन का पानी का छिड़काव पर मु0 650.00 रुपये व्यय करने का क्या औचित्य था? न ही किए गए कार्य को इन्द्राज किया था, जिससे किए गए कार्य बारे पता चल सकता। इस व्यय को बिना रिकार्ड के उचित नही माना जा सकता। राशि की वसूली का उतरदायित्व निर्धारित करके राशि को नगर परिषद कोष में जमा करवाए।

6¼h-1½ fcuk 0;; okÅpjksa ds 53400-00 #i;s dk vfu;fer@lafnX/k 0;; ½&

वाऊचर संख्या 81 अवधि 3/06 द्वारा मु0 24,000.00 रुपये का भुगतान तथा वाऊचर संख्या 63 अवधि 1/06 द्वारा मु0 29,400.00 रुपये का भुगतान श्री हरी प्रकाश कुल्लू को सेग्रीकेषन कार्य हेतु किया दर्षाया गया था। इसका बिल रिकार्ड में उपलब्ध नहीं था। मांगने

पर भी बिल अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे साफ प्रतीत होता है कि बिना बिल के उक्त राशि की अदायगी की गई। इस कार्य करने का सक्षम अधिकारी के आदेश भी रिकोर्ड मे उपलब्ध नहीं थे। इस राशि के दुरूपयोग होने से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। राशि की वसूली करके नगर परिषद कोष मे जमा करवाए।

6¼i-1½ dk;ky; dk;Z ifØ;k viuk, fcuk 3000 #i;s dk lafnX/k O;; %&

वाऊचर संख्या 36 अवधि 5/06 द्वारा मु0 3000.00 रुपये का भुगतान श्री पोरिन्द्र कुमार कैशियर को पीपल वृक्ष काटने हेतु किया गया था। पेड से कितनी लकड़ी प्राप्त हुई व उसका भण्डारण इन्द्राज कहां किया गया था, यह अंकेक्षण में नहीं बताया गया व पीपल पेड किससे कटवाया गया का पूरा रिकॉड भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव मे व्यय उचित नहीं जान पड़ता। आगामी अंकेक्षण मे सम्बन्धित रिकॉर्ड आवष्यक जांच हेतु प्रस्तुत करें अन्यथा राशि की वसूली करके परिषद कोष में जमा करवाएं।

6¼j-1½ fcuk foooj.k ds fcy ds QyLo:i 1050-00 #i;s dk lafnX/k Hkqxrku %&

वाऊचर संख्या 73 अवधि 6/06 द्वारा मु0 1050.00 रुपये का भुगतान मोहिन्द्र सिंह कार्याकारी अधिकारी को रिफरेषमेन्ट चार्ज हेतु किया गया बिल बिना नाम का पाया गया, जिसमे किसी का नाम अंकित नही किया गया था। इस बिल के भुगतान को उचित नहीं माना जा सकता व बिल को अंकेक्षण में एडमिट नहीं किया जा सकता। राशि की वसूली करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए।

6¼k-1½ वाऊचर संख्या 75 अवधि 6/06 द्वारा मु0 5955.00 रुपये का भुगतान एस0जे0एस0आर0वाई(SJSRY) मद से हिमाचल प्रदेश निगम को रिफरेषमैन्ट हेतु किया गया। यह भुगतान उक्त मद से उचित प्रभार नही था। इस राशि की वसूली का उतरदायित्व निर्धारित करके राशि (SJSRY) निधि में जमा करवाए तथा की गई कार्यावाही से अंकेक्षण को सूचित करें।

6¼L-1½ eq0 1324-00 #i;s dk vfu;fer O;; %&

वाऊचर संख्या 56 अवधि 8/02 द्वारा मु0 1324.00 रुपये का भुगतान श्री पोरिन्द्र कुमार कैशियर को पुलिस के द्वारा चलाए गए नषा निवारण प्रोग्राम के लिए दिया गया। यह व्यय इस निधि से उचित प्रभार नहीं था इस राशि की वसूली करके निधि मे जमा करवाएं अन्यथा व्यय को सक्षम अधिकारी की मन्जूरी से नियमित करवाया जाए।

6¼m-1½ eq0 34]222-00 #i;s dk vukf/kd`r O;; %&

कार्याकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा मु0 34,222.00 रुपये का भुगतान वाऊचर संख्या 57 अवधि 6/06 द्वारा निम्न फर्मों को किया। जिन बिलों में कार्याकारी अधिकारी का नाम अंकित था।

	ft l: Hkxrku fd;k	jkf'k
1	बसेरा होलीडे हाऊस वदाह कुल्लू	29,877.00
2	होटल रमणीक ढालपुर कुल्लू	2,145.00
3	रॉक एण्ड रिवर होटल कुल्लू	2,200.00
	;kx	34]222-00

उक्त भुगतान पिपल यात्रा 2006 दौरान होटलों में ठहराव हेतु किया गया था। कार्याकारी अधिकारी के द्वारा किसे होटलों में ठहराया गया का विस्तृत ब्यौरा अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया तथा बिल पर कार्याकारी अधिकारी का नाम अंकित होने से एसा प्रतीत होता है कि कार्याकारी अधिकारी द्वारा स्वयं इन होटलों का प्रयोग किया था। यह व्यय इस निधि से उचित प्रभार नहीं जान पड़ता तथा इस व्यय को अंकेक्षण मे बिना सक्षम अधिकारी की मन्जूरी से नियमित नही माना जा सकता। इस समस्त राशि की वसूली कार्याकारी अधिकारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए।

6¼n-1½ fcuk ikIrdrk d: i.k foojk.k rFkk LVkd ifo"Vh fd, fcuk 7]000-00 #i;: dk vfu;fer o lfnX/k 0;; ¼&

मु0 7,000.00 रुपये का भुगतान वाऊचर संख्या 98 अवधि 6/03 द्वारा डोला राम को किया गया, जिसका पूरा पता बिल पर मौजूद नहीं था। यह भुगतान डोला राम को पेड़ काटने हेतु किया गया था पेड़ से कितनी लकड़ी प्राप्त हुई का इन्द्राज भण्डार पन्जिका में नहीं किया गया था और न ही इस पेड़ की लकड़ी से प्राप्त आया का भी कोई लेखा–जोखा परिषद लेखाकार के द्वारा दिखाया गया। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि न तो लकड़ी काटी गई ओर न ही लकड़ी की प्राप्ती हुई। यह भुगतान बिना पते के भी संदिग्ध प्रतीत होता है। इस भुगतान को बिना रिकार्ड से अंकेक्षण में उचित नही माना जा सकता। राशि की वसूली करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए तथा की गई कार्यावाही से अंकेक्षण को सूचित करें।

6¼o-1½ e0 21]600-00 #i;: dk vufpr o lfnX/k 0;; ¼&

वाऊचर संख्या 50 अवधि 2/03 द्वारा मु0 21,600.00 रुपये का भुगतान श्री चेत राम ठाकुर गाड़ी नम्बर एच0पी–34–2470 को दिनांक 24.7.02 से 19.8.02 तक गाड़ी से पार्क में

पानी देने हेतु किया गया। जबकि पार्क में नगर परिषद के द्वारा पानी का नल लगा रखा है व माली उसी नल का प्रयोग पार्क में लगे फूल पौधों के लिए करता है, तब गाड़ी से पानी देने का कोई औचित्य नहीं था। नगर परिषद क्षेत्र में पानी की कोई समस्या नहीं होती। नगर परिषद द्वारा केवल गाड़ी से पार्क मे पानी देने का जो बिल पास किया था वह गलत था, क्योंकि जब पानी का नलका पार्क मे पानी देने के लिए काफी था तो गाड़ी की क्या आवष्यकता पड़ी। गाड़ी के द्वारा एक दिन में कितना लीटर पानी लाया गया का भी कोई लेखा जोखा परिषद रिकार्ड में नहीं था व पानी कहां से लाया गया का भी रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में भी यह भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है इस राशि की वसूली करके नगर परिषद कोष में जमा करवाएं तथा भविष्य में ऐसे भुगतान से परिहार किया जाए।

6¼p-1½ e0 1]180-00 #i;s ;k=k HkÙkk dk vf/kd Hkqxrku ¼&

वाऊचर संख्या 86 अवधि 12/02 द्वारा मु0 1,680.00 रुपये का भुगतान श्री राम सिंह प्रधान नगर परिषद कुल्लू को षिमला प्रवास के लिए किया गया, जिसमें उनके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मिलने हेतु अपने यात्रा भत्ता बिल में अंकित किया था। प्रधान, नगर परिषद द्वारा इस यात्रा के लिए अपनी गाड़ी का प्रयोग करते हुए मु0 1,440.00 रुपये किराया वसूला था जबकि प्रधान द्वारा अपनी गाड़ी के विरूद्ध किराया लेने का प्रावधान नहीं था। प्रधान को केवल बस द्वारा किराए का भुगतान किया जाना उचित था जो मु0 260.00 रुपये आने व जाने का बनता था देय किया जाना था। इस प्रकार प्रधान नगर परिषद को मु0 1,180.00 रुपये (1440–260) का भुगतान अधिक किया गया था। इस राशि को पूर्व प्रधान श्री राम सिंह से वसूल कर नगर परिषद कोष में जमा करवाए तथा की गई कार्यावाही से अंकेक्षण को सूचित करें।

6¼q-1½ lkoZtfud fuf/k ls 0;; esa vnwjn'khZrk ds QyLo:i 4]500-00 #i;s dk vi0;; ¼&

वाऊचर संख्या 57 अवधि 8/01 द्वारा मु0 4,500.00 रुपये का भुगतान फैंसी क्लॉथ हाऊस अखाड़ा बजार कुल्लू को 6 कम्बल विश्राम गृह हेतु खरीदे गए। विश्राम गृह के अभिलेख की छानबीन दौरान यह पाया गया कि विश्राम गृह के प्रयोग हेतु काफी मात्रा में कम्बल/रजाईयां उपलबध थी, तब कम्बल खरीदने का कोई औचित्य नहीं था। विश्राम गृह का पुराना सामान काफी अच्छी हालत मे था व पुराने सामान की खराबी बारे भी कोई रिपोर्ट रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थी। तब कम्बल खरीदने की क्या आवष्यकता पड़ी इस बारे कोई तसल्लीबक्श उतर नहीं दे सके। इस व्यय को उचित नही माना जा सकता।

6¼r-1½ e0 600-00 #i;s dk vfu;fer@lfnX/k 0;; ¼&

मु0 600.00 रुपये का भुगतान वाऊचर संख्या 63 अवधि 6/02 द्वार देवधरा टैलिकॉम सैन्टर कुल्लू को किया गया था। इस राशि का भुगतान किस उदेष्य के लिए किया गया था यह अंकेक्षण में नहीं बताया गया। बिना उदेष्य के भुगतान को उचित नही माना जा सकता। राशि की वसूली करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए।

6¼s-1½ n/kVukxLr VªDVj dh ejEer ij ftEeokjh Bgjk, cxSj o chek dEiuh ds nkok fy, cxSj 26]214-00 #i;s dk vfu;fer 0;; ¼&

वाऊचर संख्या 18 अवधि 2/02 द्वारा मु0 26,214.00 रुपये ट्रैक्टर नम्बर एच0पी–34–3498 की मुरम्मत पर व्यय किया गया था। उक्त ट्रैक्टर को चालक द्वारा दुर्धटनाग्रस्त किया गया था। दुर्धटना के कारणों का पता लगाए बिना यह भुगतान पालिका कोष से किया गया। साथ ही बीमा कम्पनी से भी इस क्षति को पूरा करने का दावा पेश नहीं किया गया। अतः जांच की जाए की क्या दुर्धटना चालक की लापरवाही से हुई थी या नहीं तथा बीमा कम्पनी से क्यों क्षति पूर्ति नहीं की गई ?

6¼t-1½ U;k;ky; mifLFkfr izek.k i= ds fcuk 3408-00 #i;s ds ;k=k HkÙks dk vfu;fer Hkqxrku ¼&

अभिलेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद के कार्याकारी अधिकारी द्वार न्यायालय में पेषी के विरूद्ध यात्रा भत्ता बिल प्राप्त किया था। बिल के साथ न्यायालय की पेषी के दौरान न्यायालय से हाजरी प्रमाण पत्र (Attedence certificate) की प्रति संलग्न नहीं की गई थी, जिसके अभाव में यह जांचना मुष्किल था कि वास्तव में कार्याकारी अधिकारी द्वारा न्यायालय में हाजरी लगाई गई थी या नहीं । यात्रा भत्ता बिल के साथ हाजरी प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य था। आगामी अंकेक्षण में न्यायालय का हाजरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए अन्यथा यात्रा पर किए गए व्यय की राशि को नगर परिषद कोष में जमा करवाए।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
60	8/02	489.00	कुल्लू से षिमला ट्रिब्यूनल में पेषी हेतु यात्रा भत्ता लिया।
57	2/03	1796.00	कुल्लू से षिमला कोर्ट केस हेतु यात्रा की
69	11201	1123.00	कुल्लू से षिमला कोर्ट पेषी हेतु यात्रा की
		3408-00	

6¼u-1½ eq0 19]000-00 #i;s dk vuqfpr O;; ¼&

कार्याकारी अधिकारी द्वारा नारायण ठाकुर को अनाधिकृत रूप मे कम्यूनिटी ओर्गनाईज़र के पर पर सरकार के आदेश के बिना तैनात किया था इसके लिए उक्त अधिकारी के द्वारा रोजगार कार्यालय से भी नाम लिए बिना नारायण ठाकुर को तैनात किया जो सरकारी नियमों की अवहेलना थी । कार्याकारी अधिकारी द्वारा नारायण ठाकुर को मास 4/02 से 11/03 तक एक म्यूज़िकल फब्बारा को चलाने व बन्द करने हेतु मु0 1000.00 रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जबकि यह कार्य नगर परिषद चौकीदार के द्वारा किया जा सकता था। म्यूजिकल फब्बारा को केवल चलाना व बन्द करने का कार्य के लिए मु0 1000.00 रुपये का मासिक भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए, यह भी स्पष्ट करें कि एक अनाधिकृत रूप से लगाए गए दैनिक भोगी कर्मचारी से अतिरिक्त कार्य क्यों लिया गया व उसके द्वारा किए गए कार्य का कोई मस्टरोल/हाजरी पंजिका भी अंकेक्षण में आवष्यक निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव मे किया गया कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है। परिषद रिकार्ड में म्यूजिकल फब्बारा चलाने बारे रिकार्ड भी उपलब्ध नहीं था। जिससे साफ प्रतीत होता है कि कार्यकारी अधिकारी द्वारा उक्त अनाधिकृत रूप से लगाए गए दैनिक भोगी को लाभ दिया जिससे परिषद को मु0 19,000.00 रुपये की हानि हुई । इस राशि की वसूली कार्याकारी अधिकारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए। की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को सूचित करवाया जाए। यदि इस राशि के अतिरिक्त का भुगतान किया हो तो उस राशि की गणना स्वयं करें।

ok0 l0	vof/k	jkf'k
55	4/02	1000.00
31	5/02	1000.00
31	6/02	1000.00
31	7/02	1000.00
33	8/02	1000.00
32	9/02	1000.00
53	10/02	1000.00

21	11/02	1000.00
36	1/03	1000.00
38	2/03	1000.00
42	3/03	1000.00
42	4/03	1000.00
25	5/03	1000.00
—	6/03	1000.00
44	7/03	1000.00
38	8/03	1000.00
—	9/03	1000.00
41	10/03	1000.00
52	11/03	1000.00
	;kx	19000-00

6¼v-1½ T;knk jsV yxkus ds dkj.k e0 25]600-00 #i;s dk vf/kd Hkqxrku %&

वाऊचर संख्या 8 अवधि 11/05 द्वारा मु0 44,800.00 रुपये का भुगतान दौलत राम निवासी बजौरा जिला कुल्लू को जे0सी0वी0 के कार्य हेतु किया गया। जे0सी0वी0 मोहल स्थित सोलिंग वेस्ट मनैज़मेन्ट प्रोजैक्ट मे कुढ़े की सफाई हेतु लगाया जाना अपेक्षित था। इस कार्य हेतु स्वास्थय पर्यवेक्षक ने स्वयं तीन निविदाएं प्राप्त की जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

	uke	nj izfr ?k.Vk	fnukad
1	दौलत राम बजौरा(कुल्लू)	300.00	नहीं लिखा था
2	आषादीप कन्स्ट्रक्षन धरास (कुल्लू)	800.00	नहीं लिखा था
3	गोपाल शर्मा थलौट, मण्डी	900.00	नहीं लिखा था

उपरोक्त निविदाओं की तुलनात्मक विवरणी मे भी तिथि अंकित नहीं की थी व बिना तिथि के ही सारा कार्य कार्याकारी अधिकारी द्वारा किया गया तथा कार्य श्री दौलत राम बजौरा निवासी को दिया गया इस कार्य के लिए कार्याकारी अधिकारी द्वारा कोई लिखित आदेश भी जारी नहीं किए गए थे। बिना कार्यालय आदेश के ही कार्याकारी अधिकारी द्वारा कार्य करवाया गया जो गम्भीर अनियमितता थी व कार्याकारी अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व किए गए कार्य की गणना माप पुस्तिका में भी नही की थी जो अनियमित थी।

उक्त निविदा अनुसार श्री दौलत राम निवासी बजौरा ने मु0 300.00 रुपये प्रति घण्टा की दर से जे0सी0वी लगाने हेतु निविदा दी थी परन्तु कार्याकारी अधिकारी द्वारा मु0 700.00 रुपये प्रति घण्टा की दर से 64 घण्टे तक जे0सी0वी का कार्य लिए जाने का भुगतान मु0 44,800.00 रुपये किया गया, जबकि उक्त जे0सी0वी. कार्य का भुगतान दौलत राम को मु0 300.00 रुपये प्रति घण्टा की दर से मु0 19,200.00 रुपये का बनता था। इससे मु0 15600.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया जो एक गम्भीर अनियमितता थी। मु0 25,600.00 रुपये की वसूली तुरन्त दोषी कर्मचारी से करके परिषद कोष में जमा करवाए तथा जो कार्य जे0सी0वी0 द्वारा 64 घण्टे में किया गया को नगर अभियन्ता से नियमाधीन सत्यापित करवाएं तथा बिना प्राक्कलन के कार्य किए जाने की स्थिति को स्पष्ट करें।

6¼w-1½ ifj"kn fuf/k ij mfpr iHkkj u gksus ls 1]52]560-00 #i;s dk vfu;fer 0;;%&

नगर परिषद लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि परिषद द्वारा कुछ व्यय जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है ऐसी मदों पर किया गया था जो इस निधि से उचित प्रभार नहीं था इस व्यय की सक्षम अधिकारी से मन्जूरी भी नहीं ली गई थी, जिसके अभाव में इस व्यय को उचित नहीं माना जा सकता तथा नियमो में भी इस प्रकार के व्यय नहीं किए जा सकते थे। इन मदों पर मु0 1,52,560.00 रुपये का भुगतान किया था, को अंकेक्षण में उचित नही माना जा सकता। इस व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए, अन्यथा समस्त राशि की वसूली कार्याकारी अधिकारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाएं। की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
93	3/03	20,000.00	सचिव फुटबॉल एसोसिएषन कुल्लू को फुटबॉल मैच करवाने हेतु भुगतान किया गया।
75	5/03	28,510.00	पीपल जाग मेला 2003 में रमणीक होटल कुल्लू मे

			लोगों को ठहरने हेतु भुगतान किया गया। होटल मे किन–किन को ठहराया गया का पूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत न किया गया।
57	1/05	21,000.00	कार्याकारी अधिकारी द्वारा क्रिकेट का सामान खरीद करना दर्षाया है व सामान क्रिकेट एसोसियेषन कुल्लू को दिया दर्षाया था। वास्तविक बिल व सामान पावती रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थी जिसके अभाव में व्यय उचित नहीं जान पड़ता।
87	5/05	28,050.00	पीपल जाग मेला 2005 मे रमणीक होटल कुल्लू मे लोगों को ठहराने हेतु भुगतान किया था। किन–किन लोगों को ठहराया गया इसका विवरण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं था।
60	5/05	45,000.00	पीपल मेला 2005 में साऊण्ड एण्ड लाईट के विरूद्ध भुगतान सुत्रधार कला संगम कुल्लू को किया।
76	5/06	10,000.00	पीपल मेला 2006 के प्रोग्राम को टैलीकास्ट करने हेतु भुगतान एस0एन0एस0 लिमिटिड ढालपुर कुल्लू को किया।
		1]52]560-00	

6¼x-1½ Li"V iek.k d fcuk e0 7]200-00 #i; dk vufpr@lfnX/k 0;; ½&

वाऊचर संख्या 65 अवधि 1/05 द्वारा मु0 7,200.00 रुपये का भुगतान सोहन लाल कुल्लू को शहर में पानी के छिड़काव हेतु किया गया था। जिस गाड़ी द्वारा पानी का छिड़काव किया गया था उस गाड़ी का नम्बर बिल में अंकित नहीं किया था। बिना गाड़ी नम्बर के पानी का छिड़काव करना संदेह पैदा करता है, जिसके अभाव में ऐसा प्रतीत होता है कि न तो पानी का छिड़काव किया था और न ही गाड़ी का प्रयोग पानी लाने के लिए किया गया था। इस किए कार्य को माप पुस्तिका मे भी दर्षाया नही गया था। इस व्यय को प्रमाणों के अभाव में उचित नहीं माना जा सकता। इस राशि की वसूली करनी सुनिष्चित करके राशि को नगर परिषद कोष में जमा करवाएं। की गई कार्यावाही से अंकेक्षण को सूचित करें।

6¼y-1½ e0 45]000-00 #i;s dk vufpr 0;; ½&

वाऊचर संख्या 60 अवधि 5/05 द्वारा मु0 45,000.00 रुपये का भुगतान सुत्रधार कला संगम कुल्लू को पीपल मेला के आयोजन पर साऊण्ड व लाईट के लगाने हेतु किया था। इस व्यय की मन्जूरी सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं की थी, जिसके बिना व्यय को उचित नही माना जा सकता था। इस प्रकार के व्यय नहीं किए जा सकते थे। इस व्यय को अंकेक्षण में उचित नही माना जा सकता। इस व्यय को सक्षम अधिकारी की मन्जूरी से नियमित करवाया जाए, अन्यथा समस्त राशि की वसूली उतरदायित्व निर्धारित करके की जाए।

6¼z-1½ jktuhfrd ikVhZ ds pquko fpUg okys foKkiu gsrq ifj"kn fuf/k ls 11]665-00 #i;s dk vufpr Hkxrku ½&

वाऊचर संख्या 108 अवधि 7/06 द्वारा मु0 11,665.00 रुपये का भुगतान विज्ञापनों पर किया दर्षाया गया था। इस में से मु0 6,313.00 रुपये का भुगतान विज्ञापन हेतु अमर उजाला को किया गया था। प्रधान नगर परिषद द्वारा इस विज्ञापन पर कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह का प्रयोग किया था जो अनियमित ही नहीं बल्कि धन का दुरूपयोग भी दर्षाता है। नगर परिषद कोष से किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर किए विज्ञापन व्यय को उचित नहीं माना जा सकता। उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित प्रधान परिषद से या कार्याकारी अधिकारी से करनी सुनिष्चित करें तथा परिषद को हुई ब्याज हानि की भी वसूली करके समस्त राशि नगर परिषद कोष में जमा करवाएं। अनुपालना की पुष्टि आगमी अंकेक्षण में की जाए।

6¼i½ ikjn'khZ dk;kZy; ifØ;k ds fcuk e0 5]59]244-00 #i;s dk vfu;fer 0;; ½&

नगर परिषद द्वारा समय–समय पर बिजली के पोल खरीदे थे इन पोलों की खरीद से पूर्व परिषद द्वारा नगर अभियन्ता द्वारा कोई प्राक्कलन नहीं बनाया था व खरीद करने से पूर्व नगर अभियन्ता के माध्यम से सक्षम अधिकारी से भी कोई मन्जूरी प्राप्त नहीं की थी। इन पोलों को खरीदने की क्या आवष्यकता थी इसके बारे भी अंकेक्षण को नहीं बताया गया। इन पोलों को कहां–कहां पर लगाया गया का भी लेखा जोखा अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान मु0 55,92,244.00 रुपये के पोल खरीदे थे जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। नगर अभियन्ता के रिकार्ड अनुसार इन पोलों को लगाने के कार्य का विवरण माप पुस्तिका में भी नहीं किया था जिसके अभाव में पोलों की खरीद अनियमित थी।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
50	11/01	50,000.00	मु0 41,150.00 रुपये का भुगतान रतन संज़ सरवरी

			बाजार को किया गया।
102	10/02	1,38,580.00	अरूणा ट्रेडर्ज अखाड़ा बाजार कुल्लू को भुगतान किया।
67(ए)	12/04	1,32,000.00	भुगतान चोपडा इलैक्ट्रीक वर्कस के0वी0 धर्मषाला को किया गया।
97	8/05	70,000.00	भुगतान न्यू इण्डिया ट्रेडिंग कम्पनी रधुनाथ पुर कुल्लू को किया।
60	7/06	1,15,500.00	भुगतान न्यू इण्डिया ट्रेडिंग कम्पनी रधुनाथ पुर कुल्लू को किया।
90	10/06	53,164.00	भुगतान रतन संज़ सरवरी बाजार को किया गया।
	;kx	55]92]244-00	

6¼ii½ vikjn'kh o vfu;fer :i ls fufonk,a ikIr djus ij rFkk fd, x, dk;Z ds lR;kiu ds fcuk ifj"kn fuf/k dk yk[kk #i;k dh gkfu %&

नगर परिषद कुल्लू द्वारा वर्ष 2004 दषहरा के सफाई व्यवस्था हेतु 21.9.04 को टैण्डर किए, जिसमें 35 दिनों तक सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जानी थी व टैण्डर 5.10.04 को खोले जाने थे। इसके लिए कोई टैण्डर प्राप्त नहीं हुए। परिषद द्वारा 8.10.04 को दौबारा टैण्डर किए जिसे 14.10.04 को खोला जाना था परन्तु 14.10.04 तक भी कोई निविदा प्राप्त न हुई। तत्पष्चात स्वास्थय पर्यवेक्षक के अनुसार 17.10.04 को तीन ठेकेदार कार्यालय में आए व सफाई व्यवस्था हेतु निविदा दी जिसका विवरण निम्न प्रकार था।

uke	fuokl	frfFk	jkf'k	ftrus fnu gsrq	jkf'k izfrfnu	fo'ks"k dFku
यूनूस	होशियारपुर (पंजाब)	शुन्य	4 लाख	25	16,000.00	निविदा खोलते समय निविदा खोलने वालों से तिथि अंकित नहीं की थी जिसमें ई0ओ0/प्रधान/उपप्रधान के हस्ताक्षर थे।
जोगेन्द्र	होशियारपुर (पंजाब)	शुन्य	3.75 लाख	33	11,364.00	–यथोपरि–

मोहन लाल	होशियारपुर (पंजाब)	16.10.04	3.25 लाख	25	13,000.00	इस निविदा में स्वास्थय पर्यवेक्षक द्वारा निविदा को 16.10.04 को स्वयं एकत्रित करना दर्षाया था व इस निविदा में ई0 ओ0 / प्रधान / उपप्रधान के हस्तारक्षर भी थे।

उक्त सभी निविदा में सफाई व्यवस्था के लिए 10 सफाई सेवकों को लगाया जाने बारे लिखा था। स्वास्थय पर्यवेक्षक के द्वारा स्वयं लिखा है कि 17.10.04 को तीन ठेकेदार परिषद कार्यालय में आए व उनके द्वारा निविदा दी गई परन्तु निविदा के स्थिति से स्पष्ट है कि यदि निविदाकार 17.10.04 को कार्यालय में आए तो प्रधान / उप प्रधान / ई0ओ0 व अन्य के द्वारा निविदा को एकत्रित शब्द लिख कर 16.10.04 को खोला गया था। इससे साफ दिखाई देता है कि 17.10.04 को कोई भी निविदाकार कार्यालय में नहीं आए व स्वास्थय पर्यवेक्षक इत्यादि द्वारा 16.10.04 को ही निविदाएं एकत्रित कर ली थी व सभी निविदाकार होशियारपुर पंजाब से सम्बन्धित थे तथा होशियारपुर से 16.10.04 को सुर्दषन कुमार स्वास्थय पर्यवेक्षक द्वारा निविदा एकत्रित करना दर्षाया था इसकी स्थिति, जारी की गई अधियाचना के जबाब में कार्याकारी अधिकारी स्पष्ट नहीं कर सके तथा न ही निविदाकार नगर परिषद कार्यालय में आए निविदा लिए जाने बारे व एकत्रित करने बारे सारी स्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है। इसकी छानबीन किए जाने की सिफारिश की जाती है।

उपरोक्त प्राप्त निविदाओं की बनी तुलनात्मक विवरणी में सुदर्षन कुमार स्वास्थय सहायक द्वारा समय अवधि 18.10.04 से 11.11.05 अंकित की है जिसका अनुमोदन ई0ओ0 / प्रधान परिषद द्वारा भी किया गया था तुलनात्मक विवरणी में गलत लिखा गया है कि जोगिन्द्र निविदाकार की दर अधिक थी जबकि जोगिन्द्र ठेकेदार द्वारा 10.10.04 से 11.11.04 की दर 11,364 /—रुपये प्रतिदिन भरी थी जिसको कार्याकारी अधिकारी ने मन्जूर नहीं किया तथा व जिसने मु0 13,000.00 रुपये प्रतिदिन सफाई बारे दरें भरी थी को मन्जूर करके अपने पत्र संख्या एम0सी0के / एस0आई / 04 / 674 दिनांक 17.10.04 को ठेका मोहन लाल ठेकेदार को दिया, जिसमें कार्याकारी अधिकारी द्वारा यह अंकित किया है कि उसकी दरों को परिषद द्वारा मन्जूर किया है। परन्तु 17.10.04 को इस संदर्भ में परिषद की कोई भी बैठक नहीं हुई थी व कार्याकारी अधिकारी द्वारा बिना परिषद के मन्जूरी के आदेश दिए इस की छानबीन की जानी आवष्यक है कि परिषद की मन्जूरी कब ली गई थी तथा जब जोगिन्द्र ठेकेदार ने मु0 11,364.00 रुपये प्रतिदिन सफाई करने बारे निविदा दी थी जो मोहन लाल ठेकेदार की निविदा से 1636 /—रुपये कम थी को ठेका क्यों नहीं दिया गया, जिससे परिषद को मु0 40900 /—रुपये की हानि कार्याकारी अधिकारी के द्वारा हुई थी की वसूली ब्याज सहित कार्याकारी अधिकारी से करके परिषद कोष में जमा करवाए।

कार्याकारी अधिकारी द्वारा सफाई हेतु 70 सफाई सेवकों को लगाने बारे लिखा था जब कार्याकारी अधिकारी द्वारा दिनांक 17.10.04 को मोहन लाल ठेकेदार को 70 सफाई सेवकों द्वारा काम किए जाने बारे लिखा गया तो 18.10.04 को कितने सफाई सेवक ठेकेदार के द्वारा लाए गए के बारे कोई लेखा–जोखा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। निविदा में साफ लिखा था कि सफाई सेवकों को होशियारपुर से लाने ले जाने का खर्चा भी निविदा में अंकित था। जितने सफाई सेवक होशियारपुर से आने की तिथि से साफ जानकारी प्राप्त होनी थी कि कब, कितने सफाई सेवक आए, परन्तु रिकार्ड के अनुसार 18.10.04 से 11.11.04 के मध्य कब–कब सफाई सेवक आए की गणना सूची भी अंकेक्षण में आवष्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई तथा निविदा अनुसार ठेकेदार को आने का किराए बारे भी लिखा था तथा अंकेक्षण में कोई बस टिकट भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिससे सफाई सेवकों के आने बारे पूरी जानकारी मिलती कि कितने सफाई सेवक आए। परिषद के रिकार्ड में बस टिकट/दैनिक हाजरी/सफाई सेवकों का नाम व पता न होने के फलस्वरूप यह जांचना मुष्किल था कि वास्तव में सफाई सेवक कितने आए व कितने सफाई सेवकों की राशि का भुगतान मोहन लाल ठेकेदार को किया गया। आगामी अंकेक्षण के समय उपरोक्त सभी दस्तावेजों को आवष्यक जांच हेतु प्रस्तुत करें, अन्यथा एसा समझा जाएगा कि निविदा लेने की केवल औपचारिकता पूरी की थी व वास्तव में 70 सफाई सेवक दषहरा 2004 में सफाई व्यवस्था हेतु नहीं आए जिससे परिषद को हानि का सामना करना पड़ा। समबन्धित दस्तावेज की फोटो प्रतियां परिशिष्ट ''X'' पर दर्षाई गई है।

6¼iii½ <u>e0 1]65]000-00 d vfHky[k vd{k.k e iLrr u djus ckj</u> %&

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान निम्न अभिलेख अंकेक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए जिनके अभाव में सम्बन्धित अभिलेखों की जांच नही की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है। आगामी अंकेक्षण के समय सम्बन्धित अभिलेख आवष्यक जांच हेतु प्रस्तुत किए जाए।

ok0 l0	vof/k	jkf'k
68	9/01	20,000.00
83	4/03	80,000.00
42	5/03	30,000.00
45	11/03	25,000.00

63	10/05	10,000.00
		1]65]000-00

7¼a½ <u>fuek.k dk;Z esa fcuk l{ke vf/kdkjh dh Lohd`fr ds rFkk **Extraitem statement** cuk, cxSj 37]604@&#i;s dk vfrfjDr Hkqxrku ¼&</u>

वाऊचर संख्या 48 अवधि 10/01 द्वारा मु0 27,257.00 रुपये का भुगतान राम सिंह ठेकेदार को राम सिंह के घर के पास लंका बेकर में सड़क निर्माण कार्य करने हेतु किया गया जो ठेकेदार ने शडयूल रेट से 19 प्रतिषत कम दर पर किया। मद में जितना काम प्राक्कलन अनुसार करना अपेक्षित था से ऊपर कुछ कार्य किया तथा कुछ कार्य जो प्राक्कलन की मद में वर्णित नहीं था वह ठेकेदार द्वारा किया गया, जो कार्य बिना सक्षम अधिकारी की मन्जूरी बिना नहीं करवाया जा सकता था व इस किए कार्य से मु0 37,604.00 रुपये का अतिरिक्त भुगतान ठेकेदार को बिना मन्जूरी के किया गया इसे अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। इस अनियमित भुगतान की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से ले कर नियमित करवाया जाए। अन्यथा राशि की वसूली करनी सुनिष्चित करें।

en	tks dk;Z fd;k	tks fd;k tkuk Fkk	vUrj	nj	jkf'k
ड्रैसिंग द ग्राऊण्ड	392.98 एम^2	384.70	8.28	9.10	75.00
स्टोन फिलिंग	59.96 एम^2	57.59	2.37	312.00	739.00
पी0एल0सी0सी0 1.6.12	41.54 एम^3	38.40	3.14	982.10	3084.00
पी0एल0सी0सी0 1.2.4	20.79 एम^3	19.19	1.6	1708.40	2733.00

vfrfjDr dk;Z

en	dk;Z fd;k	nj	jkf'k
एक्सावेषन इन फाऊंडेषन	16.87 एम^3	85.45	1441.00
स्टोन फिलींग	6 एम^3	391.10	2350.00
पी0पी0ओर्डिनरी टिम्बर प्लांकिंग	270 रूट	35.10	9477.00

हैण्ड सोलिंग	23.31 एम^3	1138.78			26,475.00
					46424-00
				¼&½19%	8820-00
				;kx	37]604-00

7¼b½ <u>fuek.k dk;l d: fy, fu/kkfjr ifØ;k viuk, fcuk rFkk l{ke vf/kdkjh dh Lohdfr ikIr fd, fcuk 33]376-00 #i;s dk vfrfjDr Hkqxrku</u> %&

वाऊचर संख्या 61 अवधि 10/01 द्वारा मु0 42,380.00 रुपये का भुगतान षिव चन्द ठेकेदार को लंका बेकर कुल्लू में नाली व बाऊण्डरी वॉल के निर्माण कार्य हेतु किया गया। यह कार्य ठेकेदार को शडयूल रेट से 16 प्रतिषत कम की दर पर आबंटित किया था। मद के अनुसार जितने कार्य करना आपेक्षित था उसमें से कुछ कार्य अधिक करवाया गया था व कुछ कार्य जो प्राक्कलन में वर्णित नहीं था उस कार्य को किया गया था जो नहीं करवाया जाना था। जो कार्य प्राक्कलन से अधिक/अतिरिक्त करवाया गया था उस कार्य पर मु0 33,376.00 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया था जिसका वर्णन निम्न प्रकार है। जो कार्य ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त किया था उस व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। इस अतिरिक्त भुगतान को सक्षम अधिकारी से नियमित करवाया जाए अन्यथा समस्त राशि की वसूली करके नगर परिषद कोष में जमा करवाएं।

en	tks dk;l fd;k	tks fd;k tkuk Fkk	vUrj	nj	jkf'k
स्टोन सौलिंग	26.15 एम^3	17.92	8.23	292.00	2403.00
पी0एल0सी0सी0 1.6.12	10.95 एम^3	2.30	8.65	982.00	8494.00
पी0एल0सी0सी0 1.2.4	7.74 एम^3	4.35	3.39	1708.40	5791.00
प्रोवाइडिंग फार्म वर्क	46.60 रूट	22 रूट	24.60	45.20	1112.00
vfrfjDr dk;l					
आर0आर स्टोन मैसनरी	19.25 एम^2			1077.20	20,736.00
15 एम0एम थिक प्लास्टर	30.14 एम^2			39.70	1197.00

;kx	39]733-00
¼&½16%	6357-00
'k"k	33]376-00

7¼c½ fuek.k dk;l fcy Hkxrku gr fu/kkfjr ifØ;k viuk, fcuk rFkk l{ke vf/kdkjh dh Lohdfr ikIr fd, fcuk 50]150-00 #i;s dk vfrfjDr Hkxrku ½&

वाऊचर संख्या 48 अवधि 7/02 द्वारा मु0 52,737.00 रुपये का भुगतान श्री षिव चन्द ठेकेदार को गुरवेहड़ में विषन के घर के समीप रिटेनिंग वॉल के निर्माण कार्य हेतु किया गया जो ठेका उक्त ठेकेदार को शडयूल रेट से 172 प्रतिषत ऊपर दिया गया था। प्राक्कलन में जिन–जिन मदों का कार्य करना आपेक्षित था उन मदों से अतिरिक्त कार्य ठेकेदार के द्वारा किया गया जिस पर मु0 50,150.00 रुपये का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है। अतिरिक्त मद के प्रयोग करने की कोई मन्जूरी सक्षम अधिकारी के द्वारा नहीं ली गई थी जो अनियमित थी। बिना मन्जूरी के कार्य करना उचित नहीं था। अतिरिक्त कार्य पर किए गए भुगतान को सक्षम अधिकारी की मन्जूरी से नियमित करवाया जाए अन्यथा समस्त राशि का वसूली ठेकेदार/दोषी कर्मचारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाएं।

en	ek=k	nj	jkf'k
ड्रैसिंग द ग्राऊण्ड	83.70 एम^2	2.20	182.00
स्टोन फिलिंग	38.50 एम^3	91.15	3512.00
सी0सी 1.2.4	16.13 एम^3	55.30	8919.00
लेईंगि आर0सी0सी0	132.75 एम^3	1.75	232.00
सी0सी0 1.6.12	20.47 एम^2	291.35	5964.00
		;kx	18]809-00
		172% Åij	31]341-00
			50150-00

7¼d½ uxj ifj"kn {k=kf/kdkj ls ckgj ekxl fuekl.k ij 0;; ifj"kn fuf/k ij mfpr iHkkj u gksus ls 45]880-00 #i;s dk vfu;fer@vuqfpr Hkqxrku ¼&

वाऊचर संख्या 67 अवधि 10/04 द्वारा मु0 45,880.00 रुपये का भुगतान सड़क निर्माण कार्य हेतु श्री राम सिंह ठेकेदार कुल्लू को किया गया, जो चामुण्डा नगर क्षेत्र में करवाया गया था। चामुण्डा नगर पंचायत क्षेत्र में आता है। नगर परिषद में यह क्षेत्र विद्यमान नहीं था। जो क्षेत्र नगर परिषद में विद्यमान नहीं था, तब उस क्षेत्र में धनराशि का व्यय करना धन का दुरूपयोग माना जाएगा। नियमाधीन जो क्षेत्र नगर परिषद की सीमा (Boundry) से बाहर हो उसके ऊपर किसी प्रकार का धन को प्रयोग करना अनियमित था। इस व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। अतः समस्त राशि की वसूली जिस कर्मचारी/अधिकारी के कहने पर व्यय की है से वसूल करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए तथा की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को सूचित करें।

7¼e½ lkekxzh ds fcyksa ls fu/kkZfjr okbZMt o vU; dVkSfr;ka u djus ls 90]970-00 #i;s dh vf/kd vnk;xh ¼&

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि निर्माण कार्यों के लिए खरीदी गई बजरी, पत्थर इत्यादि पर रायल्टी/वाईडज़ काटे बिना भुगतान किया था जिस द्वारा परिषद ने मु0 90,970.00 रुपये का अधिक भुगतान ठेकेदारों को किया था, जो अनियमित था। सरकार के दिषा–निर्देश अनुसार वाईडज़/रायल्टी के काटे जाने उपरान्त भुगतान करना अनिवार्य था। इस राशि की वसूली की जानी सुनिष्चित करें तथा की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

ok0 l0	vof/k	jkf'k tks n; Fkh	tks lkeku [kjhnk	jk;YVh	okbZMt	dqy jkf'k
49	6/01	8,796.00	बजरी			
97	1/02	25,470.00	पत्थर	1000.00	885.00	1,885.00
			पत्थर 40 एम	800.00	238.00	1,038.00
			बजरी 20 एम	1,100.00	957.00	2,057.00
62	2/02	29,673.00	पत्थर	3,000.00	1,622.00	4,622.00
79	5/02	12,474.00	पत्थर	1,000.00	879.00	1,897.00

2	7 / 02	18,000.00	पत्थर	3,000.00	2,105.00	5,105.00
45	9 / 02	21,928.00	पत्थर	1,200.00	1,060.00	2,260.00
91	3 / 03	27,293.00	पत्थर	3,500.00	2,163.00	5,663.00
49	7 / 03	14,136.00	बजरी	1,500.00	1,136.00	2,636.00
62	11 / 03	20,164.00	बजरी	3,000.00	2,016.00	5,016.00
69	12 / 03	8,316.00	पत्थर	800.00	598.00	1,398.00
24	2 / 04	16,665.00	पत्थर	3,000.00	3,720.00	6,720.00
10	10 / 02	13,376.00	पत्थर	1,200.00	1,060.00	2,260.00
83	4 / 04	20,257.00	बजरी	6,000.00	5,879.00	11,879.00
66	7 / 04	24,857.00	बजरी	2,000.00	1,334.00	3,334.00
66	2 / 05	40,728.00	बजरी	5,000.00	4,251.00	9,251.00
84	7 / 05	55,418.00	बजरी	5,000.00	4,105.00	9,105.00
113	8 / 05	7,800.00	बजरी	1,000.00	780.00	1,780.00
13	11 / 05	7,840.00	बजरी	700.00	560.00	1,260.00
95	3 / 06	34,720.00	बजरी	3,200.00	2,840.00	6,040.00
58	5 / 06	15,120.00	बजरी	1,000.00	854.00	1,854.00
58	1 / 03	13,293.00	पत्थर	1,000.00	1,470.00	2,470.00
67	9 / 06	15,120.00	पत्थर	600.00	840.00	1,440.00
						90]970-00

7¼f½ Li/kk nj lfonk eaxok, fcuk o dke ds foojk.k cuk, fcuk] e0 24]500-00 #i;s dk vfu;fer 0;; ¼&

वाऊचर संख्या 82 अवधि 10/06 द्वारा मु0 24,500.00 रुपये का भुगतान सेनिटेषन कार्य हेतु सोहन लाल ठेकेदार कुल्लू को जे0सी0बी0 गाड़ी के प्रयोग हेतु किया गया। इस भुगतान में निम्न आपतियां पाई गई। इनका निपटान करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को बताएं अन्यथा राशि की वसूली करनी सुनिष्चित करें।

(क) प्राक्कलन के बिना कार्य किया गया। तकनीकी शाखा के द्वारा कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था।

(ख) क्या–क्या कार्य किया का इन्द्राज़ माप पुस्तिका में अंकित नहीं किया था।

(ग) कार्य के लिए निविदा नहीं मंगवाई गई थी।

7¼g½ uxj ifj"kn vf/kdkj {k= ls ckgj dk;Z djus ij 10]020-00 #i;s dk vfu;fer vf/kd 0;; ¼&

वाऊचर संख्या अवधि 10/03 द्वारा मु0 10,020.00 रुपये का भुगतान 6 नम्बर बेलदारों को चामुण्डा नगर क्षेत्र में झाड़ियों की कटाई के विरूद्ध किया गया। यह क्षेत्र परिषद क्षेत्र से बाहर आता है व ग्राम पंचायत के अधीन यह गांव स्थित हैं। परिषद केवल अपने अधिकृत क्षेत्र के अन्दर ही कार्य करने में सक्षम है न कि अपने क्षेत्र से बाहर कार्य कर सकती है। नगर परिषद द्वारा न केवल अनाधिकृत कार्य किया बल्कि धन का भी दुरूपयोग किया। इस राशि को ब्याज सहित कार्याकारी अधिकारी से वसूल करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए तथा की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को सूचित करें।

7¼h½ fdjk,nkj dh otg ls gbZ VV&QwV dh ejEer ij ifj"kn dks"k ls vfu;fer 5]343-00 #i;s dk 0;; ¼&

वाऊचर संख्या 56 अवधि 10/01 द्वारा मु0 5,343.00 रुपये का भुगतान नगर परिषद की गान्धी नगर स्थित दुकान नं0 1 के शटर की मुरम्मत हेतु भवानी शटर अखाड़ा बाजार कुल्लू को किया गया। दुकान नं0 1 का शटर दुकानदार के द्वारा खराब किया गया था इसकी रिपोर्ट कार्य पयेवेक्षक द्वारा दी गई थी। इस शटर की मुरम्मत दुकानदार के द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए था न कि परिषद के द्वारा मुरम्मत कार्य किया जाना था। इस भुगतान को अंकेक्षण मे उचित नहीं माना जा सकता। उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित दुकानदार दुकान नं0 1 से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए अन्यथा इस व्यय का उतरदायित्व निर्धारित करके राशि की वसूली करनी सुनिष्चित करें।

7¼i½ eq=ky; ds fuekZ.k ij 44]864-00 #i;s ds 0;; esa ikjnf'kZrk dk vHkko ¼&

वाऊचर संख्या 51 अवधि 11/01 द्वारा मु0 44,864.00 रुपये का भुगतान सरवरी में मुत्रालय के निर्माण कार्य हेतु कमल मेहता ठेकेदार सरवरी बाजार कुल्लू को किया गया। जिस

स्थान पर इस मुत्रालय का निर्माण किया गया है उस स्थान पर नगर परिषद का पुराना मुत्रालय बना था व उसको गिराने व निर्माण करने बारे कोई भी रिपोर्ट अंकेक्षण में प्रस्तुत नही की गई। जिस रिपोर्ट के द्वारा पुराने मुत्रालय को गिराए जाने/नव निर्माण का कोई जिक्र किया है। पुराने मुत्रालय से निकाला गया सामान का भी कहीं इन्द्राज नहीं किया था कि वह सामान कहां डाला गया। पुराने सामान की स्टॉक रजिस्टर/एम0ए0एस में इन्द्राज न पाए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि न तो पुराना मुत्रालय उखाड़ा गया ओर न ही नया मुत्रालय का निर्माण किया गया। इस की छानबीन की जानी आवष्यक है ताकि व्यय को न्यायसंगत माना जा सके।

7¼j½ ikboV {k= e ikVD'ku oky ij 0;; ifj"kn fuf/k ij mfpr iHkkj ugh %&

वाऊचर संख्या 91 अवधि 11/01 द्वारा मु0 62,169.00 रुपये का भुगतान श्री षिव चन्द ठेकेदार को रामषीला में हनुमान मन्दिर में प्रोटैक्षन वॉल के निर्माण कार्य हेतु किया गया। यह मन्दिर प्राईवेट है और प्राईवेट क्षेत्र में परिषद कार्य नहीं करवा सकती। अंकेक्षण के समय जिस क्षेत्र में कार्य किया गया था के रिकार्ड की छानबीन की गई तो पाया गया कि यह क्षेत्र पालिका की सम्पति से बाहर था। जब परिषद की सम्पति में इस मन्दिर का क्षेत्र जहां प्राईवेट वॉल का कार्य किया गया था नही था तो कार्य करने का सवाल ही पैदा नही होता था। इसकी समस्त लागत को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। व्यय को सक्षम अधिकारी की मन्जूरी से नियमित करवाया जाए अन्यथा राशि की वसूली करनी सुनिष्चित करें।

7¼k½ fcuk ikôyu cuk, rFkk dk;l dk uke o fooj.k vfdr fd, fcuk dk;fcy dk 1]61]453-00 #i;s dk vfu;fer Hkxrku %&

नगर परिषद के लेखों की छानबीन के दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद में अंकेक्षण अवधि से पूर्व से ही रेगूलर गैंग (बेलदार/मिस्त्री) कार्य कर रहे थे व परिषद निधि से उनका नियमित भुगतान भी किया जा रहा था। भुगतान के बिलों की छानबीन के दौरान यह पाया गया कि बिलों में कार्य का नाम अंकित नहीं किया गया और न ही किए गए कार्य का प्राक्कलन तैयार किया गया था। बिना प्राक्कलन/कार्य के नाम न लिखे जाने के फलस्वरूप व्यय को उचित नहीं माना जा सकता। निम्न दिए गए भुगतान के प्राक्कलन/कार्य नाम का विवरण आगामी अंकेक्षण में बताएं अन्यथा व्यय को उचित न मानते हुए राशि की वसूली करनी सुनिष्चित करें तथा भविष्य में परिषद जो भी कार्य बेलदारों से करवाए का प्राक्कलन इत्यादि तैयार करने उपरान्त ओपचारिकता पूरी करने पर ही कार्य करवाए जाने की और पग उठाए।

ok0 l0	vof/k	jkf'k

42	6/01	10,608.00
21	7/01	9,333.00
18	8/01	13,311.00
43	9/01	13,515.00
57	11/01	12,240.00
36	12/01	13,056.00
37	2/02	14,410.00
41	5/02	13,310.00
34	6/02	12,265.00
21	7/02	11,880.00
32	8/02	11,770.00
34	9/02	11,715.00
43	10/02	14,040.00
		1]61]453-00

7¼1½ e0 7]72]815-00 #i;s dk fuekZ.k dk;Z 0;; okÅpj o lEcfU/kr vfHkys[k vads{k.k tkap gsrq iLrqr u djus dh xEHkhj vfu;ferrk %&

नगर परिषद के लेखों की छानबीन के दौरान निम्न कार्यों बिलों को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इन बिलों से सम्बन्धित प्राक्कलन, माप पुस्तिका, वर्क रजिस्टर, कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर तथा तकनीकी मन्जूरी के अभिलेख के बिना इन वाऊचरों का अंकेक्षण नहीं किया जा सकता था। इस बारे कार्याकारी अधिकारी की अधियाचना भी जारी की गई थी परन्तु लेखाकार द्वारा अभिलेख अंकेक्षण अवधि तक प्रस्तुत नहीं किया गया। सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाए ताकि व्यय की जांच की जा सके।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k

26	10/01	13,515.00	कार्य का नाम मस्टररोल पर अंकित नहीं किया था।
47	10/01	21,921.00	कण्टीन एवं बूथ के निर्माण कार्य समीप न्यायालय कुल्लू का भुगतान षिव चन्द ठेकेदार को किया।
48	10/01	27,257.00	लंका बेकर में राम सिंह के घर के समीप सड़क निर्माण कार्य का भुगतान राम सिंह ठेकेदार को किया।
60	10/01	72,412.00	ढालपुर में श्याम लाल के घर से थले राम के घर तक सड़क निर्माण कार्य का भुगतान राम सिंह ठेकेदार को किया गया।
57	10/01	50,000.00	रामषीला में पार्किंग निर्माण कार्य का भुगतान मुकेश शर्मा ठेकेदार को किया गया।
82	10/01	45,084.00	रामषीला में पार्किंग निर्माण कार्य का भुगतान मुकेश शर्मा ठेकेदार को किया गया।
56	10/03	81,007.00	हनुमान की बाग ढालपुर में सडक निर्माण कार्य का भुगतान तेजिन्दर कपूर ठेकेदार को किया।
53	3/05	1,68,973.00	रामा कलब हाऊस ढालपुर कुल्लू के समीप फलड प्रोटेक्षन/मुरम्मत कार्य का भुगतान राजन सोहल ठेकेदार कुल्लू को किया गया।
72	3/05	11,859.00	कार्य का नाम मस्टररोल पर अंकित नही किया था।
54	3/06	60,777.00	मीया वेहड़ ढालपुर मं कलर्वट बनाने हेतु भुगतान राम सिंह ठेकेदार को किया गया।
114	3/06	1,58,820.00	रैन बसेरा निर्माण कार्य का भुगतान षिव चन्द ठेकेदार को किया गया।
135	3/06	32,323.00	पांगी मुहल्ला ढालपुर से कालू राम के घर के पास तक सड़क निर्माण कार्य का भुगतान जोगिन्द्र सिंह ठेकेदार को किया।

137	3/06	28,867.00	वर्किंग वूमैन होस्टल ढालपुर की मुरम्मत हेतु भुगतान चरणजीत सिंह को किया गया।
		7]72]815-00	

7¼m½ **okÅpj l[;k 38 ekg 5@2001 e0 82]320-00 #i;s t0lh0ch0 ds fdjk, ds fcy ds Hkxrku djus ckjs %&**

वाऊचर संख्या 38 माह 5/2001 मु0 82,320.00 रुपये की राशि का भुगतान श्री सुनील सूद को बतौर जे0सी0बी0 के किराए के रूप में किया गया था। श्री सुनील सूद के द्वारा जो बिल भुगतान हेतु नगर परिषद में प्रस्तुत किया गया था इसमें 112 घण्टे जे0सी0बी0 का इस्तेमान जो किया गया दर्षाया गया था का पूर्ण ब्यौरा कि किन–किन तिथियों में जे0सी0बी0 को कितने–कितने घण्टे इस्तेमाल में लाया गया था का पूर्ण विवरण बनाकर अंकेक्षण में प्रस्तुत न किया गया। जे0सी0बी0 द्वारा किए गए कार्य अवधि यानि किस तिथि को कितने घण्टे कार्य किया गया जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो के अभाव में पारदर्षिता की कमी व व्यय की संदिग्धता से इनकार नहीं किया जा सकत। अतः पूर्ण अभिलेख के साथ व्यय का औचित्य प्रस्तुत करें। बिल में 735/–रुपये प्रति घण्टा के हिसाब से जे0सी0बी0 का किराया लिया गया था। नगर परिषद कार्यालय आदेश द्वारा श्री सुनील सूद को यह निर्देश दिए गए थे कि जे0सी0बी0 के द्वारा एक दिन में 18 से 20 घण्टे तक कार्य किया जाना जरूरी था ताकि समय पर कार्य को पूर्ण किया जा सके। क्या इन आदेषें की पालना की गई थी या नहीं ? इस बारे आगामी अंकेक्षण में बताया जाना सुनिष्चित करें।

7¼n½ **l{ke vf/kdkjh dh Lohdfr rFkk vfHkys[k lefFkr vkfpR; ds fcuk e0 30]445-00 #i;s dk vf/kd Hkxrku %&**

¼a½ वाऊचर संख्या 44 अवधि 7/02 द्वारा मु0 55,922.00 रुपये का भुगतान कृष्ण कान्त ठेकेदार सरवरी बाजार कुल्लू को दलीप कुमार के मकान से लंका बेकर तक नाली निर्माण कार्य हेतु किया गया। ठेकेदार को परिषद द्वारा वान्छित देय मद से अधिक कार्य के बिल का भुगतान किया गया। अधिक मद के कार्य की मन्जूरी सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की गई थी बिना सक्षम अधिकारी की मन्जूरी के अधिक किए गए भुगतान को उचित नहीं माना जा सकता। अतः मु0 30,445.00 रुपये की वसूली जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है, सम्बन्धित ठेकेदार से करके परिषद कोष में जमा करवाए।

Ø0l0	en	tks dk;Z gksuk Fkk	tks fd;k x;k	vUrj	nj	olwyh ;ksX; jkf'k

1	सी0सी0 1.2.4	5.61 एम^3	7.74 एम^3	2.13	190.00	2,047.00
2	आर0आर0 स्टोन मेसनरी	80.80 एम^3	114.21 एम^3	33.41	850.00	28,398.00
						30]445-00

¼b½ e0 11]961-00 #i;s dk vf/kd Hkqxrku ckjs %&

वाऊचर संख्या 82 अवधि 4/02 द्वारा मु0 1,00,795.00 रुपये का भुगतान सुमीत शर्मा ठेकेदार कुल्लू को अदित्य होटल ढालपुर कुल्लू के पास पार्किंग प्लेस निर्माण हेतु किया गया। ठेकेदार को परिषद द्वारा वान्छित मदों के अधिक किए गए कार्य का भुगतान किया गया जिसकी सक्षम अधिकारी की मन्जूरी नहीं ली गई थी। बिना सक्षम अधिकारी की मन्जूरी के मु0 11,961.00 रुपये का किया गया भुगतान उचित नहीं था। इसकी वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए।

Ø0 l0	en	tks dk;Z gkuk Fkk	tks fd;k x;k	vUrj	nj	olwyh ;kX; jkf'k
1	एक्सावेषन अर्थ वर्क	85.28 एम^3	127 एम^3	41.72 एम^3	90.00	7,934.00
2	सी0सी0 1.6.12	8.09 एम^3	14.60 एम^3	6.51 एम^3	82.00	4,027.00
						11]961-00

7¼o½ vfuok;Z rduhdh Lohd`fr ds fcuk fuekZ.k dk;Z fcyksa dk 2]70]413-00 #i;s dk vfu;fer 0;; %&

नगर परिषद द्वारा निम्न व्यय नगर परिषद में किए कार्यों पर किया गया था। इन वाऊचरों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि कार्य के लिए तकनीकी मन्जूरी प्राप्त नहीं की गई थी, जिसके अभाव में व्यय को उचित नहीं माना जा सकता। व्यय की तकनीकी मन्जूरी सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए अन्यथा व्यय की गई राशि की वसूली करनी सुनिष्चित की जाए, भविष्य में व्यय नियमाधीन करवाया जाए।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
66	5/01	67,385.00	धर्म दास के घर से जोती राम के मकान तक

			सड़क निर्माण कार्य पर व्यय किया गया।
59	8/01	1,12,672.00	बाबा बालक नाथ मन्दिर गान्धी नगर के पास सैपटिक टैंक के निर्माण कार्य हेतु भुगतान चरणजीत सिंह कुल्लू को किया गया।
38	11/01	90,356.00	कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठषाला सुलतानपुर में यू शेप नाली के निर्माण कार्य का भुगतान षिव चन्द ठेकेदार कुल्लू को किया गया।
		2]70]413-00	

7¼p½ **uxj ifj"kn vf/kdkj {k= ls ckgj fuekZ.k dk;ksZ ij 2]25]825-00 #i;s dk vfu;fer 0;; %&**

नगर परिषद के लेखों की छानबीन के दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अपने क्षेत्र के बाहर पंचायत क्षेत्र के निर्माण कार्यों पर लगभग 1,82,088.00 रुपये का व्यय किया था जो अनियमित ही नहीं बल्कि नगर परिषद के धन का दुरूपयोग किया दर्षाता है। नगर परिषद के साथ चामुण्डा नगर क्षेत्र जो नगर परिषद सीमा क्षेत्र से बाहर है व पंचायत का एक हिस्सा है में कार्याकारी अधिकारी द्वारा कार्य करवाना उचित नहीं था। इससे जो नगर परिषद के धन का दुरूपयोग हुआ है की वसूली करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को सूचित करें। निम्न के अतिरिक्त यदि चामुण्डा नगर क्षेत्र में अन्य खर्च परिषद के द्वारा किया हो तो उसकी सूची तैयार करके, वसूली करनी सुनिष्चित करें।

ok0 l0	vof/k	jkf'k
45	3/03	2,520.00
65	5/03	11,520.00
58	6/03	9,600.00
67	1/04	43,687.00
67	10/04	45,880.00
64	6/04	52,436.00
54	2/07	60,182.00

;kx	2]25]825-00

7¼q½ **uxj ifj"kn vf/kdkj {k= ls ckgj ekxZ fuekZ.k ij 11]09]457-00 #i;s dk vfu;fer@vuqfpr O;; ¼&**

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नगर पलिका द्वारा उन क्षेत्रों में कार्य करवाया गया था जो सड़क/गली परिषद के नाम राजस्व रिकार्ड में विद्यमान नहीं थी। परिषद अपने क्षेत्र में केवल उसी क्षेत्र के निर्माण कार्य करवा सकती है जिसका नाम परिषद रिकार्ड में दर्ज हो। जिस व्यय का वर्णन नीचे दिया गया है, का राजस्व रिकार्ड आवष्यक जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया कि वास्तव में इन सड़कों/गलीयों को परिषद के राजस्व रिकार्ड में शामिल किया था। इसके अभाव में व्यय को उचित नहीं माना जा सकता। आगामी अंकेक्षण में परिषद की बैठक का ब्यौरा जिसमें गली/सड़क को परिषद की सार्वजनिक सम्पति घोषित किया हो या सरकार के राजस्व रिकार्ड की प्रति प्रस्तुत करें अन्यथा व्यय को उचित न मानते हुए समस्त राशि की वसूली करनी सुनिष्चित करें।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
87	5/01	26,812.00	भागासिद्ध मन्दिर शास्त्री नगर से युदिष्टर के घर तक सडक निर्माण कार्य।
50	6/01	77,350.00	बाला बेहड़ में नूरबू के घर से बिमला के घर तक लिंक रोड का निर्माण कार्य।
64	1/02	10,000.00	राष्ट्रीय राजमार्ग 21 गान्धीनगर से के0सी0 शर्मा के घर तक सड़क निर्माण कार्य।
51	4/02	18,255.00	शीषा माटी में मनोज के घर के पीछे रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य।
50	7/02	27,464.00	शैषन हाऊस गान्धीनगर के समीप नाली/सड़क निर्माण कार्य।
52	8/03	46,334.00	महाविद्यालय कुल्लू के समीप कुन्दन जे0ई0 के घर से हिरा लाल के घर तक नाली निर्माण कार्य।
106	12/04	22,162.00	शीषा माटी में डांगू राम के घर के समीप

			नाली निर्माण कार्य।
65	5/05	38,944.00	शास्त्री नगर में ग्रीन वुड गेस्ट हाऊस के पास रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य।
74	5/05	1,38.722.00	मीयां वेहड़ से देवधार तक सड़क निर्माण कार्य।
63	6/05	50,905.00	नाख कलीनीक गान्धीनगर के पीछे रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य।
59	8/05	38,778.00	जोती राम लोरन के घर के पास रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य।
62	8/05	50,000.00	अनपूर्णा मन्दिर से भेखली रोड में रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य।
67	8/05	43,149.00	सामुदायिक भवन अखाड़ा बजार में प्रोटेक्षन वॉल निर्माण कार्य।
116	8/05	82,346.00	गान्धी नगर में राम किषन के घर के पास नाली/सड़क निर्माण कार्य।
74	9/05	21,542.00	जोती राम लोरन के घर के पास रिटेनिंग वॉल का निर्माण कार्य।
14	11/05	12,905.00	गान्धीनगर में धमेन्द्र के घर से राष्ट्रीय राजमार्ग–21 में सड़क निर्माण कार्य।
73	1/06	61,592.00	गान्धीनगर से लंका बेकर के लिए नाली/सड़क निर्माण कार्य।
70	2/06	26,684.00	गान्धी नगर में धमेन्द्र के घर से राष्ट्रीय राजमार्ग–21 में सड़क निर्माण कार्य।
57	3/06	17,899.00	पी0डब्लयू0डी0 सड़क से काली डूग में सड़क निर्माण कार्य।

142	3/06	40,067.00	वाला बेहड़ में नोरबू के घर से बरोगया के घर तक सड़क निर्माण कार्य।
120	6/06	90,578.00	लोरन नाला से पानी के टैंक तक नाली व सड़क की मुरम्मत का कार्य।
76	9/06	24,642.00	पैट्रोल पम्प गान्धीनगर से नाले की तरफ प्रोटेक्षन वॉल निर्माण कार्य।
93	9/06	30,439.0	अखाडा बाजार में नरेश की दुकान के पास प्रोटेक्षन वॉल निर्माण कार्य।
53 (ए)	2/07	69,570.00	अखाडा बजार में नरेश की दुकान के पास प्रोटेक्षन वॉल निर्माण कार्य।
56	3/07	14,175.00	गान्धीनगर में पुराने चुंगी खाने के पास सड़क निर्माण कार्य।
		11]09]457-00	

8¼a½ नगर परिषद वाहन एच0पी0–34बी–0066 डम्पर प्लेसर की लॉग बुक में अवधि (16.7.03 से 31.3.07 तक) वास्तविक दूरी 51,166 कि0मी0 से 496 कि0मी0 अधिक दर्षाने के कारण मु0 4,135.00 रुपये 496 कि0मी0/4=124 लीटर डीजल X 33.35 दर प्रति लीटर) परिषद को हानि पहुंचाने के संदर्भ में :–

नगर परिषद वाहन एच0पी0–34बी–0066 की लॉग बुक (अवधि 16.7.2003 से 31.3. 2007 तक) के अवलोकन से पाया गया कि उस दौरान गाड़ी 51662 कि0मी0 चली दर्षायी गई

Initial Reading (16-7-2003) 1/08

Final Reading (31-3-2007) 52770/51662 कि0मी0

इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि गाड़ी को 496 कि0मी0 वास्तविक दूरी से अधिक दर्षाया गया हैं।ऐसा प्रतीत होता है कि गाड़ी डयूटी प्वांईट के अलावा अन्य स्थानों पर भी चलती रही।

एक्सस किलोमीटर	3/05	204 कि0मी0
	3/06	124 कि0मी0
	10/06	168 कि0मी0

<u>496 कि0मी0</u>

जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं अन्यथा इन्हें निजी यात्रा मानकर 7 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से करके परिषद निधि में जमा करवाया जाए। वाहन की लॉग बुक में माह के अन्त में गोषवारा कि गाड़ी ने कितनी दूरी तय की तथा कितना डीजल उस दौरान गाड़ी में डलवाया गया, कितना डीजल खपत हुआ और बकाया कितने लीटर डीजल शेष रहा, न बनाया गया। लॉग बुक के अनुसार एक लीटर डीजल से 4 कि0मी0 के हिसाब से बाहन को चलाया गया।

इस बारे यह न बताया गया कि किस अधिकारी द्वारा इसका निर्धारण किया गया था, जबकि नियमानुसार गाड़ी की माईलेज समय–समय पर लोक निर्माण विभाग के मकैनिकल अभियन्ता से तय करवानी आवष्यक थी जो कि नहीं किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त डीजल की खपत कम माईलेज दर्षाकर परिषद को अन्यत्र हानि पहुंचाई गई।

वाहन दिन में औसतन प्रातः 8 से 12 बजे यानि 4 घण्टे प्रतिदिन चलाया गया जबकि निर्धारित कार्य समय प्रतिदिन 8 घण्टे है। अतः दिनांक 16.7.2003 से 31.3.2007 तक प्रतिदिन औसतन 8 घण्टे के स्थान पर 4 घण्टे कार्य लिया गया व 4 घण्टे का बिना काम के वेतन दिया गया जिसका औचित्य/दायित्व निर्धारित करके वसूली की जाए। की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8¼b½ <u>uxj ifj"kn okgu ,p0ih0&34,&2127 dh ykx cqd dk lnHkZ eas ½&</u>

अंकेक्षण द्वारा नगर परिषद वाहन एच0पी0–34ए–2127 स्वाराज माजदा की लॉग बुक के अवलोकन से यह पाया गया कि निम्न तिथियों में वाहन का इस्तेमाल कुल्लू से मनाली, नगर तथा भून्तर का कूड़ा उठाने के लिए किया गया था जो कि अनियमित था।

fnukad	ftruh fd0eh0 xkMh pyh	Mhty tks [kir gqvk	fooj.k
12.3.05	116 कि0मी0	29 लीटर	मनाली, नगर, कुल्लू व भून्तर नगर पंचायत का कूडा उठाया गया।
14.3.05	116 कि0मी0	29 लीटर	
16.3.05	120 कि0मी0	30 लीटर	
21.3.05	112 कि0मी0	28 लीटर	

23.3.05	108 कि0मी0	27 लीटर
26.3.05	124 कि0मी0	29 लीटर
28.3.05	120 कि0मी0	30 लीटर
30.3.05	116 कि0मी0	29 लीटर
	ifr yhVj	231 yhVj

(डीजल 31 रुपये 61 पैसे के हिसाब से 231 लीटर का मु0 7,302.00 रुपये)

परिषद द्वारा उक्त वाहन को कूड़ा उठाने हेतु मनाली नग्गर भून्तर यात्रा दर्षायी है के कार्यालय आदेश प्रस्तुत न किए गए अन्यथा यह समझा जाएगा कि उक्त वाहन का परिषद द्वारा निजी प्रयोग किया गया व निजी यात्रा की दरों अनुसार वसूली की जाए। कुडा ढ़ोने का प्रयोग दर्षाया गया था, इस प्रयोग के लिए 231 लीटर डीजल प्रयोग किया गया था। इसकी वसूली वर्तमान दर अनुसार 7,302.00 रुपये बनती है। इस राशि की वसूली तुरन्त करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए। अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण में सत्यापित करवाना सुनिष्चित करें।

8¼c½ ifj"kn okgu ,p0ih0&34&5066 ektnk dh ykx cqd esa vf/kd ekbZyst n'kkZus ls e0 56]508-00 #i;s dh olwyh vis{kr %&

वाहन एच0पी0–34–5066 माजदा की लॉग बुक में 2.4.01 से लेकर 14.7.05 तक जो अधिक माईलेज दर्षायी गई का विवरण निम्न प्रकार से है :–

ekg	fd0eh0	ekg	fd0eh0	ekg	fd0eh0	ekg	fd0eh0
4/01	145	4/02	140	4/03	175	4/04	205
5/01	182	5/02	134	5/03	149	5/04	224
6/01	150	6/02	115	6/03	167	6/04	240
7/01	163	7/02	85	7/03	118	7/04	213
8/01	187	8/02	145	8/03	135	8/04	204
9/01	140	9/02	125	9/03	144	9/04	171
10/01	182	10/02	124	10/03	153	10/04	198

11/01	191	11/02	74	11/03	192	11/04	99
12/01	159	12/02	138	12/03	211	12/04	191
1/02	105	1/03	181	1/04	180	1/05	164
2/02	125	2/03	137	2/04	177	2/05	126
3/02	125	3/03	126	3/04	213	3/05	193
	1854		1524		2014	4/05	120
						5/05	124
						6/05	137
						7/05	73
							2682

गाड़ी जो 35,380 किलोमीटर चली दर्षायी गई इसमें 8074 किलो मीटर की माईलेज अधिक दर्षायी गई प्रतीत होता है। गाड़ी डयूटी प्वांईट के इलावा अन्य स्थानों पर भी चलती रही। गाड़ी की लॉग बुक में महीने के अन्त में गोषवारा (कितने किलो मीटर गाड़ी माह में चली तथा कितना डीजल डलवाया गया तथा बकाया डीजल) न बनाया गया। 8074 किलो मीटर की माईलेज जो अधिक दर्षायी गई की वसूली 7 रुपये प्रति किलो मीटर के हिसाब से सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाई जाए। भविष्य में लॉग बुक में ठीक प्रकार से माईलेज को दर्षाया जाए ताकि अधिक माईलेज से प्रतिहार किया जा सके। लॉग बुक के समय–समय पर कन्ट्रोलिंग आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित न किया गया था। गाड़ी में डीजल की खपत 4 किलो मीटर प्रति लीटर के हिसाब से दर्षायी जा रही है। इसके निर्धारण बारे भी अंकेक्षण में न बताया गया कि किस अधिकारी द्वारा 4 किलो मीटर प्रति लीटर डीजल की खपत का निर्धारण किया गया। उक्त वाहन द्वारा जो 8074 किलो मीटर की अधिक माइलेज दर्षाई गई थी की वसूली मु0 7 रुपये प्रति किलो मीटर की दर से मु0 56,518.00 रुपये बनती थी की वसूली करनी सुनिष्चित करें।

8¼d½ uxj ifj"kn okguk dk j[k&j[kko ckjs %&

नगर परिषद कुल्लू के समस्त वाहनों की लॉग बुक अवधि 4/2001 से 3/2007 में यह पाया गया कि लॉग बुक में वाहनों की मासिक औसत गोषवारा (Monthly Consumption

Statement) का विवरण मास के अन्त में लॉग बुक में न दर्षाया गया था और आफिसर ईन्चार्ज के हस्ताक्षर लॉग बुक में न पाये गए जिससे यह प्रतीत होता है कि लॉग बुक को गाड़ी प्रभारी के द्वारा देखा नहीं गया था और न ही गाड़ी का निरीक्षण किया गया।

परिषद में जितनी भी गाड़ीयां हैं में प्रति लीटर डीजल से गाड़ी कितने किलो मीटर चलनी चाहिए का भी प्रमाण–पत्र नहीं दिया था, जिसके अभाव में चालक अपनी मर्जी से डीजल की खपत दर्षाते रहे थे जो उचित नहीं था। एम0बी0आई0 से प्रति गाड़ी की औसत बनाकर अंकेक्षण में प्रस्तुत करें कि किस गाड़ी की कितने किलो मीटर डीजल की क्या खपत होनी चाहिए। भविष्य में औसत किलो मीटर के मध्य नजर गाड़ी चलाना सुनिष्चित करें।

8¼d½ ¼1½ ykx cqd VkVk lweks ,p0ih&34&3666] vf/kd nwjh n'kkZus dk dkj.k eq0 19]250-00 #i;s dh olwyh ckjs %&

अवधि 1.4.01 से 31.3.07 तक चयनित मासों की लॉग बुक का रख–रखाव अत्यन्त त्रुटिपूर्ण था लॉग बुक में दैनिक माईलेज एक ही स्थान की यात्रा के लिए भिन्न–भिन्न दर्षाई गई थी जैसा कि दिनांक 15.10.01 लोकल टाऊन 19 कि0मी0 16.10.01 को 10 कि0मी0 व 30.10.01 को 62 कि0मी0 दर्ज किया गया था जबकि नगर परिषद की सीमा की जीप वाली सड़कों का क्षेत्रफल राष्ट्रीय उच्च मार्ग सहित 10 कि0मी0 से अधिक क्षेत्रफल नहीं है, इस प्रकार यदि प्रत्येक मार्ग मे जीप चलाई गई होगी तब भी दिन भर में 10 कि0मी0 से अधिक नहीं माना जा सकता व शेष यात्राएं जो अधिक दूरी दर्षाकर की गई हैं उन्हें निजी यात्रा मान कर सम्बन्धित अधिकारी से सरकार द्वारा निर्धारित 7 रुपये प्रति कि0मी0 की दर से मु0 19,250.00 रुपये की वसूली करके पालिका निधि मे जमा करवाकर अनुपालना अंकेक्षण में सत्यापित करवाई जाए। उक्त अवधि के लिए चयनित मासों मे कार्यकारी अधिकारी व प्रधान द्वारा की गई यात्राओं का विवरण निम्न प्रकार है व शेष मासों की पुनः लोकल कुल्लू यात्रा को 10 कि0मी0 के अतिरिक्त दर्षाई गई यात्राओं को निजी करार देते हुए विभागिय स्तर पर गणना करके सरकार द्वारा निर्धारित मु0 7 रुपये प्रति कि0मी0 की दर से वसूली करके परिषद निधि में जमा करवाई जाए।

dk;kZdkjh vf/kdkjh %&

ekl	dqy ;k=k	okLrfod nwjh	vf/kd n'kkbZ xbZ nwjh
10/01	1055	670	385

10/02	482	219	263
10/03	53	20	33
3/05	333	195	138
3/06	596	361	235
10/06	104	50	54
	2623	1515	1108 x 7 ¾ 7]756 #0

i/kku %&

10/01	763	640	123
10/02	418	238	180
10/03	665	189	476
3/05	574	490	84
3/06	430	170	260
10/06	966	447	519
	3816	2174	1642 x 7 ¾ 11]494 #0
		dqy ;kx	19]250-00 #i;s

¼2½ ekfld vkSlr %&

नगर परिषद द्वारा टाटा सूमों की लॉग बुक में प्रत्येक मास मासिक औसत नहीं निकाली गई थी। दो–तीन मास के अन्तराल बाद जो निकाली गई थी वह भी गलत और कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं करवाए गए थे। इसके अतिरिक्त उक्त गाडी की मासिक औसत के लिए कभी भी हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मकैनिक डिवीजन से औसत चैक नहीं करवाई गई थी फलस्वरूप चयनित मासों में औसत निम्न प्रकार से थी :–

	n’kkbl xbl vklr	vkd{k.k }kjk fudkyh xbl vklr	vUrj
मास 10／01	7–5	8.2	0.7
मास 10／02	–	6.42	–
मास 10／03	8.00	7.18	0.82
मास 3／05	7.7	9.35	2.28
मास 3／06	8.2	8.21	0.19
मास 10／06	8.0	7.92	0.08
			3-44

¼3½ दिनांक 2.7.2001 में गाडी की मुरम्मत मैं0 गोयल आटो वर्कस नेर चौक मण्डी से करवाई गई। लॉग बुक में कुल्लू से नैर चौक व नेर चौक से मण्डी की दर्षाई गई दूरी व वास्तविक दूरी का विवरण निम्न प्रकार था :–

fnukd	ykx cqd e ntl njh	okLrfod njh	fHkUurk	fooj.k
2.7.01	123 कि0मी0	80 कि0मी0	43 कि0मी0	मुख्य मुरम्मत के लिए
3.7.01	58 कि0मी0 ऑन टैस्ट	–	–	–
10.8.01	85 कि0मी0	80 कि0मी0	5 कि0मी0	पुनः मुरम्मत ठीक न होने के कारण
11.8.01	5 कि0मी0 ऑन टैस्ट	–	–	–
13.8.01	86 कि0मी0	80 कि0मी0	6 कि0मी0	
11.9.01	91 कि0मी0	80 कि0मी0	11 कि0मी0	पुनः मुरम्मत ठीक न होने के कारण
12.9.01	112 कि0मी0	80 कि0मी0	32 कि0मी0	

dqy vf/kd n’kkbl xbl njh ¾ 97

fd0eh0

उक्त विवरण से स्वतः स्पष्ट होता है कि कुल्लू से नेर चौक की दूरी समय–समय पर घटती–बढ़ती रही जिसे स्पष्ट किया जाए व मास 6/01 पृष्ठ 113 पर दर्ज औसत 8.7 कि0मी0 प्रति लीटर थी। अतः 97 कि0मी0 अधिक दर्षाने के कारण इसमें 11.15 लीटर एच0एस0डी0 इस्तेमाल हुआ जिसकी वसूली 31.61 रुपये प्रति लीटर की दर से मु0 352 रुपये दोषी कर्मचारी से करके पालिका निधि में जमा करवाए जाए व अनुपालना अंकेक्षण से सत्यापित करवाई जाए।

¼4½ मास 6/01 गाडी को मुख्य मुरम्मत के लिए भेजने से पूर्व मासिक औसत 8.7 कि0मी0 प्रति लीटर थी। मुख्य मुरम्मत करवाने के पष्चात मास 10/01 में मासिक औसत 7.5 कि0मी0 प्रति लीटर थी जो कि आष्चर्यजनक था, क्योंकि मुख्य मुरम्मत के पष्चात गाड़ी की सरकार द्वारा निर्धारित औसत 10 कि0मी0 प्रति लीटर होनी चाहिए थी जिसे स्पष्ट किया जाए। अन्यथा मुख्य मुरम्मत का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसका दायित्व निर्धारित करके नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई की जाए। उक्त सन्दर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि मुरम्मत के बिल संदिग्ध फर्जी है।

¼5½ जीप दिनांक 2.7.01 को कुल्लू से नेर चौक मुख्य मुरम्मत के लिए पत्र संख्या 798/MCK/Sanitary/01 at 2-7-01 को भेजी गई थी मुरम्मत सन्तोषजनक न होने के कारण पुनः दूसरी बार MCK/Sanitary/01/2241 दिनांक 10.8.01 को भेजी गई परन्तु फिर भी मुरम्मत सन्तोषजनक न होने के कारण पुनः तीसरी बार पत्र संख्या MCK/Sanitary/01/षून्य दिनांक 11.9.2001 को भेजी गई। जिसमें कार्यकारी अधिकारी पत्र में :–

Sub : Repair of Municipal vehicle TATA SUMO No. HP-34-3666.

Sir Regarding the above cited/subject, It is intimated that the repair of above said vehicle is not satisfactory and same problems are still recurring in the vehicle. So the vehicle is hereby sent to your work shop for the removal of problems in the vehicle.

Sd/

E.O.M.C Kullu.

मैं0 गोयल आटो वर्कस नेर चौक को उनके बिल संख्या 271 दिनांक 9.7.2001 के अनुसार मु0 31,220.00 रुपये का भुगतान किया गया जिसे दूसरी व तीसरी बार गाड़ी को पुनः पुनः कुल्लू से नेर चौक व वापिस दिनांक 10.8.01 से 12.9.01 के मध्य 379 कि0मी0 डीजल का खर्चा 7 रुपये प्रति कि0मी0 की दर से मु0 2,653 + चालक के वेतन का 6 दिन व दैनिक भत्ता शामिल करके बिल से कटौती मैं0 गोयल आटो वर्कस के बिल से की जानी अपेक्षित थी जो नही ंकी गई अथवा इसका दायित्व गाडी के चालक पर निर्धारित किया जाए जिसने (उक्त

क्र0 3 के अनुसार) दिनांक 3.7.01 को 58 कि0मी0 यात्रा लॉग बुक में ऑन टैस्ट दर्षाई है क्या यह खराबी इतनी लम्बी ऑन टैस्ट यात्रा में सामने नहीं आई।

¼6½ <u>ifj"kn okgu dh jkT; ljdkj dh fcuk vuqefr ds jkT; ls ckgj ;k=k djus ij yxHkx 10]000 #i;s dk vfu;fer O;;</u> ½&

दिनांक 22.9.01 को प्रधान नगर परिषद कुल्लू परिषद की गाड़ी में बैंगलोर नोएडा ट्रेनिंग के लिए कुल्लू से चण्डीगढ़ गए, जिसमे 293 किलो मीटर यात्रा जाने के लिए व दिनांक 23.9.01 को गाडी खाली वापिस 281 कि0मी0 यात्रा करके कुल्लू पहुंची। दिनांक 27.9.01 को कुल्लू से गाड़ी चण्डीगढ़ से प्रधान नगर परिषद कुल्लू को लाने के लिए गई, जिसमें जाती बार 291 कि0मी0 व आती बार 298 कि0मी0 बाया बद्‌दी–नालागढ़ कुल्लू पहुंची। उक्त यात्रा में निम्न त्रुटियां पाई गई।

¼1½ नगर परिषद कुल्लू की गाडी को परिषद की सीमा से बाहर ले जाने के लिए निदेषक शहरी विकास विभाग व राज्य/प्रदेश से बाहर ले जाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना आवष्यक था, जो नहीं ली गई थी। अतः अंकेक्षण द्वारा इस (293+281+291+298)=1163 कि0मी0 दर्षाई गई यात्रा को अनुचित करार देते हुए उसकी वसूली तत्कालीन प्रधान/ई0ओ0 से सरकार द्वारा निर्धारित निजी यात्रा के लिए मु0 7 रुपये प्रति कि0मी0 की दर से मु0 8141 रुपये परिषद कोष में जमा करवाकर अंकेक्षण से सत्यापित करवाए जाए। इसके अतिरिक्त चालक के वेतन व दैनिक भत्ते की भी गणना करके वसूली की जाए।

¼2½ कार्यकारी अधिकारी का दायित्व था कि वह नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करके व परिषद निधि को ध्यान में रखते हुए कुल्लू से चण्डीगढ़ तक जाने–आने के लिए प्रधान नगर परिषद को उनकी निर्धारित श्रेणी/डीलक्स बस में यात्रा करने का परामर्ष देते तो परिषद के कम से कम मु0 10,000 रुपये बचतें व्यय अधिकतम मु0 1000 रुपये होता।

¼3½ दिनांक 28.9.01 को नगर परिषद की गाडी बाया बद्‌दी–नालागढ़ लाई गई। जिसमें 298 कि0मी0 गाडी चली, जबकि कुल्लू–चण्डीगढ़ बाया रोपड़ नजदीकी सड़क है व 270 कि0मी0 की दूरी हैं। अतः उक्त यात्रा में (23+11+21+28)=83 कि0मी0 अनावष्यक रूप से चलाकर लॉग बुक में दर्षाई गई थी।

अतः नियमानुसार उक्त यात्रा को सरकारी यात्रा नहीं माना जा सकता व समस्त प्रकरण निदेषक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के ध्यान में विषेष कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

8¼e½ **<u>Building Applicative Fee A/c</u> :-**

¼1½ भवन अंकेक्षण पंजिका के कॉलम 10 व 11 जिसमें भवन का कार्य आरम्भ करने की तिथि व निर्माण कार्य पूरा करने की तिथि दर्ज की जानी थी, नहीं की गई थी इसका दायित्व निर्धारित करके नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

¼2½ किसी भी नस्ति में भवन के आकार, मंजिलें व दर का वर्णन गणना नहीं दर्ज किया गया था जिससे प्राप्त राशि को चैक करने में सुविधा होती अतः भविष्य में प्राप्त राशि की गणना आवेदन पत्र में करके दर्ज की जानी सुनिष्चित की जाए।

9 vfxze

9¼a½ e0 20]000 #i;s dk vfxze dh olwyh@lfnX/k xcu ¼&

वाऊचर संख्या 85 अवधि 4/02 द्वारा मु0 20,000.00 रुपये का भुगतान अग्रिम रूप में श्री नरेन्द्र कुमार, पार्षद नगर परिषद को मोमेन्टों की खरीद हेतु किया गया था अग्रिम देने का कोई प्रावधान निमय मे नही था। उक्त पार्षद द्वारा प्राप्त अग्रिम का कोई लेखा–जोखा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही खरीदे गए सामान की प्रविष्टी/खपत आवष्यक जांच हेतु प्रस्तुत की गई। अग्रिम का समायोजन अंकेक्षण अवधि तक नहीं किया गया था। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त पार्षद द्वारा राशि का दुर्विनियोजन किया गया था। उक्त राशि की वसूली हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता निमय 257(1) अनुसार मु0 20,000 रुपये 15 प्रतिषत ब्याज सहित वसूल करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए तथा कार्याकारी अधिकारी स्थिति स्पष्ट करें कि जब मोमेंटो खरीदने का प्रावधान बजट/नियम में नही था तो इतनी बड़ी राशि का अग्रिम उक्त पार्षद को क्यों दिया गया।

9¼b½ e0 1]00]000-00 #i;s vfxze dk lek;kstu u fd, tkus ckjs ¼&

वाऊचर संख्या 55 अवधि 10/05 द्वारा मु. 1,00,000.00 रुपये का अग्रिम श्री भुपेन्द्र सेन सैनिटरी इन्सपैक्टर नगर परिषद को सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु दिया गया था। उक्त कर्मचारी द्वारा अग्रिम का न तो किसी को भुगतान किया और न ही राशि को वापिस नगर परिषद को लौटाया गया। इस अग्रिम से सम्बन्धित कोई अभिलेख भी लेखाकार अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं कर सके। उक्त राशि का हिसाब–किताब न देने के फलस्वरूप ऐसा प्रतीत होता है कि राशि का उक्त कर्मचारी द्वारा दुरूपयोग किया गया था। 10/05 से 3/07 तक मु0 एक लाख रुपये से परिषद को जो ब्याज की हानि हुई है को पैनल ब्याज सहित वसूल करके राशि नगर परिषद कोष में जमा करवाए तथा इतने लम्बे समय तक राशि वसूल न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

9¼c½ e0 50]000-00 #i;s vfxze dk vo/k Hkqxrku ¼&

वाऊचर संख्या 105 अवधि 4/05 द्वारा मु0 50,000.00 रुपये का भुगतान अनील पराषर, पराषर म्यूजिक कुल्लू को पीपल जाग मेला 2005 में म्यूजिक प्रोग्राम हेतु दिया गया था। नगर परिषद नियम 1994 मे ऐसा कोई प्रावधान नही था कि ऐसे कार्य के लिए अग्रिम का भुगतान किया जा सके। इस प्रकार के अग्रिम भुगतान को अंकेक्षण में उचित नही माना जा सकता। कार्याकारी अधिकारी इस अनियमित अग्रिम भुगतान की वसूली सम्बन्धित फर्म से करें, अन्यथा राशि को स्वयं ब्याज सहित नगर परिषद कोष में जमा करवाए। कार्याकारी अधिकारी द्वारा इस भुगतान के लिए निदेषक, शहरी विकास से भी किसी प्रकार की मन्जूरी नहीं ली थी।

9¼d½ **e0 69]92]515-00 #i;s dh Hkkjh jkf'k ds vfxze 31-3-2007 rd lek;kstu gsrq yfEcr iMh Fkh ¼&**

नगर परिषद द्वारा वर्ष 4/01 से 3/07 के मध्य अपने कर्मचारियेां को अग्रिम राशि दी थी जिसका या तो समायोजन नही किया गया था आंषिक समायोजन किया था। 31.3.2007 तक राशि के समायोजन न करने के फलस्वरूप नगर परिषद को लाखों रुपये की हानि का सामना करना पड़ा। नगर पालिका नियमानुसार एक मास के भीतर यदि अग्रिम का समायोजन न किया गया हो तो नगर पालिका लेखा संहिता की धारा 257(1) के अनुसार 15 प्रतिषत ब्याज की वसूली करनी आवष्यक थी जो कार्याकारी अधिकारी के द्वारा नहीं की गई थी। परन्तु उक्त अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की ब्याज राशि की वसूली न की गई थी जो अधिकारी के द्वारा की जानी आवष्यक थी। इसका उतरदायित्व निर्धारित करके समस्त ब्याज राशि वसूल करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए तथा की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। 31.3.07 तक मु0 69,92,515.00 रुपये की अग्रिम समायोजन हेतु शेष था जिसका विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''T'' में दिया गया है।

9¼e½ **lQkbZ ds lkeku ls lEcfU/kr LVkWd jftLVj esa izkIrdÙkkZ ds gLrk{kj u djok, tkus ckjs ¼&**

समय–समय पर जो सफाई का सामान विभिन्न तिथियों में जारी किया गया था स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन से पाया गया कि स्टॉक रजिस्टर में प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर न करवाए गए थे। विभिन्न तिथियों में विभिन्न सामान जो विभिन्न कर्मचारियों को जारी किया गया था जिसका विवरण साथ संलग्न है, के हस्ताक्षर न करवाए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। क्या यह सामान उन सफाई कर्मचारियेां को जारी भी किया गया था, के सम्बन्ध में अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। सामान ईषू हेतु आवेदन, सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित इन्डैंट तथा प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षरों के बिना जारी किए गए सामान की उपयोगिता मान्य नही हो सकती। विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''S'' में उपलब्ध है। अतः वांछित अभिलेख अंकेक्षण मे प्रस्तुत करें अन्यथा सामान की कीमत वसूल करके परिषद कोष में जमा करवाएं।

9¼f½ **fctyh dk lkeku LVkWd jftLVjksa ls tkjh djus ckjs ¼&**

नगर परिषद कुल्लू के बिजली के सामान के स्टॉक रजिस्टरें के अवलोकन से पाया गया कि विभिन्न तिथियों में जो सामान जारी किया गया प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर न करवाए गए थे। स्टॉक रजिस्टरों में बिजली का सामान जिसे जारी किया गया वहां पर पोल का नम्बर दर्षाया गया था। सामान जारी करने से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार षिकायत पत्र, सक्षम अधिकारी द्वरा अनुमोदित मांग पत्रों (Indent) का हवाला तथा उसकी पुष्टि में उपरोक्त अभिलेख अंकेक्षण मे उपलब्ध नहीं करवाया गया, जिनके अभाव मे सामान की उपयोगिता का सत्यापन नहीं हो सका। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए। सूची परिशिष्ट ''U'' में संलग्न है।

9¼**g**½ <u>lekpkj i= gktjh iftdk</u> ¼&

नगर परिषद द्वारा प्रतिमाह हजारों रुपये के अखबार के बिलों का भुगतान किया जाता था किन्तु इसकी हाजरी पंजिका का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसे जांचा जा सकता कि किस मास में कितनी अखबारें व किस –किस तिथि को प्राप्त हुई थी व उसकी कीमत क्या थी जिसकी प्रविष्टि व भुगतान की गई राशि दर्ज होनी अपेक्षित थी तथा अखबारों की रद्दी को बेचते समय उपस्थिति पंजिका में उसकी प्रविष्टि किया जाना अपेक्षित था, जिस तिथि तक के अखबारों को बेचा गया ।

अतः कार्याकारी अधिकारी यह स्पष्ट करें कि उक्त वांछित अभिलेख का रख–रखाव क्यों नही किया गया व बिना उपस्थिति पंजिका चैक किए भुगतान किन परिस्थितियों में किया गया। अन्यथा किए गए भुगतान को उचित ठहराया जाए।

9¼**h**½ <u>fMLi\p iftdk¼**Despatch Register**½@LVEi y[kk iftdkvk¼**Stamp Account Registers**½ vof/k 4@2001 l 3@2007 rd e ikb xb vfu;ferrk, ,oe mudk j[k&j[kko ckj</u> ¼&

¼**i**½ अंकेक्षण अवधि 4/2001 से 3/2007 तक के डिस्पैच पंजिका/स्टैम्प लेखा पंजिकाओं का अंकेक्षण करते समय पाया गया कि समय–समय पर टिक्टों के क्रय हेतु अग्रिम राशियां परिषद निधि से आहरित (Draw) की जाती रही जिनका समायोजन कभी नहीं करवाया गया तथा शासकीय टिकटों का इस्तेमाल न करके दैनिक डाक प्रेषित करके डाकघर से उतनी ही टिकटें खरीद कर इस्तेमान की जाती रहीं व अग्रिम राशियेां का अस्थाई दुर्वनियोजन किया जाता रहा जिसका दायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का था कि वे डाक व्यय हेतु क्रय की जाने वाली टिकटों का बिल मुख्य डाकधर के डाक पाल के नाम बना कर के/तैयार करके चैक द्वारा इसका भुगतान उन्हें करके शासकीय डाक टिकटों का क्रय करते।

¼**ii**½ प्रेषण पंजिका (Despatch Register) में किसी भी रसीद का चसपान(Pasted) न करके स्टैम्प लेखा पंजिका में रजिस्टर्ड पत्र इत्यादि की रसीदें चसपान की गई थी जो कि अनुचित

था। अतः भविष्य में जैसा कि अंकेक्षण द्वारा लेखा पाल (Accountant) को बताया गया कि स्टैम्प लेखा पंजिका मे केवल दिन में प्रयुक्त शासकीय डाक–टिकटों के कुल योग की प्रविष्टियां करके इसके इसके अन्तिम शेष दर्षाकर कार्याकारी अधिकारी द्वारा प्रेषण पंजिका व स्टैम्प लेखा पंजिका को हस्ताक्षरित करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

¼**iii**½ समय–समय पर जो पोस्टेज स्टैम्प के लिए 500 रुपये ड्रॉ किए जाते रहे उनमें फैक्स पर भी खर्चा किया गया जो कि स्टैम्प अकाऊट की राशि से व्यय नही करना था। फैक्स की रसीदें स्टैम्प लेखा पंजिका में चसपान की गई हैं। फैक्स का खर्चा फुटकर बिलों (Contingent Bills) में लेना था।

¼**iv**½ डिस्पैच पंजिका में स्टैम्प वेल्यू दर्ज नहीं की गई थी। जो पत्र केवल डिस्पैच किए थे दर्ज थे इसका व्यय डाक लेखा पंजिका (पोस्टल स्टैम्प अकाऊंट रजिस्टर) में दर्ज था जबकि डाक लेखा पंजिका में केवल पूरे दिन प्रयुक्त की गई डाक–टिकटों के योग दर्ज करके उसके अन्तषेष दर्षाये जाने अपेक्षित थे। अतः 1.4.2001 से 31.3.2007 तक समस्त डिस्पैच पंजिकाओं में स्टैम्प वैल्यू जो वास्तव में लगाई गई थी की प्रविष्टियां करके इसका प्रमाण पत्र कार्याकारी अधिकारी द्वारा दिया जाए कि यह व्यय अभिलेखानुसार (अकाऊंट रिकॉर्ड) वास्तविक है तब तक दर्षाये/किए गए व्यय को अंकेक्षण द्वारा उचित नहीं माना जा सकता। अतः इसकी पुष्टि आगामी अंकेक्षण में सत्यापित करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए। अंकेक्षण अवधि में अंकेक्षण में की गई गणनानुसार मु0 29,621 रुपये की राशि डाक–टिकटों को क्रय करने के लिए परिषद निधि से आहरित की गई, जिनमें से मु0 7,263 रुपये की राशि फैक्स भेजने पर खर्च की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए, क्योंकि फैक्स का खर्च फुटकर बिलों के माध्यम से किया जाना आपेक्षित था। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 75, दिनांक 28.1.08 को जारी की गई थी (कृप्या परिशिष्ट 'U' देखें) किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इसका कार्याकारी द्वारा कोई भी जबाब नहीं दिया गया।

अवधि 4/2001 से 3/2007 तक डाक व्यय हेतु आहरित अग्रिम राशि मु0 29,621 रुपये का अस्थाई दुर्विनियोजन किया गया था क्योंकि राशि आहरित करके इसका भुगतान डिस्पैचर को किया गया था जिसने उनमें से 5–10 रुपये दैनिक खर्च करके शेष बची राशि का अस्थाई दुर्विनियोजन किया जाता रहा व आहरित राशि समाप्त होने पर पुनः अग्रिम राशि निकाली जाती रही, किन्तु इसका समायोजन नहीं किया गया था जबकि डाक–टिकटों के लिए आहरित की जाने वाली राशि पोस्ट मास्टर के नाम आहरित करके शासकीय डाक–टिकटें एक मुष्त क्रय की जानी अपेक्षित थी जो नहीं किया गया था।

y/k vkifr foojf.kdk %& लघु आपतियां स्थल पर ही निपटा दी गई थी अन्य आपतियों के लिए अधियाचनाएं जारी कर दी गई थी जिसका समाधान नही किया जा सका।

fu"d"k %& लेखों के रख–रखाव की और विषेष ध्यान दिए जाने की आवष्यकता है तथा पुराने अंकेक्षण पैरा को निपटान के लिए विषेष पग उठाएं।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश षिमला–171009.

प्रतिलिपि प्रेषित :–

1 निदेषक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश षिमला–171002

2 कार्याकारी अधिकारी, नगर परिषद कुल्लू , जिला कुल्लू को इस आशय के साथ प्रेषित है कि वे इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उतर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें।

3 वरिष्ठ उप महालेखाकार, (ले0व0ह0) हिमाचल प्रदेश षिमला–171003.

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश षिमला–171009.

f

i;jk 11 uxj ifj"kn dYyw] ftyk dYyw dh vof/k 1@1953 ls 31-3-2001 rd ds vfu.khr iSjks dh uohure fLFkfr %&

¼d½ vads{k.k izfronu vof/k 1@53 ls 3@56 rd

1	पैरा 4	अनिर्णीत

¼[k½ vads{k.k izfronu vof/k 4@56 ls 3@57 rd

1	पैरा 10 (क)	अनिर्णीत

¼x½ vads{k.k izfronu vof/k 4@58 ls 3@59 rd

1	पैरा 8 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा 8 (3)	अनिर्णीत
3	पैरा 8 (4)	अनिर्णीत
4	पैरा 8 (6)	अनिर्णीत
5	पैरा 9	अनिर्णीत

¼?k½ vads{k.k izfronu vof/k 4@59 ls 3@60 rd

1	पैरा 5	अनिर्णीत

¼3½ ijh{kd] LFkkuh; fuf/k y[kk¼fg0 i0½dh fujh{k.k fjikV l[;k¼5½¼100½& 3634] fnukd 14-11-61

1	पैरा 1 (1)(4)	अनिर्णीत

¼p½ vkd{k.k ifronu vof/k 4@60 l 3@61 rd

1	पैरा 13 (2)(4)	अनिर्णीत
2	पैरा 16 (3)	अनिर्णीत

¼N½ vkd{k.k ifronu vof/k 4@61 l 3@62 rd

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 11 (3)	अनिर्णीत

¼t½ vkd{k.k ifronu vof/k 4@62 l 3@64 rd

1	पैरा 5 (1)(2)	अनिर्णीत
2	पैरा 8 (2)(3)	अनिर्णीत
3	पैरा 10	अनिर्णीत
4	पैरा 10 (1)(2)(3)(8)	अनिर्णीत
5	पैरा 14	अनिर्णीत
6	पैरा 16 (2)	अनिर्णीत
7	पैरा 17 (2)	अनिर्णीत

¼>½ vkd{k.k ifronu vof/k 4@64 l 3@66 rd

1	पैरा 9 (a)	अनिर्णीत
2	पैरा 11	अनिर्णीत
3	पैरा 11 (a)	अनिर्णीत
4	पैरा 11 (d)	अनिर्णीत

5	पैरा 12 (5)	अनिर्णीत
6	पैरा 13	अनिर्णीत
7	पैरा 14 (ए)	अनिर्णीत
8	पैरा 14 (बी)	अनिर्णीत
9	पैरा 17 (4)	अनिर्णीत
10	पैरा 20 (ए)	अनिर्णीत
11	पैरा 20 (बी)	अनिर्णीत
12	पैरा 24 (2)	अनिर्णीत
13	पैरा 24 (3)	अनिर्णीत
14	पैरा 24 (4)	अनिर्णीत
15	पैरा 24 (5)	अनिर्णीत
16	पैरा 24 (6)	अनिर्णीत

¼¥½ vid{k.k ifronu vof/k 4@66 ls 3@67 rd

1	पैरा 11 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा 11 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा 11 (ई)	अनिर्णीत
4	पैरा 15 (1)	अनिर्णीत
5	पैरा 16	अनिर्णीत
6	पैरा 17 (8)	अनिर्णीत
7	पैरा 17 (13)	अनिर्णीत
8	पैरा 18 (3)	अनिर्णीत
9	पैरा 19 (4)	अनिर्णीत
10	पैरा 20 (3)	अनिर्णीत

¼V½ mi lfPko ¼ctkj½ dh 6@70 rFkk ijh{kd LFkkuh; fuf/k ys[kk ¼fgekpy izns'k½ dh fnukad 6-7-73 dh fujh{k.k fjiksVZ

उक्त निरीक्षण रिपोर्ट अंकेक्षण में पुनः प्रस्तुत नहीं की गई और न ही सटिप्पण उतर तैयार किए गए थे जिस पर तुरन्त अपेक्षित कर्रवाई की जाए।

¼B½ vad{k.k ifrosnu vof/k 4@67 ls 3@71 rd

1	पैरा 1	अनिर्णीत
2	पैरा 11	अनिर्णीत
3	पैरा 12	अनिर्णीत
4	पैरा 13	अनिर्णीत
5	पैरा 16 (2)	अनिर्णीत
6	पैरा 16 (3)	अनिर्णीत
7	पैरा 16 (4)	अनिर्णीत
8	पैरा 16 (5)	अनिर्णीत
9	पैरा 16 (6)	अनिर्णीत
10	पैरा 17 (ए)	अनिर्णीत
11	पैरा 17 (बी)(1)(2)	अनिर्णीत
12	पैरा 17 (सी)	अनिर्णीत
13	पैरा 18	अनिर्णीत
14	पैरा 19	अनिर्णीत
15	पैरा 20	अनिर्णीत
16	पैरा 21 (1)	अनिर्णीत
17	पैरा 21 (2)	अनिर्णीत
18	पैरा 21 (3)	अनिर्णीत
19	पैरा 22	अनिर्णीत
20	पैरा 23	अनिर्णीत
21	पैरा 25	अनिर्णीत
22	पैरा 26	अनिर्णीत
23	पैरा 27	अनिर्णीत

¼M½ vad{k.k ifrosnu vof/k 4@71 ls 3@74 rd

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 13	अनिर्णीत
3	पैरा 15 (1)	अनिर्णीत
4	पैरा 15 (2)	अनिर्णीत
5	पैरा 15 (3)	अनिर्णीत
6	पैरा 15 (5)	अनिर्णीत
7	पैरा 17 (ए)	अनिर्णीत
8	पैरा 17 (बी)	अनिर्णीत
9	पैरा 17 (सी)	अनिर्णीत
10	पैरा 17 (डी)	अनिर्णीत
11	पैरा 17 (ई)	अनिर्णीत
12	पैरा 17 (एर्फ)	अनिर्णीत
13	पैरा 17 (र्जी)	अनिर्णीत
14	पैरा 17 (2)	अनिर्णीत
15	पैरा 17 (3)	अनिर्णीत
16	पैरा 20	अनिर्णीत
17	पैरा 20 (3)	अनिर्णीत
18	पैरा 24 (2)	अनिर्णीत
19	पैरा 24 (6)	अनिर्णीत
20	पैरा 24 (7)	अनिर्णीत
21	पैरा 24 (8)	अनिर्णीत
22	पैरा 25	अनिर्णीत

¼<½¼1½ vd{k.k ifronu vof/k 4@74 l 3@76

¼2½ vd{k.k ifronu vof/k 4@76 l 3@78

¼3½ vd{k.k ifronu vof/k 4@78 l 3@80

उक्त अंकेक्षण अवधि के अंकेक्षण प्रतिवेदनों को इस बार भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उन पर कोई अपेक्षित कार्रवाई की गई थी।

¼.k½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@80 ls 3@82 rd

1	पैरा 7 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा 9 (21)	अनिर्णीत

¼r½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@82 ls 3@83 rd

1	पैरा 3 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 4	अनिर्णीत
3	पैरा 5	अनिर्णीत
4	पैरा 6	अनिर्णीत
5	पैरा 7	अनिर्णीत
6	पैरा 8	अनिर्णीत
7	पैरा 9	अनिर्णीत
8	पैरा 10	अनिर्णीत
9	पैरा 11	अनिर्णीत
10	पैरा 12	अनिर्णीत
11	पैरा 13	अनिर्णीत
12	पैरा 14 (1)	अनिर्णीत
13	पैरा 14 (2)	अनिर्णीत
14	पैरा 14 (3)	अनिर्णीत
15	पैरा 14 (4)	अनिर्णीत
16	पैरा 14 (6)	अनिर्णीत
17	पैरा 14 (7)	अनिर्णीत
18	पैरा 14 (ए)	अनिर्णीत
19	पैरा 14 (बी)	अनिर्णीत
20	पैरा 14 (8)(बी)	अनिर्णीत

21	पैरा 14 (9)	अनिर्णीत
22	पैरा 14 (10)	अनिर्णीत
23	पैरा 15	अनिर्णीत
24	पैरा 16	अनिर्णीत
25	पैरा 17	अनिर्णीत
26	पैरा 18	अनिर्णीत
27	पैरा 19 (ए)(2)(3)	अनिर्णीत
28	पैरा 19 (बी)	अनिर्णीत
29	पैरा 20	अनिर्णीत
30	पैरा 21	अनिर्णीत
31	पैरा 22	अनिर्णीत

¼Fk½ vkd{k.k ifrounu vof/k 4@83 ls 3@84 rd

1	पैरा 3 (ए)(बी)	अनिर्णीत
2	पैरा 4	अनिर्णीत
3	पैरा 5 (ए)	अनिर्णीत
4	पैरा 5 (सी)	अनिर्णीत
5	पैरा 5 (जी)(1)(2)	अनिर्णीत
6	पैरा 6 (2)(2)	अनिर्णीत
7	पैरा 7 (1) से (6)	अनिर्णीत
8	पैरा 9 (1)(2)	अनिर्णीत
9	पैरा 10 (1)(2)	अनिर्णीत
10	पैरा 11	अनिर्णीत
11	पैरा 12	अनिर्णीत
12	पैरा 13 (ए)	अनिर्णीत

13	पैरा 13 (बी)(1)(2)	अनिर्णीत
14	पैरा 14 (ए)	अनिर्णीत
15	पैरा 15 (ए) से (एफ)	अनिर्णीत
16	पैरा 16 (1)(2)(3)	अनिर्णीत
17	पैरा 17 (ए)(बी)	अनिर्णीत
18	पैरा 18 (ए)(बी)	अनिर्णीत
19	पैरा 18 (एफ)	अनिर्णीत
20	पैरा 19 (1)(2)(3)	अनिर्णीत
21	पैरा 23	अनिर्णीत
22	पैरा 24 (1)(ए)(बी)(सी)	अनिर्णीत
23	पैरा 24 (2)(3)(4)	अनिर्णीत
24	पैरा 25 (बी)	अनिर्णीत
25	पैरा 25 (डी)(ई)	अनिर्णीत

¼n½ vid{k.k ifronu vof/k 25-2-91 ls 31-3-92 rd

1	पैरा 3 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 4 (क)(5)	अनिर्णीत
3	पैरा 4 (क)(7)(8)	अनिर्णीत
4	पैरा 7 (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 8 (1)(2)	अनिर्णीत
6	पैरा 9	अनिर्णीत
7	पैरा 10	अनिर्णीत
8	पैरा 11	अनिर्णीत
9	पैरा 12 (1)(2)	अनिर्णीत
10	पैरा 13 (3)	अनिर्णीत
11	पैरा 15 (क)	अनिर्णीत
12	पैरा 15 (ख)(1)(2)	अनिर्णीत

13	पैरा 15 (ख)(6)	अनिर्णीत
14	पैरा 15 (ख)(9 से 13)	अनिर्णीत
15	पैरा 18	अनिर्णीत
16	पैरा 19	अनिर्णीत
17	पैरा 20	अनिर्णीत
18	पैरा 22 (1)(2)(3)	अनिर्णीत
19	पैरा 25	अनिर्णीत
20	पैरा 27 (2)(3)	अनिर्णीत

¼/k½ vd{k.k ifronu vof/k 4@92 ls 3@93 rd

1	पैरा 3	अनिर्णीत
2	पैरा 8 (ख)(ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 10	अनिर्णीत
5	पैरा 11	अनिर्णीत
6	पैरा 12 (1)(2)	अनिर्णीत
7	पैरा 13 (1)(2)	अनिर्णीत
8	पैरा 14	अनिर्णीत
9	पैरा 15 (1)(3)	अनिर्णीत
10	पैरा 16 (क)	अनिर्णीत
11	पैरा 16 (ख)(3,5,7)	अनिर्णीत
12	पैरा 16 (ख)(11)	अनिर्णीत
13	पैरा 17 (1 से 4)	अनिर्णीत
14	पैरा 18	अनिर्णीत
15	पैरा 19 (क)(ख)	अनिर्णीत
16	पैरा 21	अनिर्णीत
17	पैरा 23 (1)(3)	अनिर्णीत

18	पैरा 24 (1)(2)(3)(4)	अनिर्णीत

¼u½ fujh{k.k ifrosnu l;Dr funs’kd] LFkkuh; fuf/k y[kk¼fg0i0½

1	पैरा 1	अनिर्णीत
2	पैरा 3	अनिर्णीत
3	पैरा 4	अनिर्णीत
4	पैरा 5	अनिर्णीत
5	पैरा 9	अनिर्णीत

¼i½ vd{k.k ifrosnu vof/k 4@93 l 3@94 rd

1	पैरा 3 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 8 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा 8 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 8 (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 9	अनिर्णीत
6	पैरा 10	अनिर्णीत
7	पैरा 11	अनिर्णीत
8	पैरा 12	अनिर्णीत
9	पैरा 13	अनिर्णीत
10	पैरा 14	अनिर्णीत
11	पैरा 15 (ख)	अनिर्णीत
12	पैरा 16 (क)	अनिर्णीत
13	पैरा 16 (ख)(1,2,3,4,6)	अनिर्णीत
14	पैरा 17 (1,2,3)	अनिर्णीत
15	पैरा 18	अनिर्णीत
16	पैरा 19 (क,ख,ग)	अनिर्णीत
17	पैरा 20	अनिर्णीत
18	पैरा 21 (2)	अनिर्णीत

19	पैरा 23 (2)	अनिर्णीत
20	पैरा 24 (1)(2)	अनिर्णीत
21	पैरा 25 (2)(3)	अनिर्णीत

¼Q½ vdk{k.k ifrosnu vof/k 4@94 ls 3@98 rd

1	पैरा 3 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 7 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा 7 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 7 (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 7 (घ)	अनिर्णीत
6	पैरा 8	अनिर्णीत
7	पैरा 9	अनिर्णीत
8	पैरा 10 (2)	आंषिक निर्णीत
9	पैरा 11	अनिर्णीत
10	पैरा 12 (1)	अनिर्णीत
11	पैरा 12 (2)	अनिर्णीत
12	पैरा 13	अनिर्णीत
13	पैरा 14 (1)	अनिर्णीत
14	पैरा 14 (2)	अनिर्णीत
15	पैरा 14 (3)	अनिर्णीत
16	पैरा 14 (5)	अनिर्णीत
17	पैरा 14 (6)	अनिर्णीत
18	पैरा 14 (7)	अनिर्णीत
19	पैरा 14 (8)	अनिर्णीत
20	पैरा 14 (9)	अनिर्णीत
21	पैरा 14 (10)	अनिर्णीत
22	पैरा 14 (11)	अनिर्णीत

23	पैरा 14 (12)	अनिर्णीत
24	पैरा 14 (13)	अनिर्णीत
25	पैरा 14 (14)	अनिर्णीत
26	पैरा 14 (15)	अनिर्णीत
27	पैरा 14 (16)	अनिर्णीत
28	पैरा 14 (17)(1)	अनिर्णीत
29	पैरा 14 (17)(2)	अनिर्णीत
30	पैरा 14 (18)	अनिर्णीत
31	पैरा 14 (19)(1)	अनिर्णीत
32	पैरा 14 (19)(2)	अनिर्णीत
33	पैरा 14 (20)(1)(2)	अनिर्णीत
34	पैरा 14 (21)	अनिर्णीत
35	पैरा 14 (22)	अनिर्णीत
36	पैरा 14 (23)	अनिर्णीत
37	पैरा 14 (24)	अनिर्णीत
38	पैरा 14 (25)	अनिर्णीत
39	पैरा 14 (26)	अनिर्णीत
40	पैरा 14 (27)	अनिर्णीत
41	पैरा 14 (28)	अनिर्णीत
42	पैरा 14 (29)	अनिर्णीत
43	पैरा 14 (30)(1)(2)	अनिर्णीत
44	पैरा 14 (31)	अनिर्णीत
45	पैरा 14 (32)	अनिर्णीत
46	पैरा 14 (33)	अनिर्णीत
47	पैरा 14 (35)	अनिर्णीत
48	पैरा 14 (37)	अंषिक निर्णीत

49	पैरा 14 (38)	अनिर्णीत
50	पैरा 14 (41)	अंषिक निर्णीत
51	पैरा 16 (5)	अनिर्णीत
52	पैरा 17 (क)	अंषिक निर्णीत
53	पैरा 17 (ख)(2)	अनिर्णीत
54	पैरा 17 (ग)(2)	अनिर्णीत
55	पैरा 17 (ग)(3)	अनिर्णीत
56	पैरा 17 (घ)	अनिर्णीत
57	पैरा 18	अनिर्णीत
58	पैरा 19 (1)	अनिर्णीत
59	पैरा 19 (2)	अनिर्णीत
60	पैरा 19 (3)	अनिर्णीत
61	पैरा 19 (4)	अनिर्णीत
62	पैरा 20 (1)	अंषिक निर्णीत
63	पैरा 20 (2)	अनिर्णीत
64	पैरा 20 (3)	अनिर्णीत
65	पैरा 20 (4)	अनिर्णीत
66	पैरा 20 (5)	अनिर्णीत
67	पैरा 21	अनिर्णीत
68	पैरा 22 (1)	अनिर्णीत
69	पैरा 22 (2)	अनिर्णीत
70	पैरा 22 (5)(1,2,3,4)	अनिर्णीत
71	पैरा 22 (6)	अनिर्णीत
72	पैरा 22 (7)	अनिर्णीत
73	पैरा 23	अनिर्णीत
74	पैरा 24	अनिर्णीत

75	पैरा 25	अनिर्णीत
76	पैरा 26 (1)	अनिर्णीत
77	पैरा 26 (2)	अनिर्णीत
78	पैरा 26 (3)	अनिर्णीत
79	पैरा 26 (4)	अनिर्णीत
80	पैरा 26 (5)	अनिर्णीत
81	पैरा 26 (6)	अनिर्णीत
82	पैरा 26 (7)	अनिर्णीत

¼c½ vkd{k.k ifronu vof/k 4@98 l 3@2001 rd

1	पैरा 3 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा 6 (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 6 (घ)	अनिर्णीत
6	पैरा 7 (क)	अनिर्णीत
7	पैरा 7 (ख)	अनिर्णीत
8	पैरा 8 (क)	अनिर्णीत
9	पैरा 8 (ख)	अनिर्णीत
10	पैरा 8 (ग)	अनिर्णीत
11	पैरा 9	अनिर्णीत
12	पैरा 10	निर्णीत
13	पैरा 11 (क)	अनिर्णीत
14	पैरा 11 (ख)	अनिर्णीत
15	पैरा 12 (क)	अंषिक निर्णीत
16	पैरा 13	अनिर्णीत
17	पैरा 14 (क)	अनिर्णीत

18	पैरा 14 (ख)	अनिर्णीत
19	पैरा 14 (ग)	अनिर्णीत
20	पैरा 14 (घ)(1)	अनिर्णीत
21	पैरा 14 (घ)(2)	अनिर्णीत
22	पैरा 14 (ङ)	अनिर्णीत
23	पैरा 14 (छ)(2)	अनिर्णीत
24	पैरा 14 (ज)(1)	निर्णीत
25	पैरा 14 (झ)(1)	अनिर्णीत
26	पैरा 14 (ञ)	अनिर्णीत
27	पैरा 14 (त)	अनिर्णीत
28	पैरा 14 (थ)	अनिर्णीत
29	पैरा 14 (द)	अनिर्णीत
30	पैरा 15 (1)	अनिर्णीत
31	पैरा 15(2) (4)	निर्णीत
32	पैरा 15(2) (1)(2)(3)(5)(6)(7)	अनिर्णीत
33	पैरा 16 (2)	अनिर्णीत
34	पैरा 17	अंषिक निर्णीत
35	पैरा 18 (1)	अनिर्णीत
36	पैरा 18 (2)	अनिर्णीत
37	पैरा 18 (3)	अनिर्णीत
38	पैरा 19 (1)	अनिर्णीत
39	पैरा 19 (2)	अनिर्णीत
40	पैरा 20 (1)	अनिर्णीत
41	पैरा 20 (2)	अनिर्णीत

uxj ifj"kn dk;Zy; dh o"kZ 4@01 ls 3@07 rd dk vads{k.k 'kqYd C;kjk %&

Ø0 l0	fnukd	lgk;d fu;=d ¼fnu½	y[kk ijh{kd ¼fnu½	nj	dy ;kx
1	8.10.07 से 14.10.07	5	5	50+20.00	350.00
2	15.10.07 से 21.10.07	4	5	50+20.00	300.00
3	22.10.07 से 28.10.07	1	5	50+20.00	150.00
4	29.10.07 से 4.11.07	3	6	50+20.00	270.00
5	5.11.07 से 11.11.07	4	4	50+20.00	280.00
6	12.11.07 से 18.11.07	6	2	50+20.00	340.00
7	19.11.07 से 25.11.07	5	5	50+20.00	350.00
8	26.11.07 से 2.12.07	6	6	50+20.00	420.00
9	3.12.07 से 9.12.07	2	5	50+20.00	200.00
10	10.12.07 से 16.12.07	6	12	50+20.00	540.00
11	17.12.07 से 23.12.07	4	7	50+20.00	340.00
12	24.12.07 से 30.12.07	5	9	50+20.00	430.00
13	31.12.07 से 6.1.08	5	7	50+20.00	390.00
14	7.1.08 से 13.1.08	5	10	50+20.00	450.00
15	14.1.08 से 20.1.08	5	9	50+20.00	430.00
16	21.1.08 से 27.1.08	4	4	50+20.00	280.00
17	28.1.08 से 3.2.08	2	3	50+20.00	160.00
18	4.2.08 से 10.2.08	5	5	50+20.00	350.00
19	11.2.08 से 17.2.08	6	3	50+20.00	360.00
20	18.2.08 से 24.2.08	5	–	50	250.00

21	25.2.08 से 27.2.08	3	–	50	150.00
				;kx	6]790-00

¼vuqi dqekj½